खण्ड-222, अंक-8
मंगलवार, 28 चैत्र, शक संवत् 1883
(18 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३३१

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजान सिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुरुप्रसादसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गँदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयराम वर्मा, श्री
जरग़ाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नागेश्वर प्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानुप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री

बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिश्म्बर्सिंह, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बेंजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजविहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामनमनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावत, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १८ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विधायक निवास 'ए' में आग लग जाना

**१—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास 'ए' में ६-४-६१ को शाम के आठ बजे आग लग गई थी और उसे विधायकों तथा अग्नि बुझाने वाले यंत्र ने समय से वहां पहुंच कर बुझाया ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां।

**२—श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह आग कैसे लगी थी और फिर इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये सरकार ने क्या एहतियाती कार्यवाही की है ?

श्री राममूर्ति—यह आग किसी बच्चे या व्यक्ति की लापरवाही से जलती हुई बीड़ी या सिगरेट को एक सिरकीपाल के बंडल पर फेंक देने के कारण लगी थी। इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिये विधायक निवास के सभी कर्मचारियों को हिदायत कर दी गई है।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बीड़ी का टुकड़ा किस चीज में फेंक दिया गया था जिससे कि आग लग गयी ?

श्री राममूर्ति—सही मानों में तो यह बात नहीं कही जा सकती है किसी खास बुनियाद पर, बल्कि यह अनुमान है कि बच्चे वहां पर खेलते हैं और पास ही सहकारी भोजनालय है, वहां पर कुछ लोग बैठे रहते हैं अक्सर और उन लोगों की आदत होती है कि बीड़ी, सिगरेट पीने के बाद जलता हुआ टुकड़ा फेंक देते हैं जिससे कि आग लग सकती है।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या यह सही है कि वहां पर स्टोर है और उस स्टोर की चाभी माली अपने साथ लेकर चला जाता है, वहां पर कुछ टट्टियों की सिरकियां पड़ी हुई थीं उन पर पहले आग लगी और वह कमरे के अन्दर तक घुस गयी और कमरे का ताला तोड़ कर आग बुझानी पड़ी ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास जो इत्तला है वह यह है कि जहां पर सिरकियां पड़ी हुई हैं वहां पर एक छोटा सा कमरा है जिसमें माली अपना सामान रखता है, सिरकियों पर आग लगी और पास में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ था उसमें भी आग लगी और फायर ब्रिगेड ने आग पर कन्ट्रोल किया। उसके बावजूद 'ए' ब्लाक और 'बी' ब्लाक दोनों १४-१५ हर एक में फायर प्लान्ट हैं, मालूम नहीं क्यों नहीं उनको इस्तेमाल किया गया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस नुक्सान का तखमीना क्या है और उस आग के लगने की जिम्मेदारी भी किसी पर आयद होती है ?

श्री राममूर्ति—जो रिपोर्ट मेरे पास है उसमें यही है कि कुछ सिरकियों के जलने की बात है और उसकी लागत गालिबन यही १२-१५ रुपये के करीब होगी।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी—क्या माननीय मंत्री जी की सूचना सही मान कर हम यह कहें कि वहां पर माली का स्टोर है और माली स्टोर की चाभी खुद लेकर चला गया, आग कमरे में घुस गयी तो फायर ब्रिगेड को ताला तोड़ कर आग पर काबू पाना पड़ा? तो क्या भविष्य में माली को हिदायत करेंगे कि चाभी खुद न ले जा कर केयर-टेकर के पास जमा कर दे ?

श्री राममूर्ति---मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर माननीय सदस्य की राय यह है कि माली की ओर से कुछ गलती निकलती है तो उसको हिदायत कर दी जायेगी।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार को ज्ञात है कि जहां पर आग लगी थी, वहां पर गाय का बच्चा भी बंधा हुआ था ?

श्री राममूर्ति---इसके बारे में मुझे नहीं मालूम कि गाय का बच्चा बंधा हुआ था।

श्री होरीलाल यादव---जहां पर आग लगी है वहां पर गाय का बच्चा बंधा था और पास में लोग थे, उनमें से किसी ने उसको निकाला, तो क्या वह उन्हीं लोगों में से किसी का था ?

श्री राममूर्ति---गाय का बच्चा तो अक्सर लोग बांध देते हैं और मैं समझता हूं कि उन्हीं लोगों में से किसी का रहा होगा।

सिंचाई रेट कम करने पर विचार

**३---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---नई सिंचाई योजनाओं में सिंचाई रेट कम रखने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १००, दिनांक ४--४--६१ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना की रूपरेखा कब से सरकार के विचाराधीन है ? और उस पर कब तक अन्तिम निर्णय सरकार करेगी ?

श्री राममूर्ति---यह प्रश्न अगस्त, १९५९ से सरकार के विचाराधीन है। यह नहीं कहा जा सकता कि अंतिम निर्णय कब तक होगा।

**४---श्री मुक्तिनाथराय (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना को अन्तिम रूप देने के लिये कौन-कौन व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---इस मामले में अन्तिम निर्णय सरकार लेगी। व्यक्तियों का प्रश्न नहीं उठता।

हरीओम के लापता होने पर श्री मिट्ठनलाल का जिलाधीश मुजफ्फरनगर को पत्र

**५---श्री गयूर अली खां (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिलाधीश मुजफ्फरनगर व पुलिस के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि २० जनवरी, १९६१ के लगभग मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार किये गये एक लड़के हरिओम की गिरफ्तारी के बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा है और जनता में इस बात की सनसनी है कि उक्त लड़के को पुलिस हिरासत में मार डाला गया ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)---श्री मिट्ठनलाल ने एक पत्र दिनांक २१--२--६१ को जिलाधीश मुजफ्फरनगर को भेजा था जिसमें उन्होंने अपने पुत्र श्री हरी ओम के कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने, पीटे जाने तथा उसके लापता होने की शिकायत की थी। ऐसी ही शिकायत एस० पी० को भी मिली थी।

**६---श्री गयूर अली खां---यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मामले का सही विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव--- विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७१८ पर।)

श्री गयूर अली खां---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मिट्ठन लाल जी ने जो शिकायती पत्र जिलाधीश को दिया था कि उनके लड़के को पुलिस ने पकड़ा और पीटा और वह लापता ह, इसके मुताल्लिक जिलाधीश ने कोई जांच की ?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने एस० डी० एम० को शिकायत भेज दी थी और एस० डी० एम० ने एस० पी० के पास भेज दी। एस० पी० ने जांच करायी थी।

श्री गयूर अली खां---किस अधिकारी के जरिये जांच करायी थी और उसका नतीजा क्या निकला ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष---इसकी रिपोर्ट भी है आपके पास ?

श्री रामस्वरूप यादव---रिपोर्ट यह है कि न तो गिरफ्तार किया गया हरी ओम को और न पुलिस ने मारा। यह शक किया जा रहा था कि चोरी में हरी ओम का हाथ है और जो कांस्टेबिल सिनेमा में उसे गिरफ्तार करने के लिये भेजे गये थे उन्हें वह चकमा दे कर भाग गया और लापता है। आ वह इसलिये नहीं रहा है कि आने पर वह गिरफ्तार कर लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---हरीओम को सिपाहियों ने पकड़ लिया था तब वह चकमा दे कर भाग गया या बिना पकड़े ही चकमा दे कर भाग गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना यह है कि हरी ओम को कोतवाली ले जाने के लिये भेजा गया, लेकिन हरीओम किसी प्रकार पुलिस को चकमा दे कर भाग गया और वह उस समय से लापता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यदि मुलजिम पुलिस कस्टडी से भाग गया तो फिर जिनके हाथ से वह भाग गया उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव---पुलिस कस्टडी से नहीं भाग गया। गिरफ्तार नहीं हुआ था हालांकि सिनेमा में पुलिस को हरीओम को गिरफ्तार करने के लिये भेजा गया था, लेकिन वह चकमा देकर भाग गया।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---हरीओम को गिरफ्तार करने के लिये किस कारण से पुलिस सिनेमा गयी थी ?

श्री अध्यक्ष---वह तो बतला दिया कि चोरी का शक था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बिजौली तथा नसीदीपुर ड्रेनों का निर्माण

*१---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में वर्षा के कारण काफी पानी भर जाने से जो हर साल फसल को भारी नुक्सान होता है उस पानी के एकत्रीकरण को रोकने के लिये क्या सरकार ने १९६० में नालों के खुदवाने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो जिले के किस-किस स्थान पर?

श्री राममूर्ति---जी हां, जिला इटावा की भरथना तहसील के महेवा ब्लाक में बजौली तथा नसीदीपुर ड्रेनों का निर्माण सन् १९६० में आरम्भ किया गया है।

दोहरीघाट पम्पिंग कैनाल की बलिया शाखा से पर्याप्त जल न मिलने की शिकायत

*२—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि दोहरीघाट पम्पिंग कैनाल की बलिया वाली शाखा में पानी की सतह काफी नीची होने के कारण गूलों मे पानी नहीं पहुंच रहा है जिसकी गन्ना बोआई में परम आवश्यकता है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। पानी की सतह कुछ नीची अवश्य है, परन्तु पानी सब जगह पहुंच रहा है और काश्तकारों को कोई असुविधा नहीं हो रही है।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या माननीय मंत्री जो बतलायेंगे कि जब काश्तकारों के लिये सुविधा नहीं है तो ऐसी हालत में मैं यह जानना चाहूंगा कि बलिया वाली शाखा में पारसाल और इस साल गन्ने की कितनी बुवाई हुई है ?

श्री राममूर्ति—पारसाल के फीगर्स तो मेरे पास नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके लिये मुझे नोटिस की जरूरत है। हां, जो जवाब है उसमें यह लिख कर आया है कि जितने गन्ने की बुवाई इस साल की गई है उसके लिये पानी काफी है और ठीक दिया जा रहा है।

श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या यह सही है कि १३ अप्रैल, ६१ तक बलिया वाली शाखा में किसानों ने यह प्रार्थना-पत्र अधिकारियों को दिये हैं कि पानी न मिलने की वजह से गन्ने की बुवाई नहीं हो रही है ?

श्री राममूर्ति—इसकी मालूमात मेरे पास नहीं है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद स्टेशन पर युवक की लाश की बरामदगी

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत १६ दिसम्बर को फैजाबाद स्टेशन पर एक बक्स में एक २० वर्षीय युवक की लाश बरामद की गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या अब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—दिनांक १४-१२-६० को एक युवक की लाश बरामद हुई थी। इस संबंध में एक अभियोग धारा ३२८/३०२/२०१ भा० दं० वि० के अन्तर्गत दर्ज किया गया और जांच की जा रही है। एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया जिसकी जमानत हो गई है।

*२—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त युवक कहां का रहने वाला है और उसका नाम क्या है ?

श्री चरणसिंह—अभी तक युवक की identity निश्चित नहीं हो पाई है।

*३—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या हत्या के कारण का भी कोई पता चला है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। अभी तक हत्या का कारण (motive) नहीं ज्ञात हो सका।

झांसी में कुंजीलाल कांस्टेबिल को मृत्यु दण्ड तथा रतीराम की सुरक्षा

*४—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या गृह मंत्री को पता है कि भूतपूर्व कांस्टेबिल कुंजीलाल ने झांसी में तीन व्यक्तियों को १६ अप्रैल, १६५४ को तथा रतीराम रेलवे फिटर, झांसी वर्कशाप के घर, लक्ष्मी दर्वाजे, उसके मौसा-मौसी को ३० अप्रैल, १६५४ को बन्दूक व पिस्तौल से शूट कर दिया था और उक्त रतीराम को भी शूट करने की घोषणा कर गया था ? इस संबंध में उक्त कांस्टेबिल को क्या सजा दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस संबंध में अभियुक्त कुन्जीलाल के विरुद्ध एक मुकदमा भारतीय दंड विधान के धारा ३०२/३०७ के अन्तर्गत कायम हुआ जिसमें न्यायालय द्वारा उसे हत्या के अपराध धारा ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मृत्यु दंड एवं धारा ३०७ में ७ वर्ष सख्त कैद की सजा हुई ।

*५—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने रतीराम की सुरक्षा के लिये १ मई, १६५४ से कुंजीलाल की गिरफ्तारी के दिन २५ जनवरी, १६५६ तक उसके घर पर दिन-रात पहरा देने के लिये हथियारबन्द गारद तैनात कर दी थी और उसकी मां के मर जाने पर उसको दाह-संस्कार में भी नहीं जाने दिया था तथा शहर कोतवाल ने उसकी छुट्टी के प्रार्थना-पत्र को रेलवे वर्क्स मैनेजर, झांसी को २८ मई, १६५४ को भेजते हुये उस पर निम्नलिखित तसदीक की थी:—

"Forwarded to the Manager, Railway Workshop, Jhansi that his life is in great danger. A murderer is after him with a gun. The local Police has put up an armed guard at his house to save his life until the murderer is arrested. The murderer has already shot his two close relatives."?

श्री रामस्वरूप यादव—श्री रतीराम की सुरक्षा के लिये उसके घर पर हथियार बन्द गार्ड तैनात की गई थी, परन्तु एस० पी० झांसी के कार्यालय में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसे उसकी मां के दाह-संस्कार में नहीं जाने दिया गया अथवा शहर कोतवाल ने उसकी छुट्टी की दरख्वास्त पर किसी प्रकार की तसदीक की ।

*६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी क्या प्रश्न-कर्ता ने अपने पत्र-संख्या ७३०, दिनांक १३ अगस्त, १६६० द्वारा उसका ध्यान उक्त मामले की ओर आकर्षित किया था ? यदि हां, तो उसने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । पत्र में उल्लिखित बातों के विषय में जिलाधीश से पूछ ताछ की गई । जहां तक श्री रतीराम की सर्विस संबंधी बातें हैं वह केन्द्रीय सरकार से संबंधित है । राज्य सरकार उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री रतीराम की सुरक्षा के लिये जो गारद रखी गई थी वह क्या कुंजीलाल की गिरफ्तारी के बाद हटा ली गई थी और रतीराम को नौकरी पर जाने की इजाजत दे दी गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुंजीलाल की गिरफ्तारी के बाद गारद हटा ली गई थी और नौकरी के लिये तो प्रदेशीय सरकार की तरफ से प्रतिबन्ध लगाया नहीं जा सकता था ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना के आधार पर कि श्री रतीराम के बहुत अनुनय विनय करने पर भी उसे उसकी मां के शव के साथ जाने की और दाह-संस्कार करने की इजाजत नहीं दी गई थी, इसकी जांच करायेंगे और उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे जिसने उसे अपनी मां के शव के साथ श्मशान भूमि तक भेजने का प्रबन्ध नहीं किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, उत्तर तो दे ही दिया कि किसी बात से यह पता नहीं चलता कि उनको अपनी माता का संस्कार करने से रोका गया था ।

पीलीभीत जिले में कत्ल

*७---**श्री प्रतापसिंह**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ नवम्बर, १९६० से लेकर आज तक जिला पीलीभीत में कितने कत्ल हुये और उनमें से कितनों के खिलाफ अदालती कार्यवाही हो रही है और कितने ऐसे हैं जिनकी तसदीक अब तक नहीं हो पाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---१ नवम्बर, १९६० से २८-२-६१ तक पीलीभीत जिले में ४ कत्ल की घटनायें हुईं ।

एक मामले में जांच के पश्चात् मुकदमा न्यायालय भेजा गया है, शेष तीन मामलों में पुलिस द्वारा जांच जारी है ।

*८---**श्री प्रतापसिंह**---क्या उपर्युक्त तिथियों में किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्त्ता का भी कत्ल हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं, ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन तीन मामलों में जांच जारी है उनमें क्या प्रगति अब तक हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---एक मामले में तो तीन अभियुक्त गिरफ्तार भी किये जा चुके हैं और एक शख्स की गिरफ्तारी बाकी है और दूसरे में जांच हो रही है । कुछ पता तो चला है, लेकिन निश्चित रूप से पता नहीं चल पाया है कि ये हत्यायें कैसे हुई हैं ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि कत्ल के मामले हैं और अभी तक जांच नहीं हुई है और इस तरह की कई वारदातें वहां होती हैं जिनकी जांच नहीं हो पाती है वहां के पुलिस अधिकारियों को आदेश देंगे कि इस तरह के जो मामले हों उनमें शीघ्रातिशीघ्र जांच करके मुकदमें चलाये जांय ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, रिपोर्ट से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कोई खास असावधानी पुलिस की ओर से नहीं है । उनके सामने शहादत आती है, संदेह भी वे कर रहे हैं, लेकिन कत्ल के मामले में किसी के ऊपर मुकदमा चलाने के पहले यह पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिये कि इस मुल्जिम ने यह जुर्म किया है और सजायाब भी होगा ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कत्ल के मामले न्यायालय में गये हैं वे किस दफा में गये हैं और कितने आदमियों के खिलाफ वे मामले चलाये जा रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह मुकदमा ४-४-६१ को सेशन सुपुर्द हो गया है । यह दर्ज तो दफा ३०२ में ही हुआ था और मैं आशा करता हूं कि ३०२ में ही भेजा गया होगा ।

खटीमा थाने में डकैती तथा टनकपुर थाने में कत्ल

*९---**श्री प्रतापसिंह**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, १९६० से अब तक जिला नैनीताल के थाना खटीमा व टनकपुर में कितने कत्ल व डकैतियां हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त अवधि में थाना खटीमा में केवल एक डकैती तथा थाना टनकपुर में एक कत्ल की घटना हुई ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो यह डकैती थाना खटीमा में हुई यह दिन दोपहर में हुई या रात को ?

श्री रामस्वरूप यादव---१५/१६ अक्तूबर, १९६० की रात्रि में डाका पड़ा था।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डकैती किस के यहां पड़ी और उसका कितना नुकसान हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---ग्राम बणिया, थाना खटीमा के रामदेवसिंह, पुत्र महादेव सिंह के यहां डकैती पड़ी और, ४२५.५० रु० की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

काझा ग्रामवासियों का पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र

*१०---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम काझा, थाना चिरैयाकोट, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का प्रार्थना-पत्र ३०मार्च, १९६० एवं २२ अप्रैल,१९६० को क्रमशः थाना इंचार्ज, चिरैयाकोट तथा प्रधान पुलिस निरीक्षक, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था जिसमें पुलिस के विरुद्ध शिकायत की गई थी एवं रिपोर्ट न लिख कर मुकदमा नहीं चलाने की चर्चा थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---उक्त प्रार्थना-पत्रों की तलाश की गई किन्तु उनका प्राप्त होना नहीं पाया गया।

*११---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दरख्वास्तों की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या शिकायत करने वालों से भी बयान लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस गांव में भी जानकारी हासिल की गई कि उस गांव वालों ने कोई प्रार्थना-पत्र भेजा था या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---गांव वालों से जानकारी हासिल नहीं की गई जहां से प्रार्थना-पत्र दिये गये थे, बल्कि वहां से जानकारी हासिल की जाती है कि कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र उस कार्यालय में या उस अधिकारी के पास आया या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी जानकारी हासिल करायेंगे कि जिस गांव के पुराने कार्यकर्त्ता श्री रामअधारसिंह को मारा गया था और उनके मारे जाने के संबंध में स्थानीय पुलिस तथा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को दरख्वास्तें दी गई थीं, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की गई ? मंत्री जी उसकी जांच की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---शिकायत लिखकर दी जायगी तो अवश्य की जायगी।

फरदहनी निवासी श्री वंशबिहारीमणि त्रिपाठी का पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१२---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम फरदहनी, थाना कम्पेयरगंज, जिला गोरखपुर से एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ४ जनवरी, १९६१ को गृह मंत्री के पास आया है, कि उक्त ग्राम तथा और बहुत से ग्राम जो थाना कम्पेयरगंज के अन्तर्गत आते हैं उनमें अक्सर चोरी हुआ करती है, परन्तु थाना के अधिकारीगण रिपोर्ट नहीं लिखते ? यदि हां, तो गृह मंत्री ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह---इस संबंध में ग्राम फरदहनी निवासी श्री वंश बिहारीमणि त्रिपाठी का दिनांक ७-१-६१ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें प्रार्थी ने अपने घर हुई एक चोरी व ग्राम की अन्य चोरी की घटनाओं में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता से जांच न किये जाने की शिकायत की। इसकी जांच कराई गई, परन्तु आरोप सही नहीं पाया गया।

लक्षमनपुर के पास सोत नदी में रेग्युलेटर लगाने की योजना की अस्वीकृति

*१३--श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद में लछिमनपुर ग्राम के पास लगभग ९० गांवों के कल्याण के लिये सोत नदी पर रेग्युलेटर लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा १९५८ में आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त योजना पर सरकार अभी हाल में ही किस प्रकार का अमली कदम उठाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--जी हां । जिला बदायूं से शाहपुर और फूलपुर ग्रामों में तथा जिला शाहजहांपुर के लक्षमनपुर ग्राम में रेग्यूलेटर लगा कर सोत नदी के पानी का प्रयोग करने की योजना थी । इस योजना की विस्तारपूर्वक जांच करने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ है कि केवल एक रेग्युलेटर जिला बदायूं के शाहपुर ग्राम के पास बनना संभव है और इसके लिये एक योजना शासन ने स्वीकृत की है, शेष २ रेग्युलेटरों का प्रस्ताव छोड़ दिया गया।

*१४--श्री हरदयालसिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि १९ जनवरी, १९६१ को अन्तरिम जिला परिषद् हाल, बरेली में रुहेलखंड डिवीजन के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर विचारार्थ बैठक हुई थी और उसमें सोत नदी पर पक्के बांध या रेग्युलेटर की व्यवस्था होने के संबंध में जो रोशनी डाली गई थी और एक लिखित प्रस्ताव विकास आयुक्त को दिया गया था, उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री राममूर्ति--जिला शाहजहांपुर के लक्ष्मणपुर ग्राम में रेग्युलेटर लगा कर सोत नदी के पानी के प्रयोग करने की योजना स्वीकृत नहीं हुई है ।

[१८ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

परभू हरिजन का सदरपुर थाने की पुलिस के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*१--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि क्या श्री परभू, पुत्र सटल्लू हरिजन सा० जसमड़ा, थाना सदरपुर (सीतापुर) ने सितम्बर १९६० में एक प्रार्थना-पत्र अतिरिक्त जिलाधीश, सीतापुर के यहां इस आशय का दिया है कि उनके पुत्र पुतई की लाश मौजा उमरावगंज के दक्षिण तरफ झबरे में पड़ी है जिसको कौए और चील खा रहे हैं ?

*२--यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपर्युक्त व्यक्ति से १५० रुपये का प्रबन्ध करने के लिये थाने के मुंशी ने कहा और रुपयों का प्रबन्ध न कर सकने के फलस्वरूप प्रार्थी से जबरदस्ती पंचनामे पर अंगूठा लगवा लिया गया और लाश को जमीन में गड़वा दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--अपने प्रार्थना-पत्र में श्री परभू ने यह कहा था कि उनके पुत्र की लाश प्रश्न में उल्लिखित स्थान पर पड़ी हुई थी और उसे कौए व चील खा रहे थे, उन्होंने यह भी शिकायत की थी कि पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद पुलिस मौके पर देर से आई और कहा कि १५० रुपये का इन्तजाम करो, लाश आगरे ले जानी होगी । रुपये का इन्तजाम न होने पर जबरदस्ती पंचनामे पर अंगूठा लगवा लिया और लाश वहीं गड़वा दी । जांच करने पर उक्त शिकायतें सही नहीं पाई गईं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अतिरिक्त जिलाधीश को प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया था ? कौन व्यक्ति जांच के लिये गया और क्या लाश खुदवाई गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--सर्किल इंसपेक्टर ने जांच की थी और उसने इस रिपोर्ट को सही नहीं पाया था ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मामले की सदर थाने में रिपोर्ट किस तारीख को दर्ज की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुतई को किसी ने मारा था या बीमारी से मरा था ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जांच से मालूम हुआ कि किसी ने मारा नहीं था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---जिस व्यक्ति ने दरख्वास्त दी थी उससे भी पूछताछ की गई थी या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, उससे पूछताछ की गई थी ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुतई की लाश झबरे में पड़ी मिली तो क्या किसी गूढ़ रहस्य का पता लगाने में पुलिस अभी तक सफल हो पाई है या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जांच की गई कोई गूढ़ रहस्य नहीं था जिसकी जांच की आवश्यकता हो ।

श्री तारांचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि इसको किसी व्यक्ति ने मारा नहीं तो यह मरा हुआ अपने गांव से कितने फासले पर पड़ा था ?

श्री रामस्वरूप यादव---कितने मील का फासला है इस के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी, लेकिन उसके पिता ने यही कहा था कि उसको मिर्गी आया करती थी।

*३-४---**श्री ऊदल**---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

आस्ट्रेलिया से रोमनी मार्श भेड़ें खरीदने का प्राविधान

*५---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में विदेश से रोमनीमार्श भेड़ों की खरीद की गयी ? यदि हां, तो उपर्युक्त वित्तीय वर्ष में कितनी संख्या में भेड़ों की खरीद की गयी और उनकी खरीद पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई तथा क्या इन भेड़ों से भारतीय भेड़ों के मुकाबले में अधिक ऊन प्राप्त की जा सकेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---वर्तमान वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में २० रोमनी मार्श भेड़ों को आस्ट्रेलिया से मंगाने का प्राविधान किया गया था। चूंकि केंद्रीय सरकार ने Foreing Exchange की स्वीकृति नहीं दी उक्त भेड़ नहीं खरीदी जा सकेंगी। उक्त भेड़ों के खरीदने में १०,००० रु० के व्यय का अनुमान था। रोमनी मार्श मेढ़ों द्वारा जालौनी मेढ़ों के शारीरिक विकास में वृद्धि तथा उनके ऊन में सुधार होगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---वर्तमान समय में जालौनी मेढों के शारीरिक विकास का कार्य कहां से प्राप्त मेढों के द्वारा किया जा रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---बीकानेरी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या भविष्य में आस्ट्रेलिया से मेढ़ों के मंगाने की योजना है या रद्द कर दी गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह रद्द नहीं की गयी है। फारन एक्सचेंज जब मिलेगा तो हम मंगायेंगे क्योंकि बीकानेरी मेढें जो इस वक्त लाये जाते थे उनसे ज्यादा सफल प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि उनको पैर की बीमारी हो जाया करती थी।

*६-८---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी जिले में जमानत पर रिहा कातिलों का चालान

*९—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में जनवरी, १९५७ से अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों के कत्ल हो चुके हैं जिनके कातिल धारा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत अदालतों से जमानत पर छोड़े गये थे?

श्री रामस्वरूप यादव—दो व्यक्तियों के।

*१०—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने अपराधियों की जमानतें जनवरी, १९५७ से अब तक जब्त की जा चुकी हैं जोकि धारा १०७/११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत जमानत पर छूटे हुये थे और बाद में कत्ल के अपराध में गिरफ्तार हुये?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कातिलों के विरुद्ध मुकदमा अभी चल रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो व्यक्ति प्रश्न ९ के उत्तर में बताये गये हैं यह दो व्यक्ति किस वाकये में गिरफ्तार हुये हैं और इनके नाम क्या हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—५ व्यक्ति गिरफ्तार हुये हैं, उनमें से वह दो व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ १०७ का मुकदमा चला था। घनश्याम, प्रभू चमार, शारदा, मटरू और श्रीधर का चालान १४८, १४९ और ३०२ आई० पी० सी० में किया गया है।

श्री शिवप्रसाद नागर—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मुकदमा कितने दिनों से चल रहा है?

श्री रामस्वरूप यादव—२०-१-६० को धारा १४८, १४९ और ३०२ आई० पी० सी० में चालान किया गया है। इसमें से दो मुलजिम १०७/११७ में थे प्रभू और श्रीधर।

मसीना तथा घुघवल ग्राम से पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम मसीना, थाना घोसी, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों का प्रार्थना-पत्र दिनांक २ अप्रैल, १९६० का लिखा हुआ जिलाधीश आजमगढ़ को मिला है जिसमें स्थानीय पुलिस के विरुद्ध घूस लेने तथा व्यक्तियों को बांध कर दिन भर घुमाने आदि की शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है तथा परिणाम क्या हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव—जिलाधीश, आजमगढ़ को इस प्रकार के किसी प्रार्थना-पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें जिलाधीश, आजमगढ़ को ग्राम घुघवल, थाना मधुवन, जिला आजमगढ़ के किसानों द्वारा १८ मार्च, १९६० को भेजा हुआ कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें घोसी थाने की पुलिस की शिकायतों के साथ-साथ १११ रुपये गायब करने तथा घर पर अनधिकृत कब्जा करने की भी चर्चा है? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। इस प्रकार के किसी प्रार्थना-पत्र का जिलाधीश आजमगढ़ व गृह मंत्री को प्राप्त होना नहीं पाया जाता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री जी इसकी फिर से छानबीन करवायेंगे कि प्रार्थियों ने दरख्वास्त भेजी है और उसकी प्रतिलिपि और रजिस्ट्री की रसीद मेरे पास मौजूद हैं, तो इस प्रकार का उत्तर क्यों दिया गया?

श्री रामस्वरूप यादव—अगर रसीद और प्रतिलिपि मुझे दे देंगे तो दिखवा लूंगा। यह बात जरूर है कि उसी गांव की एक स्त्री मुसम्मात बधिया ने १२ फरवरी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था। उसमें ग्राम के चौकीदार के खिलाफ शिकायत की थी। उसकी जांच हुई और चौकीदार को सेवा मुक्त करने के हेतु मुकदमा चल रहा है। लेकिन जैसा कि सवाल में उल्लेख है, वह नहीं मिला।

*१३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४-१६—**श्री मदन पांडेय**—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस कमीशन की अन्तरिम रिपोर्ट

*१७—**श्री प्रतापसिंह तथा श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस कमीशन, उत्तर प्रदेश ने हाल में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो उसमें मुख्य रूप से किन-किन चीजों की सिफारिश की गई है?

श्री रामस्वरूप यादव—हां। कमीशन ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी ह, किन्तु अन्तिम रिपोर्ट ३१ मई के बाद ही प्रस्तुत करेगा। अतएव इस समय कमीशन की अन्तरिम सिफारिशों का प्रकाशन लोकहित में न होगा।

*१८—**श्री प्रतापसिंह तथा श्री गेंदासिंह**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सिफारिशों में से कौन-कौन सी सिफारिशों को वह तुरन्त लागू करने जा रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इन सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

*१९—**श्री प्रतापसिंह तथा श्री गेंदासिंह**—क्या गृह मंत्री उपर्युक्त रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि कमीशन ने इस बात को आवश्यक समझा कि जब तक अंतिम रिपोर्ट न दी जाय तब तक एक अन्तरिम रिपोर्ट दे दी जाय ताकि जो बहुत आवश्यक विषय हैं उन पर सरकार विचार करे और अंतिम रिपोर्ट आने तक उनको लागू कर दे? यदि हां, तो सरकार ने अब तक उस पर विचार क्यों नहीं किया?

श्री रामस्वरूप यादव—कमीशन के सामने तो जरूर यह दृष्टि रही होगी कि जो वह आवश्यक समझते हों जल्द से जल्द उसके ऊपर विचार हो जाय और जैसा मैंने कहा कि कागज आ गये हैं और सरकार उन पर विचार तो करती ही है, लेकिन मैंने तो यह कहा कि अंतिम रिपोर्ट जब तक न आ जाय तब तक उनको लागू नहीं किया जा सकता।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विचार करने के पहले या लागू करने के पहले जो वह रिपोर्ट का हिस्सा है उसको वह क्यों समझती है कि उसका प्रकाशित करना जनहित के विरुद्ध है, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट तो एक दिन सामने आनी ही है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, अंतिम रिपोर्ट जो होती है उसमें जो कि अंतरिम सिफारिशें होती हैं उनके बारे में भी कुछ न कुछ लिखा होता है। इसलिये यह लोकहित में न होगा कि हम अन्तरिम सिफारिश सदन के सामने रख दें। मुमकिन है कि अन्तरिम सिफारिश भेजने के बाद उसमें कुछ दूसरे विचार जाहिर किये जावें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि यह जो अन्तरिम रपट आयी है यह सरकार ने मांगी थी तब आयी या पुलिस कमीशन ने आवश्यक समझकर के स्वतः इसे प्रेषित किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---वैसे तो कमीशन ने स्वयं इरादा किया था, लेकिन सरकार ने भी इच्छा प्रकट की थी कि वह अन्तरिम सिफारिश अपनी भेज दे।

श्री राजनारायण---जब सरकार ने स्वतः अन्तरिम रपट मांगी थी तो सरकार उसको लागू करने में क्या कठिनाई महसूस कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया कि विचार कर रहे हैं। उसमें कुछ वित्तीय कठिनाइयां होती हैं और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिससे उनको लागू करना कठिन होता है। इसलिये उन पर अन्तरिम कार्यवाही तभी होगी जब कि अन्तिम रिपोर्ट कमीशन की आ जायगी।

बाढ़ से पूर्व फसल तैयार करने के सुझाव

*२०---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार के पास हाल में ऐसे कोई सुझाव आये हैं कि जिन जिलों में बाढ़ आया करती है उन जिलों में कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाय कि बाढ़ आने से पेश्तर ही वहां कोई ऐसी फसल तैयार होकर कट जाया करे जिससे कि वहां के काश्तकारों को अन्न या पैसा मिल जाया करे ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, ऐसे सुझाव समय-समय पर आते रहे हैं और उन पर नव-स्थापित बाढ़ अनुसंधान शाला, घाघरा घाट, जिला बहराइच में काम भी हो रहा है।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में बाढ़ आया करती है उन जिलों में बाढ़ आने से पहले कोई फसल तैयार होकर कट जाया करे, इसके लिये कौन-कौन से सुझाव सरकार के पास आये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, खरीफ में मक्का के बारे में आया है, और अभी अनुसंधान हो रहा है। उसके विषय में राय भी वहां के लोगों को दी गई है और धान के बारे में भी है, रबी के बाद जूट इत्यादि के बारे में भी है और गन्ना इत्यादि तथा जायद की फसल के बारे में भी है। जहां अनुसंधान हो रहा है, वहां उसके ऊपर विचार किया है और उन्होंने वहां के लोगों को परामर्श भी दिया है और वह शायद कुछ शुरुआत भी कर रहे हैं।

श्री माताप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के समय टैपिओका नाम की एक फसल को पैदा करने का प्रयत्न सरकार कर रही है कि बाढ़ के समय टैपिओका बोया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, वह जो वहां अनुसंधान हो रहा है उसमें विचार तो कई बातों पर हो रहा है, इस पर भी विचार उसमें हो रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में क्या-क्या सुझाव आये हैं और जो कृषि विशेषज्ञों की राय है उसमें और उनमें क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो बहुत सी रायें होंगी।

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ के पहले कुछ फसल तैयार होकर काट ली जाय, इस दिशा में सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया है और वह प्रयास कहां तक कामयाब रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया था कि इसके लिये एक अनुसंधान-शाला की स्थापना की गई है। इसके अलावा सेमिनार और कांफ्रेंसेज होती हैं उनमें इन पर विचार होता रहता है। जैसे एक खरीफ की मक्का नम्बर ५२२० और ५२२५ ऐसी पायी गई है जो कि ६० और ६५ दिनों में तैयार हो जाती है। इसी तरह धान के विषय में भी विचार किया गया है और रबी के बाद बोयी जाने वाली कुछ और फसलों के बारे में भी विचार हुआ है जो कि जल्दी तैयार हो जायं। वह भी उन्हें बताई गई हैं।

थानाध्यक्ष, असमौली के विरुद्ध जनसंघ के आरोप

*२१---**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले की भारतीय जन संघ की कार्यकारिणी ने दिनांक ८ नवम्बर, १९६० को सर्वसम्मति से इस आशय का एक प्रस्ताव पास कर गृह मंत्री तथा एस०पी० मुरादाबाद, जिलाधीश मुरादाबाद, आई०जी० पुलिस लखनऊ को भेजा है कि थाना इंचार्ज, असमौली ने ग्राम मुकर्रबपुर के अल्पसंख्यकों पर उसी ग्राम के बहुसंख्यकों द्वारा हमला करवा दिया और मंदिर को खुदवा डाला? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई और उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री चरण सिंह---जी हां। दिनांक ८-११-६१ को जिला जन संघ मुरादाबाद ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें थाना अध्यक्ष, असमौली के विरुद्ध यह आरोप था कि वह मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और हिन्दुओं को दबाते हैं। इस आक्षेप की जांच सर्किल आफिसर से कराई गई, इन्होंने आरोप को झूठा और बेबुनियाद पाया।

लिखिया ताल को प्रेमपुर ताल से मिलाने की कथित योजना

*२२---**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला गोरखपुर के पीपीगंज थाने के लिखिया ताल को नहर द्वारा जो प्रेमपुर ताल से मिला देने की योजना बनाई गई थी उसको अब रद्द कर दिया गया है और उक्त ताल से पानी निकालने के लिये बनाई गयी कुला वाली पुरानी नहर को ही चौड़ी कर देने का निर्णय किया गया है?

श्री राममूर्ति---जिला गोरखपुर के पीपीगंज थाने के लिखिया ताल को नहर द्वारा प्रेमपुर ताल से मिला देने की कोई योजना नहीं थी और न कोई कुला वाली पुरानी नहर को ही चौड़ा करने की योजना पर निर्णय किया गया है।

भू-संरक्षण कार्य

*२३---**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में भू-संरक्षण के निमित्त १९५९-६० में कितना धन व्यय किया गया?

श्री रामस्वरूप यादव---७,५२,२४१ रुपये।

*२४---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू-संरक्षण का कार्य किन-किन जिलों में चालू है?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रदेश के ८ जिले टेहरी-गढ़वाल, मथुरा, आगरा, झांसी जालौन, सुल्तानपुर, मिर्जापुर तथा लखनऊ में।

*२५---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या प्रत्येक जिले में विकास खंडों के द्वारा भी भू-संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना उसके विचाराधीन है?

श्री रामस्वरूप यादव—विकास खंडों के द्वारा भूमि संरक्षण के कार्य का प्रसार करने की योजना चल रही है।

श्री विश्रामराय—क्या कृषि मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि यह योजना कितने जिलों में इस तृतीय योजना के दौर में लागू की जायगी?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, तृतीय योजना काल में इस कार्य को प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मेरठ, कानपुर, बांदा, बुलन्दशहर एवं इटावा जिलों में विस्तरित करने की योजना है। साथ ही साथ इस योजना को हमीरपुर, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, देहरादून, सहारनपुर तथा वाराणसी जिलों में कार्यान्वित करने का इरादा है। जो नाम मैंने बाद में बतलाये हैं उनमें विकास खंडों में यह कार्य होगा और उनको मदद दी जायगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया व्यय हुआ है वह किन-किन मदों में किया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, एक तो हमारा केंद्र है जहां पर लेबोरेटरी और प्रशिक्षण केंद्र है और डिमांस्ट्रेशन के लिये व्यवस्था है। और जहां यह योजना लागू की जाती है वहां पर विभिन्न निर्माण-कार्यों के लिये कर्ज दिया जाता है जिसमें से ७५ फीसदी कर्ज होता है और २५ फीसदी सब्सीडी होती है। यह काश्तकारों को उनकी सुविधा के लिये दिया जाता है और बाकी रुपया अनुसंधान आदि के लिये खर्च किया जाता है।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)—मंत्री जी ने शाहजहांपुर को क्यों छोड़ दिया है जिसमें गंगा, रामगंगा आदि चार पांच नदियां बहती हैं? उसे इसमें क्यों नहीं रखा?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रदेश में बहुत से जिले हैं जिनमें कुछ रह भी गये हैं। उनको आवश्यकतानुसार चुना जाता है और शाहजहांपुर का नम्बर भी समय पर आ जायेगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भूमि संरक्षण के लिये चुने जाने वाले जिलों का आधार क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव—कृषि विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वह वहां की भूमि व्यवस्था को देखकर और उन विकास खंडों की हालत देख कर जहां आवश्यक समझते हैं कि वहां की भूमि का उपयोग किया जा सकता है, वहां इसकी शुरुआत करते हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय मंत्री जी ने कहा कि शाहजहांपुर का समय पर नम्बर आ जायगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह समय कब आयेगा?

श्री रामस्वरूप यादव—जैसे-जैसे हमारी योजना में प्रगति होती जायगी वैसे-वैसे ही समय आता जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस भूमि-संरक्षण के अन्तर्गत जो किसानों को सहायता दी गयी है उन किसानों से कौन से कार्यों के करने की आशा की गयी है?

श्री रामस्वरूप यादव—जैसे पानी रोकने के लिये चारों तरफ बांध बनाने की जरूरत पड़ जाय या कुआं बनाने की जरूरत पड़ जाय, या ऐसे ही अन्य निर्माण-कार्य, जो आवश्यक हों उस भूमि को ठीक बनाने के लिये, उन कार्यों के लिये यह कर्ज दिया जाता है।

*२६-२७—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—[हटा दिये गये।]

गंडक नहर योजना का सर्वेक्षण

*२८—**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री गंडक नहर योजना के सर्वेक्षण की प्रगति का मुख्य विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—मुख्य गंडक नहर का सर्वेक्षण करीब-करीब पूरा हो गया है। पंक्तिकरण (alignment) स्थिर करने के लिये शाखाओं का विस्तृत परिधि रेखीय सर्वेक्षण (contour survey) प्रारम्भ हो गया है। मुख्य नहर तथा शाखाओं व उपशाखाओं के किनारे स्तर चिन्ह (bench mark) लगाने का कार्य प्रगति पर है ।

*२९-३१—**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी**—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३२-३४—**श्री मुक्तिनाथराय**—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

जालौन जिले में हत्यायें

*३५—**राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)—क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या २७, दिनांक २१ फरवरी, १९६१ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि जो ११ हत्याओं के मामले नहीं चलाये गये उसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त ११ हत्याओं के मामलों में से १ मुकदमे में जांच हो रही थी। उसमें एक अभियुक्त का चालान किया जा चुका है। शेष १० मामलों में उचित प्रमाण न होने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाई गई।

*३६—**राजा वीरेन्द्रशाह**—५० मुकदमों में से केवल २० मुकदमे जो सजायाब हुये इसके सम्बन्ध में क्या सरकार कृपया जांच करायेगी कि शेष मुकदमों के छूट जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—शेष ३० मुकदमों में से ६ मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं और २४ मुकदमों में अभियुक्त न्यायालय से छूट गये। इसका कारण यह था कि न्यायालय ने साक्षियों पर विश्वास नहीं किया, कुछ साक्षी खिलाफ (hostile) हो गये कुछ साक्षियों को अभियुक्तों ने तोड़ लिया। १ अभियुक्त को निजी बचाव का अधिकार देकर मुक्त किया गया।

*३७—**राजा वीरेन्द्रशाह**—क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि सरकारी वकील के स्थानीय होने के कारण मुकदमों की पैरवी में ढिलाई होती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यह मुकदमे जो इतनी तादाद में अदालत से छूट जाते हैं इसका कारण सरकारी वकीलों की ढिलाई है, और क्या इस बात को देखते हुये सरकार उनकी नौकरी को परमानेन्ट करने के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह कहना कि हर सरकारी वकील गड़बड़ी करता है, ऐसी बात नहीं है। सरकार के सामने यह विषय भी विचाराधीन है और पुलिस कमीशन को भी अपनी राय देने के लिये यह विषय भेजा गया है। जब उनकी रिपोर्ट आ जायेगी तो उस पर विचार होग ।।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, यह बड़ी गम्भीर बात है कि ११ मामलों में से एक मामला अदालत के विचाराधीन है और १० केसेज ऐसे हैं जो कि मेक आउट नहीं किये जा सके। तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी कि यह केसेज क्यों मेक आउट नहीं हो सके ?

श्री रामस्वरूप यादव—कोई विशेष जांच कराने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जब मामलों में सही शहादत नहीं मिलती है तो पुलिस मजबूर हो जाती है और उन पर मुकदमा नहीं चला पाती।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन दसों मामलों में जो कत्ल के मामले बताये गये हैं, कोई आदमी मारा भी गया था या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—३०४ के मुकदमें थे। जिन केसेज में शहादत मिल जाती है उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बतायेगी कि मरने वाले आदमी को किसने मारा इसका पता लगाने के लिये किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कानून बना है, उसके अनुसार पुलिस की जिम्मेदारी है, पर कुछ मामलों का तो पता चल जाता है कुछ का नहीं चल पाता है। अब जिन केसेज में शहादत नहीं मिल पाती है, कोई सबूत नहीं मिलता है, तो वे छूट जाते हैं। कुछ केसेज में शहादत न मिलने के कारण सही पता भी नहीं चल पाता।

श्री गोविंदसिंह विष्ट—श्रीमन्, ११ कत्ल के मुकदमों में से एक में सजा हुई, और ५० में से २० को सजा हुई, इन बातों को देखते हुये क्या सरकार, जो कारण बताये गये हैं इन केसेज के छूटने के, उनके अलावा, अन्य कोई कारण भी हैं, उनकी जांच करायेंगे जिनकी वजह से यह मुकदमें छूट जाते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच की कोई आवश्यकता नहीं है, जो रिपोर्ट है वह संतोषजनक है।

श्री गौरीशंकर राय—श्रीमन्, मैंने जो अभी सवाल किया था उसका सही जवाब नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब था कि ११ मामलों में से १० मामलों का कोर्ट में न जाना बहुत असाधारण बात है, कोई साधारण बात नहीं है। अगर सरकार इसको साधारण बात समझती है तो क्या सरकार इस बात की भी जांच करायेगी कि क्यों इतने केसेज मेंः आउट नहीं हो सके, उसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, ६१ घटनायें थीं। इस समय ११ के बारे में प्रश्न पूछा गया था जिसमें यह कहा गया है कि १० के बारे में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी है। ३० में मुकदमा चलाया गया। मुझे अभी अभी यह भी सूचना मिली है कि माननीय गृह मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में भी जांच के आदेश दे दिये हैं।

*३८-४०—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

टिड्डी दलों के मूल स्थानों के विनाश की आवश्यकता

*४१—**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—सरकार कृपया बतायेगी कि क्या टिड्डी दलों के मूल स्थानों के विनाश हेतु किसी योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई बातचीत राजस्थान, मध्य भारत या पंजाब राज्य की सरकार से चल रही है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई बातचीत किसी प्रदेशीय सरकार से नहीं चल रही है।

*४२—**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता है ।

*४३-४५---श्री गोविन्दसिंह विष्ट---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

लखनऊ में पुलिस फ्लाइंग स्क्वैड सब-इन्स्पेक्टर, श्री गोपाल नारायण, की ड्यूटी से गैर हाजिरी

*४६---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ पुलिस के उड़न दस्ते का एक दरोगा ८ मार्च, १९६१ से लापता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगा कि उक्त दरोगा के लापता होने का क्या कारण है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---फ्लाइंग स्क्वैड (Flyirg Squad) के सब-इंसपेक्टर श्री गोपाल नारायण दिनांक ८-३-६१ से ड्यूटी से गैरहाजिर थे परन्तु दिनांक ५.४.६१ को वे ड्यूटी पर वापस आ गये । उन्होंने अपनी अनुपस्थिति का कारण बीमारी बताया है । मामले में जांच की जा रही है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सब-इंस्पेक्टर बिना छुट्टी की दरख्वास्त और बीमारी का मेडिकल सार्टिफिकेट दिये गायब था तो फिर उनको ड्यूटी पर कैसे ले लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह तो ठीक है कि उन्हें दरख्वास्त और मेडिकल सर्टिफिकेट देना चाहिये था। उनसे जवाब मांगा जा रहा है और जो कार्यवाही आवश्यक होगी वह की जायगी ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---ड्यूटी पर क्यों ले लिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---उस वक्त तक वह मुअत्तल नहीं किये गये थे इसलिये ड्यूटी पर आ गये । अब उनका जवाब अगर संतोषजनक नहीं होगा तो ड्यूटी से हटाये जायेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने अपनी बीमारी का समय कहां बिताया था ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में अभी उन्होंने प्रमाण नहीं दिया है, उनसे जवाब मांगा गया है ।

फतेहपुर सीकरी तथा रुनकता क्षेत्रों में सिंचाई साधनों की कमी

*४७---स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में जमन नहरों की पानी की क्षमता बढ़ाने के लिये हिंडन कट में गंगा नदी से पानी लाने की कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस योजना के कार्यान्वित होने में अभी कितनी देर है ?

श्री राममूर्ति---जी हां । कार्य प्रारम्भ हो गया है और अगले वर्ष तक समाप्त होने की आशा है ।

*४८---स्वामी विश्वेश्वरानन्द (अनुपस्थित)---क्या सिंचाई मंत्री आगरा जिले की तहसील किरावली के सूखेक्षेत्र फतेहपुर सीकरी और रुनकता के आस-पास के ग्रामों में सिंचाई की सुविधा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राममूर्ति---फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में नहर से सिंचाई संभव नहीं है क्योंकि धरातल नहरी पानी के तल से ऊंची है । रुनकता क्षेत्र में सिंचाई हेतु कुछ योजनायें बनाई जा रही हैं जिनका कार्यान्वित होना रामगंगा बांध पर निर्भर है ।

*४९-५०--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५१---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)---[हटा दिया गया ।]

*५२-५३--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५४---श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५-५६---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

सदना थाना क्षेत्र में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*५७---श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के थाने सदना में ३१ जुलाई, १९६० से ६ मार्च, १९६१ तक कितनी डकैतियां, चोरियां, कत्ल, राहजनी तथा फौजदारियां हुयीं ?

श्री चरणसिंह---उक्त अवधि में सदना थाने के अन्तर्गत १ डकैती, ३१ चोरी, २ कत्ल तथा ९ फौजदारियों की रिपोर्ट हुई । राहजनी की कोई रिपोर्ट नहीं हुई ।

*५८-५९---श्री गौरीशंकर राय---[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

बखिरा झील की भूमि पर बोरो धान की खेती

*६०---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की बखिरा झील (ताल मंडाच) में कितने एकड़ बोरो धान की खेती होती है और इस वर्ष कितने एकड़ जमीन में धान उग सका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---गत वर्ष १०८९ एकड़ में बोरो धान की खेती हुई थी । इस वर्ष अभी परताल नहीं हुई है जिस कारण क्षेत्रफल नहीं दिया जा सकता ।

*६१---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस झील में पूरे क्षेत्र में धान उग सके इसके लिये वह क्या विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जो पड़ताल की जो रिपोर्ट होगी वह सदन को मेज रखेंगे और क्या वह मुझे भी दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अगर माननीय सदस्य प्रश्न कर देंगे तो रख दी जायगी ।

श्री राजाराम शर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बखिरा झील में बोरो धान की खेती अधिक हो सके, इस सुझाव पर कब विचार किया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस पर विचार कर लिया जायगा क्योंकि सरकार की भी यही इच्छा है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा खेती हो सके । वैसे रिपोर्ट यह है कि २,६२१ एकड़ भूमि ऐसी है जहां पर खेती हो सकती है ।

श्री धनुषधारी पाण्डेय (जिला बस्ती)---क्या सरकार को ज्ञात है कि बखिरा झील से १४ लाख रुपये से नहर निकाली गई है । तो जब पानी की जगह पर खेती होगी तो नहर की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है ।

*६२—श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६३-६५—श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस के शिक्षित कुत्ते

*६६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में कितने शिक्षित कुत्ते crime का पता लगाने के लिये रक्खे गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस समय ऐसे शिक्षित कुत्तों की संख्या ३ है ।

*६७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ में मार्च, ८ तक इन कुत्तों द्वारा कितने cases में crime का पता लगाने में सहायता मिली ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसे मामलों की संख्या क्रमशः १०,५३ तथा १९ है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन तीनों कुत्तों के साथ में कितना स्टाफ रखा गया है और ये कुत्ते किस शहर के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—दो सब-इंस्पेक्टर, तीन कांस्टेबिल और एक झाड़ू लगाने वाला है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन कुत्तों ने किस जगह ट्रेनिंग पाई और ये कहां के हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मोहिले जी ने जो सवाल किया था कि वह स्टाफ किस शहर का है, उसका उत्तर क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—सरकार अपने पुलिस के कुत्तों पर कितना खर्च करती है ?

श्री रामस्वरूप यादव—४,३०० रुपये प्रति वर्ष ।

श्री देवनारायण भारतीय—जिन जुर्मों का पता इन कुत्तों ने लगाया उनमें कितनों को सजायें हुयीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—१९५८-५९ में १३ मामलों में कुत्तों से सहायता ली गई जिनमें मामलों में १० जांच में सफल हुये और ५ मामलों में सजायें हुयीं । १९५९-६० में ६३ मामलों में इन कुत्तों का प्रयोग किया गया और ५३ में कामयाबी हुई, जिनमें से ५ में सजा हुई । १९६०-६१ में ८ मार्च तक ३५ मामलों में इन्हें इस्तेमाल किया गया, १९ में कामयाब हुये और २ में सजा हुई ।

श्री देवनारायण भारतीय—सन् १९५९-६० में ५३ में से ४८ में पुलिस ने परसू नहीं किया या कुत्तों की जांच गलत साबित हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुत्ते केवल क्यू देते हैं कि ये दोषी हो सकते हैं । उस तरह की कोई शहादत नहीं मिली और न सामान बरामद हुआ, इसलिये मुकदमों में सफलता नहीं हुई।

राजकीय कृषि फार्मों की जांच समिति

*६८--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कृषि विभाग से संबधित राजकीय फार्मों की जांच-पड़ताल करने के लिये सरकार ने किसी समिति का निर्माण किया है ? यदि हां, तो कब और उनके सदस्यों के क्या नाम हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां। जनवरी, १९६१ में एक समिति नियुक्त की गई थी। उसके सदस्यों के नाम संलग्न तालिका (क) में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७१९ पर)

*६९--श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त समिति के विचारणीय विषय (terms of reference) क्या हैं ?

श्री चरणसिंह--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका (ख) में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७२० पर)

*७०-७१--श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)--[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*७२-७४--श्री लोकनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सरजू नदी से नहर निकालने की योजना

*७५--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरजू नदी से कोई नहर निकालने की योजना है जिससे बहराइच तथा गोंडा जिलों में सिंचाई का कार्य होगा ?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*७६--श्री बलदेव सिंह--उपर्युक्त नहर के निर्माण में कितना धन लगाने का अनुमान है और कब कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति--वर्तमान सर्वेक्षणों के आधार पर योजना की अनुमानित लागत १०.७८ करोड़ रुपये है। इस योजना पर चालू वर्ष १९६१-६२ में कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

श्री बलदेवसिंह--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस नहर से कितने एकड़ की और किन-किन जिलों में सिंचाई होगी इसके कब तक कम्पलीट होने की सम्भावना है ?

† श्री राममूर्ति--बहराइच, गोंडा और बस्ती में इस नहर का पानी पहुंचेगा। करीब १२ लाख एकड़ जमीन इस योजना से लाभान्वित होगी और ४ लाख १८ हजार एकड़ वार्षिक सिंचाई की संभावना है जिसमें धान २,५१,००० एकड़, रबी १,२५,५०० एकड़, गन्ना ४१,५०० एकड़ है।

श्री बलदेवसिंह--रबी में कम सिंचाई होने की सम्भावना क्यों है ?

श्री राममूर्ति--चूंकि जाड़े में दरिया में पानी गिर जाता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--सिंचाई के काबिल यह नहर कब तक बनेगी ?

श्री राममूर्ति--कोशिश तो यह की जायगी कि तृतीय योजना में हो जाय परन्तु एकाध साल बाद चौथी योजना में तो हो ही जायगी।

---

† १६ मई, १९६१ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

*७७—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*७८-७९—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—[२५ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

रुकनपुर निवासी हरीराम धोबी का कत्ल

*८०—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि २८ फरवरी, १९६१ को थाना कलान, जिला शाहजहांपुर में कई व्यक्तियों की निर्मम हत्यायें हुई हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—दिनांक २८-२-६१ को थाना कलान के अन्तर्गत केवल एक व्यक्ति की हत्या हुई थी।

*८१—श्री हरदयालसिंह—क्या इन हत्याओं में हरी राम नामक धोबी निवासी रुकनपुर की भी हत्या गोली से मार देने के फलस्वरूप हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, केवल उसी व्यक्ति की मृत्यु गोली से मार देने के फलस्वरूप हुई थी।

श्री हरदयालसिंह—क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि हरीराम के कत्ल करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव—वे फरार हैं। दफा ८७-८८ सी आर० पी० सी० की कार्यवाही उनके विरुद्ध हो रही है।

श्री हरदयालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मामले की रिपोर्ट नामजद है, अपराधियों के नाम रिपोर्ट में हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—नाम तो, श्रीमन्, उसमें हैं कि किन लोगों ने बन्दूक चलाई और चोटें पहुंचायीं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को विदित है कि नामजद व्यक्ति इसलिये गिरफ्तार नहीं हो सके कि वहां के थानेदार साहब २४ घंटे शराब के नशे में मस्त रहते हैं और जब होश में आते हैं तो केवल शराब ही मांगते हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—माननीय सदस्य के आरोप की मैं जांच करा लूंगा कि वह शराबी हैं या नहीं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जब २८ फरवरी को नामजद रिपोर्ट हुई तो अभी तक ८७-८८ की कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—वह कार्यवाही हो रही है, यह मैंने उत्तर दिया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह कार्यवाही शुरू कब हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—निश्चित तिथि मालूम नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार जांच करावेगी कि अभियुक्त स्वच्छंद रूप से अपने घर पर रहता है, थाने में जाता है, थानेदार साहेब से मिलता है, फिर भी वहां की पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच करा लूंगा।

श्री रूर्मासिह—वे कौन-कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कत्ल किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरे पास रिपोर्ट में नाम हैं तो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि नाम न पूछे जायें तो अच्छा है ।

*८२—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[३ मई, १९६१ के लिये प्रश्न ५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बदायूं जिले की नलकूप योजना तथा रजलामई का नलकूप चालू कराने का आश्वासन

*८३—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बदायूं, तहसील बदायूं में कितने नये ट्यूब वेल १९६१ में बनाये जायेंगे और कहां कहां ?

श्री राममूर्ति—जिला बदायूं की तहसील बदायूं में १९६१ में निम्नलिखित स्थानों पर दस नलकूप बनाये जायेंगे :

१—घौसपुर
२—दाराहनगर
३—कुम्भरगांव
४—दहेमी
५—नहरपुर व नरसिंहपुर
६—छितइया
७—मघौली व रमजानपुर
८—नौशारा
९—सारकी
१०—गिघौल

*८४—श्री टीकाराम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील बदायूं, ग्रुप बदायूं में ग्राम रजलामई के कुयें से १९५९–६० व १९६०–६१ में कितनी सिचाई हुई और उसका कमांड कितने एकड़ है ?

श्री राममूर्ति—रजलामई ग्राम में स्थित नलकूप संख्या १० बदायूं ग्रुप का कमान्ड (Culturable Command Area) १,२०० एकड़ है और उससे जो सिंचाई हुई वह इस प्रकार थी :—

	एकड़
१९५९–६०	४६
१९६०–६१	२५

श्री टीकाराम—जब खेती का एरिया १,२०० एकड़ है तो ४६ और २५ एकड़ सिंचाई क्यों हुई ?

श्री राममूर्ति—मालूम होता है कि किसानों को दिलचस्पी नहीं है ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार को मालूम है कि इस कुंएं पर जो गेरी आंख देखा है, २ साल से मोटर भी नहीं है ?

श्री राममूर्ति—मोटर अगर न होती तो २५ एकड़ की भी सिंचाई नहीं होनी चाहिये थी, एक भी एकड़ की सिंचाई नहीं होनी चाहिये थी ।

श्री टीकाराम—क्या सरकार इसको सूचना मान कर मेरे साथ चल कर उसकी तहकीकात करायेगी कि जो २५ एकड़ और ६० एकड़ की सिंचाई बताई जाती है, यह बिलकुल गलत है ? किसान मारा मारा फिर रहा है ?

श्री राममूर्ति—मुंशी जी ने जो फरमाया मैं उसकी जांच करा लूंगा और अगर मोटर वहां नहीं है तो कोशिश करूंगा कि वहां पर लगा दी जाय ।

शेरकोट–अफजलगढ़ सड़क पर रामगंगा के पुल का निर्माण

*८५—श्री शिवराम (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामगंगा पर जिला बिजनौर में जो पक्का पुल बन रहा है, वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति—रामगंगा नदी के ऊपर शेरकोट–अफजलगढ़ सड़क पर पुल का निर्माण कार्य जून, १९६१ के अन्त तक समाप्त होने की आशा है ।

श्री शिवराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उसके बनने में देरी का कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—उसके सामान के लिये फारेन एक्सचेन्ज मिलने में देरी हुई । अब वह मिल गया है और जून, १९६० से चीजें आने लगी हैं । यह कोशिश की जायगी कि इस साल के आखिर तक पूरा हो जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—पुल का स्पैन क्या और टोटल लागत उस पर क्या आयेगी ?

श्री राममूर्ति—गालिबन ४२ लाख रुपया खर्च होगा ।

रामगढ़ ताल को जलाशय बनाने की योजना का त्याग

*८६—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में रामगढ़ ताल से सिंचाई करने के लिये कोई रिजर्वायर बनाने की योजना है ?

*८७—क्या यह सच है कि उक्त योजना में लगभग २० गांव की कृषि भूमि छीनी जा रही है जिसके विरोध में स्थानीय जनता द्वारा सिंचाई मंत्री को कोई विरोध-पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—रामगढ़ ताल को एक जलाशय बनाने की योजना थी, लेकिन इसके लिये ४३६ एकड़ कृषि भूमि लेने की आवश्यकता थी जिससे बहुत से परिवार व्यस्थापित हो जाते । इसलिये जनहित में इस योजना को त्याग देना ही उचित समझा गया ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि संबंधित गांवों की जनता को वह इसकी विधिवत सूचना करा देगी ?

श्री राममूर्ति—जब जलाशय बनाया ही नहीं जायगा तो सूचना की भी कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती है क्योंकि फिर उनकी जमीन लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता ।

श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक प्रश्न करने की आवश्यकता यों पड़ी कि वह जमीन सरकार द्वारा एक्वायर की जा चुकी है, जब तक वह विधिवत् वापस नहीं की जायगी क्या तब तक वैसे ही पड़ी रहेगी ?

श्री राममूर्ति—अगर जमीन एक्वायर कर ली गई है तो उनको सूचना दे दी जायगी और जिनकी जमीन है उनको वापस कर दी जायगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि सितम्बर, १९६० में यह गजट नोटीफिकेशन हुआ था कि रामगढ़ ताल में १,४०० एकड़ से ज्यादा जमीन एक्वायर की जायगी ?

श्री राममूर्ति---यह बात सही है, लेकिन जब मैं देवरिया गया तो वहां भी गया और वहां के लोगों ने रेलवे स्टेशन पर मुझसे भेंट की और मुझे लोगों ने बताया कि इस साल ताल के बनने से बहुत लोग उखड़ जायेंगे और उनके गांव उसमें डूब जायेंगे। इस स्कीम को देखा गया और उसके बाद दूसरी जो स्कीम बनायी गयी उसमें ४०० एकड़ भूमि आती थी। लेकिन फिर जब उसको एग्जामिन किया गया तो मालूम हुआ कि उससे भी लोगों को तकलीफ होगी। इसलिये इस योजना को छोड़ देने का ही इरादा किया गया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो बिजली घर बनने वाला था वह कतई नहीं बनेगा या दूसरी जगह बनाने का विचार है?

श्री राममूर्ति---जो बिजलीघर बनने वाला था, वह बन गया है और काम भी दे रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिना योजना को देखे हुये जमीन क्यों एक्वायर कर ली गयी?

श्री राममूर्ति---योजना तो पहले देखी ही गयी थी, इसीलिये जमीन एक्वायर की गई। लेकिन जब लोगों को यह शिकायत हुई कि इस योजना द्वारा तकलीफ बहुत ज्यादा होगी तो फिर जांच के बाद यह फैसला किया गया कि इसको स्थगित कर दिया जाय।

करौंदी नरायनपुर की कथित डकैती

*८८---**श्री झारखंडेराय**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत ७ तथा ८ फरवरी की रात में ग्राम करौंदी, नरायनपुर थाना मधुबन, जिला आजमगढ़, में डाका पड़ा और ग्राम प्रधान मार कर बुरी तरह घायल कर दिया गया?

श्री चरणसिंह---दिनांक ८ फरवरी, १९६१ को श्रीसीताराम, निवासी ग्राम करौंदी नरायनपुर ने थाना मधुबन पर एक डकैती की रिपोर्ट लिखाई थी परन्तु जांच से मालूम हुआ कि घटना डकैती की नहीं बल्कि मारपीट की थी जिसमें ग्राम प्रधान को साधारण चोटें आयीं।

*८९---**श्री झारखंडेराय**---क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस विषय में कितने डाकू पकड़े गये हैं और क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री चरणसिंह---प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती जिले में कत्ल व डाके

*९०---**श्री रणबहादुरसिंह** (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में १ जनवरी, १९६१ से १५ फरवरी, १९६१ तक कितने कत्ल हुये हैं और १ जनवरी, १९६० से १५ फरवरी, १९६० तक कितने कत्ल हुये थे?

श्री चरणसिंह---जिला बस्ती में १ जनवरी, १९६१ से १५ फरवरी, १९६१ तक ३ कत्ल हुए तथा १ जनवरी, १९६० से १५ फरवरी, १९६० तक २ कत्ल हुए।

*९१---**श्री रणबहादुरसिंह**---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना परसुरामपुर तथा थाना छावनी और बैकोलिया, जिला बस्ती में १ जनवरी, १९६० से १५ फरवरी, १९६१ तक कितने कत्ल हुये तथा कितने डाके पड़े?

श्री चरणसिंह---थाना परसुरामपुर में २ कत्ल, १ डकैती, थाना छावनी में २ कत्ल, थाना बैकोलिया में १ कत्ल, १ डकैती।

नोट---तारांकित प्रश्न ८७ के पश्चात प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सीतापुर जिले में पलेवा के लिये वसूल किये गये जल-कर की वापसी

*९२—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—सीतापुर जिले में पलेवा के लिये नहर के पानी की दर के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या ५५, दिनांक २१ फरवरी, १९६१ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना धन सरकार को वापस करना होगा और वह कब और किस प्रकार वापस किया जावेगा ?

श्री राममूर्ति—सीतापुर जिले में पलेवा के लिये नहर के पानी की दर के सम्बन्ध में जो धनराशि काश्तकारों को वापस करनी है वह अभी निश्चित नहीं की जा सकी है क्योंकि रेवेन्यू स्टाफ वर्तमान समय में फसल रबी की जमाबंदी तैयार करने में व्यस्त है। इस कार्य में कुछ समय और लगेगा।

*९३—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसानों को इस रकम पर सूद भी दिया जायगा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, ऐसी रकम पर सूद देने का कोई नियम नहीं है।

मेंहदीनगर की डकैती

*९४—श्री रामशरण यादव—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या १४ फरवरी, १९६१ को रात को ग्राम मेंहदीनगर, थाना काकोरी, जिला लखनऊ में डकैती पड़ने और उसमें कुछ व्यक्तियों के कत्ल हो जाने की सूचना सरकार को मिली है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, डकैती की एक घटना हुई थी जिसमें डाकुओं ने एक व्यक्ति को जान से मार डाला। इस घटना के संबंध में एक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा ३९६ ३९७ के अन्तर्गत, थाना काकोरी में दर्ज हुआ और ८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुसंधान जारी है।

किरावली तहसील में बरसाती पानी निकालने की योजना

*९५—स्वामी विश्वेश्वरानन्द—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरे की तहसील किरावल. में water logging की समस्या को हल करने के लिये १९५२ से १९६० तक कितने बरसाती नालों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक नाले पर कितना-कितना खर्चा हुआ है ? क्या सरकार उन नालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*९६—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौन से बरसाती नाले उक्त तहसील में ऐसे हैं जिनका सर्वे हो चुका है, es imate भी बन चुके हैं। परन्तु अभी तक उन नालों का निर्माण नहीं हुआ तथा western depression drain जिस पर इस समय काम हो रहा है, उसकी remodelling की स्कीम क्या है और इसका estimate कितना है तथा इस नाले पर किन-किन स्थानों पर पुल बनाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जिले में तुर्तीपार बांध तथा घाघरा के बीच सिंचाई साधनों का अभाव

*९७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिले के अन्तर्गत श्रीनगर तुर्तीपार बांध और नदी घाघरा के बीच सैकड़ों गांवों में सिंचाई के लिये सरकार की तरफ से कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ?

*९८—यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर उचित स्थानों पर ट्यूबवेल द्वारा सिचाई की व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—यह क्षेत्र घाघरा नदी के Floodplain में होने के कारण बाढ़ से सहज ही प्रभावित होने योग्य है । ऐसे क्षेत्र में नहरें या ट्यूबवेल बनाना व्यवहार्य नहीं प्रतीत होता है । बांध बनने से पहले यहां पर दो नलकूप लगाये गये थे किन्तु उनका performance असंतोषजनक रहा है ।

केलही ताल से नाला निकालने तथा दिदोहर व बलुआ ग्रामों में नलकूप लगाने की प्रार्थना

*९९—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गाजीपुर जिले में केलही ताल से पानी निकास के नाले के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—जी हां, किन्तु प्रस्तावित नाले की लम्बाई ५ मील से कम होने के कारण इसका निर्माण श्रमदान द्वारा होगा । यह कार्य कब प्रारम्भ होगा ठीक से कहा नहीं जा सकता क्योंकि इसे ग्राम सभा करेगी ।

*१००—श्री यमुनासिंह—क्या सरकार गाजीपुर जिले के दिदोहर तथा बलुआ ग्राम में नलकूप लगवाने के प्रश्न पर शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—दिदोहर ग्राम का अधिकांश भाग मिसरौली के नलकूप के कमाण्ड में है । एक नया नलकूप कहुतरी ग्राम के लिये स्वीकृत किया गया है । बलुआ ग्राम का पूरा क्षेत्रफल इस नलकूप के कमान्ड में आ जायगा । इसलिये दिदोहर तथा बलुआ ग्रामों में नलकूप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

सब-इंसपेक्टरी के लिये उम्मीदवार हेड कांस्टेबिल

*१०१—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ऐसे कितने हेड कांस्टेबिल (प्रधान लिपिक) पुलिस सब-इंसपेक्टर के पद पर गत ३,४ ५, ६ और ७ वर्षों में लगातार कार्य कर रहे हैं, जो अभी स्थायी नहीं किये गये ? यदि हां, तो स्थायी करने में क्या अड़चनें हैं ?

श्री चरणसिंह—ऐसे हेड कांस्टेबिलों की संख्या क्रमशः ७,१०,८,४ और २३ है। नियमानुसार ऐसे हेड कांस्टेबिलों को सब-इंस्पेक्टर के पद पर स्थायी तब ही किया जा सकता है जब कि वह सब-इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस अथवा सशस्त्र पुलिस की ट्रेनिंग के लिये चुने जाने के बाद अपनी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करले या वह ट्रेनिंग से मुक्त कर दिये जायें, तथा स्थायी स्थान खाली हों ।

पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में झगड़े

*१०२—श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर) तथा श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जिलों में पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में झगड़े हुये और कहां-कहां इन झगड़ों में बन्दूकें चलीं तथा कितने आदमी हताहत हुये ?

*१०३—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन झगड़ों के होने की क्या कुछ पहले से ही सम्भावना थी ? यदि हां, तो इनकी रोक-थाम के लिये क्या एहतियाती कार्यवाही की गई थी ?

*१०४—क्या जो बन्दूकें इस्तेमाल हुई हैं वे लाइसेंस होल्डर्स की बन्दूकें थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

घाघरा कटाव निरोधक, नैपाल बांध तथा जलकुण्डी योजनायें

*१०५—श्री उग्रसेन—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या तृतीय योजना के अन्तर्गत राप्ती नदी की जल कुन्डी योजना, घाघरा कटाव निरोधक योजना तथा नैपाल बांध योजना छोटी गण्डक की बाढ़ समाप्त करने के लिये सम्मिलित की गयी हैं ?

श्री राममूर्ति—घाघरा कटाव निरोधक तथा नैपाल बांध योजनायें तृतीय पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित हैं। जलकुण्डी योजना तृतीय योजना में सम्मिलित नहीं है। इसकी रूपरेखा आदि तैयार करने के लिये अभी प्रेलिमिनरी (Prelminary) कार्य हो रहा है।

*१०६—श्री उग्रसेन—क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग की ओर से उक्त योजनाओं को ठोस रूप देने के लिये सर्वेक्षण हो रहा है ? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

श्री राममूर्ति—घाघरा नदी पर कटाव रोकने के लिये सुरेमानपुर रेलवे स्टेशन के पास कार्यान्वित करने के लिये जो योजना तृतीय योजना में सम्मिलित है उसका तथा नैपाल बांध योजना का सर्वेक्षण हो चुका है। जलकुन्डी जलाशय योजना का ज्योलाजिकल (Geological) तथा प्लेन टेबुल सर्वेक्षण हाथ में लिया गया है।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं प्रश्नों के संबंध में एक व्यवस्था चाहता हूं। उदाहरणार्थ मैं शाहजहांपुर का केस ले रहा हूं। सरकार को इस बात की जानकारी है कि कत्ल हुआ और सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि कातिल के नाम की नामजद रिपोर्ट हुई। तो क्या ऐसे व्यक्ति के नाम को सरकार कोई गोपनीय वस्तु कह सकती है कि हम नाम नहीं बता सकते ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने गोपनीय तो नहीं कहा।

श्री राजनारायण—नाम बताने में फिर क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि मुकदमे के हित में इस वक्त बताना ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण—आप तो स्वयं वकील हैं, श्रीमन्, आप स्वतः समझते हैं कि उसके बताने से.....

श्री अध्यक्ष—मैं यहां राय नहीं देता हूं। आपको भी नाम मालूम है।

श्री राजनारायण—हमको तो अभी भारतीय जी से मालूम हुआ। तो जो प्रश्न-कर्त्ता की शिकायत है कि सरकारी पक्ष उसे बचाना चाहता है क्योंकि वह बड़ा भारी पैसे वाला है और किसी रोजगार का मालिक है.....

श्री अध्यक्ष—यह अगर प्रश्न आप पूछ लेते तो मैं उनसे पूछता।

श्री राजनारायण—मेरी आदत नहीं है कि बीच में टोकूं। इसलिये व्यवस्था का प्रश्न किया है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी प्रश्नों के संबंध में कुछ निवेदन करना है। कभी कभी आपके कमरे में जाने पर जो आश्वासन आप देते हैं तो कभी उसकी सीमा पार हो जाती है। २ तारीख को मेजा में पुलिस की गोली से एक आदमी

[श्री गौरीशंकर राय]

मारा गया। ३ तारीख को मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस दिया। आपने कहा कि शार्ट नोटिस क्वेश्चन दे दो। मैंने वह दे दिया। लेकिन २ तारीख को यह घटना हुई है और आज तक उसका जवाब नहीं मिला। इसी तरह से एक आई० ए० एस० आफीसर के बारे में जो प्रश्न पोस्टपोन हुआ था, उसमें आपने आश्वासन दिया था--तो ऐसे मामलों में तो कम से कम आप परस्यू करें। मैंने खत भी लिखा था लेकिन आज तक जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--'अगर' उनके पास जवाब नहीं आया.....

श्री गौरीशंकर राय--'अगर' का क्या सवाल है। मैंने और मोहिले जी ने खत भी लिखा.....

श्री अध्यक्ष--सरकार के पास तो गया ही होगा।

श्री गौरीशंकर राय--१६ दिन के बाद भी अगर मगर में जवाब मिलेगा तो भगवान ही मालिक है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)--जो उत्तर सरकार की तरफ से दिये जाते हैं वह बड़े वेग होते हैं और बड़े गलत भी होते हैं और.....

श्री अध्यक्ष--यह तो आप आम शिकायत कर रहे हैं।

श्री इन्दुभूषण गुप्त--जब मंत्री जी से कुछ कहा जाता है तो कह देते हैं कि ऐसी सूचना हमको मिली है। फिर उसके बाद सत्र समाप्त हो जाता है और प्रश्न रह जाता है। तो अगर आप ऐसी व्यवस्था दे दें कि हम लोग जो पत्र इस संबंध में लिखें उसका उत्तर वह तत्काल हमें दे दिया करें तो बहुत सुविधा हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--आपका यह कहना जरूर ठीक है कि जो पत्र मंत्री जी को कोई सदस्य भेजता है तो उसका उत्तर उनको जल्दी दे देना चाहिये। अगर कोई खास बात आप बतावें कि यह चिट्ठी भेजी और उसका जवाब नहीं दिया तो मैं कह सकता हूं लेकिन अगर आप आम बात करें तो मैं उनसे नहीं कह सकता हूं।

जिला नैनीताल के बनबसा कस्बे के जलने तथा सरकारी सहायता न मिलने के सम्बंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--प्रतापसिंह जी ने जो नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने का विषय मेरे पास भेजा है वह महत्व का है और उसे मैंने स्वीकार किया है। वह यह है :--

"जिला नैनीताल के बनबसा कस्बे में दिनांक १६-४-६१ को आग लगने से सारा कस्बा जल कर राख हो गया, पर सरकार की ओर से अब तक कोई सहायता नहीं दी गयी (यह कस्बा भारत-नैपाल के बार्डर पर पड़ता है।) इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति की ओर माननीय माल मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

तो माननीय माल मंत्री जी बतावें कि इस विषय पर किस रोज वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--शुक्रवार को दे देंगे।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान--

अनुदान संख्या ३६--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान

श्री अध्यक्ष--आप पहला अनुदान प्रस्तुत कर दीजिये और उस पर मत ले लिया जायेगा तब फिर दूसरा अनुदान लेंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—श्रीमन्, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ९९,६६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ९९,६६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४१—प्रकीर्ण व्यय तथा अनुदान संख्या १५—गांव सभा और पंचायतें

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ५,४२,१९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—इस के साथ दूसरी मांग भी आप प्रस्तुत कर दें और फिर एक साथ दोनों पर बहस हो जाय ।

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १५—गांव सभा और पंचायतों के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १,२०,२६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, एक मांग जो अनुदान संख्या ४१ के अन्तर्गत है, यह विविध है। इस में वह खर्चा दिया जाता है जो किसी विशेष लेखानुदान के शीर्षक में नहीं दिया जाता है। इस अनुदान के अन्तर्गत जो बहुत सी सब्सीडी दी जाती है, वह सम्मिलित है। आई० ए० एस० आफिसर्स का जो स्कूल चलता है, उस का खर्चा है। ईस्ट पाकिस्तान से आये हुये जो रिफ्यूजीज हैं उनका खर्चा भी सम्मिलित है। इनमें और कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ है, उसका एक कारण यह है कि इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत से कुछ अनुदान निकाल दिये गये हैं जो दूसरे लेखा शीर्षक में पहुंच गये हैं। अधिकांश खर्च नानप्लान बजट का है। अभी तक जो सब्सीडी स्लम्स क्लियरेन्स अर्थात् मलिन बस्ती कार्य के अन्तर्गत दी जाती थी, वह अब इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत प्लान आइटम में दी गयी है। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि हमारे प्रदेश में भी स्लम्स बस्तियों के सबन्ध में इनके सुधार का कार्य चल रहा है। उस कार्य की प्रगति में कुछ बाधा पड़ती है, इस लिये माननीय सदन के समक्ष दूसरे सदन का एक प्रस्ताव आया हुआ है कि मलिन बस्तियों के सुधार के विधेयक पर एक संयुक्त प्रवर समिति स्थापित की जाय। वह विधेयक पारित न होने के कारण मलिन बस्तियों के सुधार के लिये भूमि अर्जन में बाधायें पड़ती हैं, देरी लगती है, कठिनाई होती है। किन्तु माननीय सदन को अभी समय नहीं मिल सका है, इस बात पर विचार करने के लिये। साधारणतः यह योजना केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की ओर ५० फीसदी सब्सिडी दी जाती है और २५ फीसदी ऋण भी दिया जाता है। शेष २५ फीसदी का भार भी प्रदेशीय सरकार को वहन करना पड़ता है या उन स्थानीय निकायों को वहन करना पड़ता है जिनके द्वारा कि वह काम होना हो। यह जो २५ फीसदी का भार प्रदेशी सरकार को वहन करना पड़ता है, उसका तरीका यह है कि साढ़े १२ फीसदी सब्सिडी प्रदेशीय सरकार की ओर से उन स्थानीय निकायों को देना पड़ता है और साढ़े १२ फीसदी ऋण के रूप में देना पड़ता

[श्री कैलाशप्रकाश]

है। कानपुर की विशेष परिस्थिति है जो गवर्नमट आफ इण्डिया की योजना के अन्तर्गत है उसमें वहां पर बजाय केन्द्रीय सरकार की ओर से ५० फी सदी सब्सिडी मिलने के साढ़े ६२ फीसदी.....

श्री अध्यक्ष—विरोधी दल के नेता जी का कहना यह है कि क्रम-संख्या ४१ के ऊपर संक्षेप में कहना चाहिये क्योंकि इसके ऊपर वे कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं देंगे। इसलिये अनुदान संख्या १५ पर ही भाषण होगा।

श्री कैलाशप्रकाश—बहुत अच्छा, धन्यवाद, श्रीमन्, तो इस सम्बन्ध में मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्रीमन्, दूसरा अनुदान ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में है। इस अनुदान के अन्तर्गत कुल मांग १,३१,१९,८०० रुपये की है जिसमें से १ लाख २५ हजार रुपया का खर्चा ऐसा है कि जो गांव सभाओं के जरिये मुकदमें में जुरमाना होता है, उसका आधा रुपया उनको वापस लौटाया जाता है उस धनराशि में से। साधारणतः जो खर्चा है वह १ करोड़ १३ लाख ५२ हजार ३ सौ रुपये का है। इसमें भी ३ लाख ९५ हजार ३ सौ रुपया एलेक्शन के सम्बन्ध में है, ५ लाख २० हजार सौ रुपया आडिट के सम्बन्ध में है और शेष साधारण खर्चे के सम्बन्ध में है। श्रीमन्, इस प्रदेश में ७२,३०४ पंचायतें हैं और न्याय पंचायतों की संख्या ८,५८३ है। पंचायतों के आम चुनाव ४६ जिलों में ८ पहाड़ी जिलों को छोड़कर, गत जनवरी, फरवरी में हुये हैं। बहुत सी पंचायतों का निर्माण हो चुका है और बहुत से सदस्यों के चुनाव हो चुके हैं। पंचायतराज अधिनियम में यह प्राविधान है कि एक बार के चुनाव होने मे यदि कोई स्थान न भरा जाय तो दुबारा उस स्थान का चुनाव कराया जाय और दुबारा चुनाव कराने पर भी यदि स्थान न भरा जाय तो उसमें नामजदगी की जाय। श्रीमन्, इन ४६ जिलों में दुबारा चुनाव कराने का काम भी लगभग समाप्त हो चुका है। किन्तु कुछ पंचायतें ऐसी हैं कि जिनका निर्माण नहीं हुआ है और ८ जो पहाड़ी जिले हैं उन जिलों में भी चुनाव का काम प्रारम्भ होने वाला है। आशा यह है कि १५ जून तक इन जिलों में पंचायतों का चुनाव समाप्त कर दिया जायेगा। किन्तु जो बार्डर के तीन नये डिस्ट्रिक्टस बने हैं, उनसे हमारे पास यह मांग आयी है कि १५ जून तक चुनाव कराना ठीक न होगा और जुलाई के अन्त तक चुनाव हों। जहां से इस तरीके की मांग आयी उनको स्वीकार किया गया है। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार केवल २ बार्डर के जिलों से ऐसी मांग आयी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—वहां हर जगह जुलाई में ही करा दीजिये।

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तक तो यही इरादा है कि १५ जून तक यदि कोई विशेष परिस्थिति न हो तो इन शेष जिलों में भी चुनाव करा दिये जांय।

श्रीमन्, चुनाव के सम्बन्ध में इस माननीय सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और चुनाव की अनियमितताओं की ओर ध्यान भी आकर्षित किया जा चुका है। मैं केवल इस सम्बन्ध में यही निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के सम्बन्ध में विचार करते समय अगर हम पूरी तसवीर लें तो हम किसी ठीक नतीजे पर पहुंच सकते हैं। किन्हीं दो चार पंचायतों का नक्शा आपके सामने रखकर समस्त प्रदेश की पंचायतों की व्यवस्था के ऊपर कोई राय कायम करना मुनासिब नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायतों के चुनाव में कहीं कहीं झगड़ों की सूचना प्राप्त हुई, कहीं कत्ल भी हुये हैं। मैं अभी आपके सामने सब चीजों के आंकड़े उपस्थित करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचियों के बनाने में कहीं कहीं गलतियां हुई हैं और जो चुनाव चलाने की बात रही है उसमें भी कुछ गलतियां हुई हैं। गलतियां इन्सान से ही होती हैं। किंतु सरकार की ओर से इस बात की पूरी ख्वाहिश रही है कि यदि चुनाव अधिकारियों के द्वारा बेईमानी हुई है और उसकी शिकायत प्राप्त हुई है तो उसकी जांच की जाय और उसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही की जाय।

श्रीमन्, एक अन्दाजा यह लगाया जाता है कि इन पंचायतों के कार्य और पंचायतों के चुनाव के कार्य से प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में अस्तव्यस्तता आ गयी है, गुटबन्दी फैल गयी है और आपस में बड़ा जबरदस्त विरोध फैल गया है। सम्भवतः यह खयाल बहुत दुरुस्त नहीं है, विशेषकर उस हालत में जब हम बुनियादी तरीके से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमें अपने प्रदेश में जनतंत्र को चलाना है और उसकी बुनियादी इकाई यह पंचायत है। थोड़ी देर के लिये यह बात विचार में लाई जा सकती थी कि अगर कुछ जगहों में झगड़े पैदा होते हैं, मनमुटाव पैदा होता है चुनाव के कारण तो क्या इस चुनाव की प्रणाली को छोड़ दें और इस सिलसिले में मूलभूत इकाइयों को बनाने की बात ही छोड़ दें ? सम्भवतः माननीय सदस्य इस बात को पसन्द नहीं करेंगे। किन्तु तसवीर कुछ दूसरी है। इस बात के आकड़े एकत्रित किये गये कि चुनाव में झगड़े की सम्भावना कितने स्थानों में हुई है। निर्विरोध चुने हुये प्रधानों की संख्या २८१५७ है जो ४२ प्रतिशत बैठती है, निर्विरोध गांव पंचायत के सदस्यों की संख्या ५,८०,३७८ है जो ५४.८ प्रतिशत बैठती है। जहां चुनाव निर्विरोध हुए हैं वहां आपसी झगड़े, मनमुटाव की बात नहीं उठती है। ये आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हमारे ग्रामों में लोग इस बात के ख्वाहिशमन्द हैं कि वे मिल जुल कर काम चलाना चाहते हैं और अपने ग्राम की प्रगति करना चाहते हैं। अभी तक जो कुल प्रधान चुने जा चुके हैं ४३ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है और ३ जिलों की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। ६२,७९५ प्रधान अभी तक चुने हैं और ९,२९,१४४ सदस्य चुने जा चुके हैं। इन सदस्यों में १,८०,६४४ अनुसूचित जाति के हैं और आपको प्रसन्नता होगी यह जान कर कि महिलाओं की संख्या जो है वह ७३२ है। श्रीमन्, १७८ सभापति भी महिलायें इस प्रदेश में हैं। अभी तक ५७,६२० गांव पंचायतें निर्मित हो चुकी हैं।

अब मैं आपके समक्ष वे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो झगड़ों के सम्बन्ध में हैं, जिसकी चर्चा सदन में भी आई है। मामूली झगड़ों की संख्या प्रधान पद के चुनाव हेतु केवल ७ हैं और सदस्य पद के चुनाव हेतु केवल १२९ है। जिन झगड़ों में मार पीट की शिकायत आई उनमें प्रधान पद के लिये संख्या २९ है और सदस्य पद के लिये केवल ४३ है। समस्त प्रदेश में जो चुनाव हुए उनमें स्थगित करने की नौबत आई आपसी झगड़े की वजह से, मार पीट की वजह से या अन्य कारणों से, उनमें प्रधान पद के लिये केवल ६८ स्थानों पर चुनाव को स्थगित करना पड़ा और सदस्यों के पद के लिये १६६ स्थानों पर। चुनाव के सम्बन्ध में जो कत्ल हुए जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य पूछना चाहते थे वे ५ हैं।

अब मैं उस चीज के भी आंकड़े माननीय सदस्यों के समक्ष रख देना चाहता हूं जो इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि शासन की ओर से जो यह आदेश गये थे कि जो शिकायतें आईं उन शिकायतों की जांच-पड़ताल की जाय उस सम्बन्ध में यह है कि ३७३ पंचायत मंत्रियों की जांच हो रही थी। इनमें से ३ तो अलाहिदा किये जा चुके हैं और ७१ सस्पेंडेड हैं। ३२ पंचायत निरीक्षक और सहायक विकास अधिकारी जिनमें से २ निलंबित हैं, शेष के खिलाफ जांच जारी है। ७ पंचायत लिपिक हैं जिनमें से एक को अलाहिदा किया जा चुका है, दो निलंबित हैं और शेष की जांच चल रही है। अन्य कर्मचारी जिनके खिलाफ चुनाव के सम्बन्ध में शिकायत आने पर जांच हो रही है १५६ हैं। जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभीतक ७,२१४ पेटीशन्स दायर हुई हैं।

जो मैंने आंकड़े माननीय सदस्यों के समक्ष उपस्थित किये हैं उनसे यह प्रतीत होगा कि पंचायतों के चुनाव अच्छे तरीके से चले हैं। ग्रामीण जनता पंचायतों को चाहती है और पंचायतों के द्वारा अपना विकास करना चाहती है।

श्रीमन्, जो अनुदान पंचायतों के सम्बन्ध में मांगा गया है उसमें एक धनराशि तृतीय पंचवर्षीय योजना के नाम से है जो १६,४२,५०० रुपये की है। इसके अन्तर्गत चार बातें हैं, जो विशेषतया हम करना चाहते हैं। एक तो यह है कि आगे से जिला परिषद् और क्षेत्र

[श्री कैलाशप्रकाश]

समिति का बिल बन जाय तो अबतक जो गांव समाज और गांव सभा, दो पृथक पृथक बाडीज हैं वे एक हों और जो भूमि प्रबन्धक समिति है वह गांव सभा की ही एक उपसमिति बन जाय। इस चीज की देखभाल करने के लिये पंचायत राज डायरेक्टरेट में एक उपसंचालक और उसके स्टाफ की आवश्यकता होगी। एक चीज तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में यह रखी गयी है। दूसरी चीज यह है कि पंचायत मंत्रियों की जो संख्या है वह भी अपने प्रदेश में कम है और इस सदन में भी कहा जा चुका था कि कहीं कहीं इतनी ज्यादा तादाद पंचायतों के एक मंत्री के हाथ में है कि वह सुचारु रूप से काम नहीं कर सकता है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—ग्राम सेवक किस की दवा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—अभी तो मैं पंचायत मंत्री जी बात कर रहा हूं, ग्राम सेवक की बात जहां आयेगी तब देखा जायगा। तो श्रीमन् पंचायत मंत्रियों के बढ़ान की आवश्यकता महसूस होती है। और दूसरे इस बात की भी आवश्यकता महसूस होती है कि जो तनख्वाह उनको दी जाती है, वह कम है, इसके लिये भी कुछ न कुछ किया जाय। ऐसा महसूस होने के बावजूद भी एक सीमा आन के पड़ जाती है कि हम कितना धन उपलब्ध इस बात के लिये कर सकते हैं। इस समय बजट में एक धनराशि रखी गयी है जिसके द्वारा इस बात का प्रयास किया जायगा कि इन पंचायत मंत्रियों को इनके वेतन और भत्ते में कोई सहूलियत दी जाय और यदि संख्या बढ़ाने की जरूरत हो, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में, तो उनकी संख्या भी बढ़ायी जाय।

श्रीमन्, एक तीसरी बात जो इस बजट में रखी गयी है वह पंचायत मंत्रियों की ट्रेनिंग की है। यह बार बार महसूस किया गया है कि पंचायत मंत्री को ट्रेनिंग अच्छी हो तो पंचायतों का काम ठीक चल सकता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस चीज को रखा जा रहा है। इस बजट ईयर में विचार यह है कि १२ केन्द्र स्थापित किये जायं और प्रत्येक केन्द्र पर ३–३ महीने का एक कोर्स पंचायत मंत्री के लिये रखा जाय और एक दफा में ५० पंचायत मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक केन्द्र के ऊपर चार बेचों में २०० मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाय और साल भर में २४०० पंचायत मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाय। अनुमान यह है कि इसमें १७५ रुपया प्रति पंचायत मंत्री व्यय होंगे और इसका भी प्राविधान है। श्रीमन्, यद्यपि यह अनुमान में नहीं है जिसे मैंने उपस्थित किया है लेकिन पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिये एक योजना चालू की गई है। पंचायतों को भूमि सुधारने के लिये, बाग लगाने के लिये, मछलियों का काम करने के लिये और छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाओं को बनाने के लिये पंचायतों को ऋण देना चाहिये। यह दूसरी मांग के अन्तर्गत रखी गई है। यह इस दृष्टि से रखी गई है कि पंचायतों को दृढ़ किया जाय ताकि वह अपना काम अधिक सुचारू रूप से कर सकें।

श्रीमन्, पंचायतें प्रजातंत्र की बुनियादी कड़ियां हैं। इसमें कोई मतभेद नहीं है कि इनको मजबूत करें और जो एक स्वशासन का विकेन्द्रीयकरण जिला क्षेत्र समिति और जिला परिषद् विधेयक के द्वारा होने वाला है उसमें भी पंचायतों को एक विशेष स्थान दिया गया है। ग्रामों में जो विशेष और महत्वपूर्ण कार्य ग्राम सीमा तक सीमित हों उनको करने का पहला अवसर इनको देना चाहिये। इस तरह की व्याख्या की बात श्रीमन्, सोची जा रही है।

प्रश्न यह उपस्थित किया जाता है कि न्याय पचायतों का क्या होने वाला है ? न्याय पंचायतों की अवधि अक्तूबर तक है और जो पहले स्थापित हुई थी उनके लिये प्राविधान यह है कि गांव पंचायतों के लिये जो सदस्य चुने जांय उनमें से न्याय पंचायतों के कलेक्टर द्वारा नामजदगी होगी। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या तरीका होगा, यह विचारणीय है और इस बात पर विचार हो रहा है।

श्रीमन्, इन पंचायतों का हिसाब-किताब ठीक तरह से रखा जा सके इसका भी प्रबंध किया जा रहा है। आडिट शाखा को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसका प्रयास किया जा रहा है कि पंचायतों के वार्षिक हिसाब की जांच-पड़ताल शीघ्र से शीघ्र हो जाया करे जिससे उन्हें भी हिसाब रखने का तरीका मालूम हो जाय और गलतियां कम हों, अगर कहीं बेईमानी होती है तो वह जल्दी ही नोटिस में आजाय। श्रीमन्, मैं कोई आंकड़े देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन जो आंकड़े प्राप्त हुये हैं उनसे प्रतीत होता है कि ये पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में बहुत काफी काम कर रही हैं। टैक्स लगाने की व्यवस्था और टैक्स वसूल करने की व्यवस्था भी अब पंचायतों में काफी सुधर चुकी है और गांव वाले महसूस करते जाते हैं कि यदि गांव की तरक्की करना है तो गांव से ही कुछ पैसा लेकर उसमें लगाने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, यह बात अक्सर सामने लाई गई है कि पंचायत मंत्रियों को बहुत से फार्म भरने पड़ते हैं और उनका बहुत-सा समय उनकी पूर्ति में चला जाता है। एक ऐसी तजवीज बनाई गई है कि हर पंचायत मंत्री को एक रजिस्टर दे दिया जाय, फार्म्स दे दिये जायं और वह अपने क्षेत्र के गांवों के सम्बन्ध में उन सब फार्मों को भर ले और ब्लाक के केन्द्र के ऊपर या पंचायत के निरीक्षक के केन्द्र के ऊपर जब बैठक होती है, तो वहां पंचायत निरीक्षक के केन्द्र पर वह रजिस्टर रख दिये जायं। जब वह जाय तो उस रजिस्टर में इसकी नकल कर आये। उसका नतीजा यह होगा कि पंचायत निरीक्षक के केन्द्र पर वह सब आंकड़े मौजूद रहेंगे, उस गांव के विषय में, जिन आंकड़ों की बहुधा आवश्यकता पड़ती है। बार-बार पंचायत मंत्री को वह फार्म्स भेज कर, उसको भरवा कर, उसके समय को बेकार खोने की आवश्यकता न पड़े, यह भी तरीका पंचायत मंत्री के समय को बचाने का रखा गया है।

यह एक, श्रीमन्, तस्वीर है और ख्वाहिश भी है कि नये पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं, अपने प्रदेश में क्षेत्र समितियां भी स्थापित हो जायं, पंचायतों और क्षेत्र समितियों का सम्बन्ध रखें। पंचायतों के प्रतिनिधि और प्रधान उन क्षेत्र समतियों में रहें, क्षेत्र समितियों के द्वारा तमाम नियोजन और विकास का कार्य चले। इन क्षेत्र समितियों का सम्बन्ध जिला स्तर पर जिला परिषद् या जिला अन्तरिम परिषद् से रहे। यह साधारणतया एक योजना है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रधानों के द्वारा दो अन्तरिम जिला परिषद् में प्रत्येक ब्लाक के प्रधानों का प्रतिनिधि जाता है, उसका भी चुनाव होने वाला है और वह मई के तीसरे या चौथे हफ्ते के प्रारम्भ में शुरू होगा। मुझे विशेष यही बात निवेदन करनी थी। मैं सदन का अधिक समय इस सम्बन्ध में लेना नहीं चाहता। आशा है कि इस मांग को माननीय सदन स्वीकार करेगा और शायद इस बात को कहेगा कि इस मांग में जितना रुपया रखा गया है उससे कहीं ज्यादा रुपया होना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक सूचना चाहता हूं। अभी मंत्री जी ने कहा है कि अदालत पंचायत को अभी अक्तूबर तक चला सकेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अक्तूबर तक किस आधार पर चला सकेंगे, जो अदालत पंच—चुनाव में हार गये हैं, वह इस वक्त कैसे कार्य कर सकेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यक्ष महोदय, मुझे परेशानी है कि माननीय मित्र मेरी बात को कुछ दूसरे ही तरीके से समझ जाते हैं। मैंने यह नहीं कहा कि मैं अदालती पंचायतों का चुनाव अक्तूबर तक करवाऊंगा। मैंने यह कहा था कि जो अदालती पंचायतें चल रही हैं, उनका वैसे तो अक्तूबर तक टर्म है। (व्यवधान) विधान के अनुसार। विधान ने जितनी उनकी अवधि रखी है उस अवधि के अनुसार वह अक्तूबर, १९६१ तक चल सकती हैं। किन्तु जब यह चुनाव हो चुके हैं और जैसे ही पंचायतों के चुनाव पूरे हो जायं, पंचायतें निर्मित हो जायं, जिनमें से न्याय पंचायत के सदस्यों को आना है, हम न्याय पंचायतों के निर्माण करने की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करेंगे।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं अनुदान संख्या ४१ पर राय ले लूं। इसमें कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं है, प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ५,४२,१९,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत अनुदान संख्या १५ में प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना।

मान्यवर, अभी-अभी संबंधित मंत्री ने यह आशा व्यक्त की थी कि कदाचित् यह सदन यही कहेगा कि इस गांव सभा के अनुदान का रुपया बढ़ाया जाय और इसमें कमी न की जाय। मान्यवर, मैं भी उनके आश्वासन के लिये कह देना चाहता हूं कि यह आशा उनकी बिलकुल सही है। कटौती का प्रस्ताव केवल उनकी नीति-रीति की विवेचना के लिये ही प्रस्तुत है। लेकिन यदि हमारी इस विवेचना पर ध्यान न देकर उन्होंने जैसे कि अभी इन गांव सभाओं की व्यवस्था चलती है, वैसे ही इनको चलाया तो जैसे कि उन्होंने स्वयं जिक्र किया कुछ कमियों का और कुछ अन्य बातों का, और उन कमियों के होते हुये यह आशा व्यक्त की कि गांव सभायें सुदृढ़ होती जायेंगी और होती जा रही हैं, तो उनकी वह आशा बिलकुल ही विफल हो जायगी। मान्यवर, यदि गांव सभाओं की सुदृढ़ता न हुई, और यह आशा विफल हुई तो यह विकेन्द्रीयकरण का बुलन्द नारा गिर जायगा और इसके साथ-साथ जनतंत्र पर एक बहुत बड़ा हमला होगा। मान्यवर, गांव सभाओं की आवश्यकता, उनकी अच्छी स्थिति, उनकी व्यवस्था में एक स्थिरता तथा और भी जो आवश्यक चीजें हैं उनका होना उनके अस्तित्व के लिये तथा जनतंत्र की रक्षा के लिये आवश्यक है। उसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि देश और प्रदेश की आर्थिक उन्नति की भी वह रीढ़ बनें। मान्यवर, यह सर्वमान्य राय हो चुकी है और यह देश एवं प्रदेश के बड़े बड़े विद्वानों और राष्ट्र विधाताओं की राय है कि गांव सभाओं का सुदृढ़ होना उतना ही जरूरी है जितना कि जिले या केन्द्र के स्तर पर सरकारों का सुदृढ़ होना आवश्यक है, बिना इसके शासन का काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, जहां यह व्यवस्था की जा रही है वहीं पर जो इस वक्त कमियां दिखाई गई हैं, उन कमियों का निराकरण करना भी आवश्यक है। जितनी ही जल्दी इनका निराकरण किया जायगा उतनी ही जल्दी इनमें जान आयेगी। मान्यवर, मैं इससे इनकार नहीं करता कि इस आवश्यकता को महसूस करते हुये उस ओर यह सरकार अग्रसर हो चुकी है। सही कहने में मुझे कोई संकोच नहीं मान्यवर, लेकिन जहां वह अग्रसर हुई है वहां उसमें प्रगति कितनी आयी है और जो इस वक्त भी उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है चलने का आया वह भी इतने तजुर्बे के बाद, इतने समय के बाद और उस महान उद्देश्य और लक्ष्य को देखते हुये जो कि हमने उसके लिये निर्धारित किया था, उपयुक्त है या नहीं यह विचारणीय है। जो रास्ता गांव पंचायतों के लिये अख्तियार किया गया है वह सही है या नहीं, सफल होगा या नहीं, इसमें मुझे आशंका है और इसीलिये कटौती को पेश करके मैं संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, यह देखें कि आज गांव के स्तर पर गांव सभाओं को गतिशील बनाने के लिये यह आवश्यक है कि गांव के स्तर के जितने भी मामलात हों चाहे वह किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी विभाग के हों वह गांव सभाओं के द्वारा होने चाहिये और उनका नियंत्रण भी उन्हीं के द्वारा होना चाहिये। गांव सभाओं को शक्तिशाली बनाने के लिये, उनको अग्रसर बनाने के लिये यह जरूरी है कि उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार और हर प्रकार के अधिकार दिये जायं।

मान्यवर, सन् ४७ में पंचायत राज ऐक्ट का निर्माण इस सरकार के द्वारा हुआ था और उसे देखा जाय जो ड्यूटी और फंक्शंस उसमें दिये हुये हैं वही आज भी चले आ रहे हैं। आज १९६१ चल रहा है, १४ वर्ष बाद भी जो उस वक्त उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित थे, जो गांव सभा का नक्शा उस वक्त बनाया था, जो हमने अपने दिमाग में गांव सभा की इकाई कैसी होनी चाहिये नक्शा खींचा था उस नक्शे की कहां तक पूर्ति की गयी, अगर इसका विवेचन सही सही किया जाय तो माननीय मंत्री जी की यह आशा कि वे सुदृढ़ होंगी, सक्रिय होंगी, पूरी होने में मुझे शंका है। मान्यवर, इस ऐक्ट में इनके उद्देश्य और लक्ष्य दिये हुये हैं और उनमें बहुत सी बातें हैं। जो भी डेवलपमेन्ट के कार्य राज्य से जिले के स्तर पर पहुंचने वाले हैं उन की व्यवस्था ऐक्ट में पहले ही कर दी गयी थी जब शायद यह महसूस भी नहीं किया गया था कि किसानों को प्राथमिकता दी जाय, उस समय यह काम उनको दिया गया था। उनकी यह ड्यूटी चैप्टर चार में भी दी गयी हैं और मैं आपकी इजाजत से उसे थोड़ा-सा पढ़ देना चाहता हूं। श्रीमन्, वह अंग्रेजी में इस प्रकार है :--

"It shall be the duty of every Gaon Panchayat so far as its funds may allow to make reasonable provision within its jurisdiction for—

(*a*) construction , repair, maintenance, cleansing and litghting of public streets :

(*b*) medical relief :

(*c*) sanitation and taking curative and preventive measure to remove and to stop the spread of an epidemic :

(*d*) upkeep, protection and supervision of any buildings or other property which may belong to the Gaon Sabha or which may be transferred to it for management :

(*e*) registering births, deaths and marriages, and maintenance of the register mentioned in section 9 :

(*f*) removal of encroachments on public streets, public places and property vested in the Gaon Sabha :

(*g*) regulating places for the disposal of the dead bodies of human beings and animals and of other offensive matter :

(Panchayat Raj Act Chapter IV)"

मान्यवर, इसमें बहुत फंक्शंस दिये हुये हैं, पढ़ने में देर लग जायगी, लेकिन आगे इसमें यह भी है कि स्टैब्लिशमेंट ऐंड कंट्रोल आफ दि प्राइमरी स्कूल्स ऐंड आयुर्वेदिक स्कूल्स, टु एसिस्ट वर्क इन दि डेवलपमेन्ट आफ एग्रीकल्चर, इम्प्रूव्ड सीड्स, इटसेटरा, इटसेटरा। इसके अतिरिक्त पशुपालन और काटेज इंडस्ट्रीज आदि के लिये भी दिया गया है। रेवेन्यू के लिये भी इसमें प्राविधान है और पढ़ने से यह बहुत लम्बी फेहरिस्त मालूम पड़ती है। हमें देखना है कि सरकार की उस वक्त जो नीयत थी उसमें उन्होंने कितनी तरक्की की है। मिसाल के लिये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। सदन में बार-बार आवाज उठती है और जिला बोर्ड आदि जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मांग थी कि प्राइमरी स्कूलों का कंट्रोल, स्थापना आदि सारा इंतजाम गांव सभाओं को दे दिया जाय। श्रीमन्, देखने की बात यह है कि सरकार की नीयत थी इन गांव सभाओं को सुदृढ़ बनाने की ताकि ये जनतंत्र की रीढ़ बन सकें, लेकिन क्या वे गांव सभायें प्राइमरी स्कूल्स नहीं चला सकतीं ? उसके एक या दो मास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकतीं ? आज १४ साल बाद सरकार ने महसूस किया है कि गांव पंचायतों के बिना काम नहीं चलने वाला है और जनतंत्र का यह तकाजा है और इसके बिना जनता की दिलचस्पी विकास काम में नहीं हो पा रही है। और बिना जनता की दिलचस्पी के सरकार का काम चलने वाला नहीं है और

[श्री रामशरण यादव]

न कोई तरक्की होने वाली है। तो क्या यह महसूस नहीं किया जा सकता कि प्राइमरी स्कूल्स और पांड हाउसेज की वह व्यवस्था कर सकते हैं? जिन ड्यूटीज का प्राविधान किया गया था उनका कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया और उसमें ढिलाई बरती गयी है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के लिये, इरिगेशन की स्माल स्कीम्स के लिये, सीड स्टोर के लिये तथा अन्य कई कामों के लिये गांव सभाओं को ऋण देना मंजूर किया है। किन्तु मान्यवर, यह कौन नहीं जानता कि आज ग्राम सभाओं की स्थिति क्या है। अगर उनको ऋण दिया जायेगा तो वे कहां से उसे दे पायेंगी?

माननीय मंत्री जी के पास एक ही बहस है कि गांव सभाओं के पास फंड्स नहीं थे, आमदनी के जरिये नहीं थे, इसलिये उक्त कार्य नहीं कर पाये। मान्यवर, आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको आमदनी के जरिये कहां से हो सकते हैं। जिस वक्त यह प्राविधान किया गया था उस समय भी हमारे सामने यह बात थी कि उनके पास आमदनी के कोई जरिये नहीं हैं। हमें उनकी अब आमदनी के जरिये निकालने होंगे। जहां-जहां भी जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है, उनको अनुदान दिया जा रहा है, क्या वहां पर उनकी आय के साधन नहीं जुटाये जा रहे हैं? वह सभी जुटाये जा रहे हैं। हर काम के लिये अनुदान दिया जाता है।

मान्यवर, यहां सदन में बार-बार यह राय व्यक्त की गयी कि अगर गांव सभाओं को सक्रिय बनाना है तो उनको अधिक से अधिक जिम्मेदारी दीजिये। उनको यह महसूस करने दीजिये कि देश स्वतंत्र होने के बाद उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अगर आप ग्रामीण स्वराज्य चाहते हैं तो उसके लिये आपको उनके ऊपर ही जिम्मेदारियां डालनी होंगी। उनको अधिकार भी देने होंगे, उनको आप यह महसूस करने दीजिये कि वे भी स्वतंत्र हो गये हैं।

मान्यवर, आज जिस प्रकार का सेक्रेटेरियट हम यहां पर देखते हैं, जिस तरह की पुलिस फोर्स यहां पर है, माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि सरकार यहां पर बैठी हुई है, उसी प्रकार आप वहां पर भी एक सेक्रेटेरियट कायम कीजिये। वहां के रहने वालों के लिये, गरीब और अमीर सभी लोगों के लिये, आप एक सेक्रेटेरियट सा कायम कीजिये। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपने जो ग्राम स्वराज्य की कल्पना की है वह पूरी हो सकेगी।

मान्यवर, जहां मैंने यह कहा है कि उनको जिम्मेदारियां दीजिये, वहां मैं यह भी चाहता हूं कि आप उनको पावर्स भी दीजिये। जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाय, उसके लिये उनको पावर्स भी दी जायं। आज उनको जिस प्रकार की पावर्स देनी चाहिये, वह सरकार ने नहीं दी हैं। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार के ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी, उसमें उन्होंने इस बात को भी माना था कि उनको न्याय सम्बन्धी पावर्स न दी जायं। सरकार ने उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी के नाम पर, उनको सिविल पावर्स भी ५०० रुपये तक के मुकदमों की सुनवाई की दे दी। मान्यवर, कानून के अन्दर एक एक लफ्ज के कई कई मानी होते हैं और उसका कई तरह से इन्टरप्रीटेशन किया जाता है। लेकिन वह पावर्स उनको दी गयीं। साथ ही जो पावर्स उनको दी जानी चाहिये थी, उसको सरकार ने देकर के वापस ले लिया। रेवेन्यू पावर्स उनको दी गई थीं, उनको सरकार ने वापस ले लिया। उस दिन राजस्व मंत्री जी ने फरमाया था कि वह पावर्स ले ली गयीं, क्योंकि वह डर के कारण उस कार्य को कर नहीं पाते थे। मान्यवर, यह बड़ी विचित्र बात है कि सिविल पावर्स तो आप उनको देते हैं जो उनके अन्दर गुटबन्दी पैदा करते हैं, किन्तु रेवेन्यू की पावर्स जिनको देना चाहिये था, उनको देकर वापस ले लेते हैं। एक बात छोटी-सी कही गयी, मालगुजारी की बात। उस दिन राजस्व मंत्री ने कहा कि पता नहीं मालगुजारी कैसे वसूल की जायगी। यह कुर्क अमीन जो रेवेन्यू के हैं, इनकी पावर्स को अगर छीन लिया जाय, चपरासी न दिया जाय और उसे हिफाजत के साधन न दिये जायं, तो आप स्वयं अन्दाज कर सकेंगे कि रोज आये दिन दफा ५२ के मामले आपके सामने उठा करेंगे,

स्टेटमेंट मांगे जायेंगे कि फलां कुर्क अमीन क्यों लुट गया, ३३२ के मामलों का ढेर लग जायगा और हममें से दो-चार लोग भी चाहे कुछ करें या न करें, फंस अवश्य जायेंगे। जहां अधिकार दिया जाता है, वहां उसके अनुसार ताकत दी जाती है। क्या तहसीलदार वहां रहता है, महज चौकीदार रहता है और वह कुर्क अमीन है और सारा कलेक्शन का काम करता है? और यही साधन गांव पंचायत को दिये जायं तो वह अच्छी तरह से राजस्व वसूल कर सकती है, यह मैं दावे के साथ और चुनौती देकर कह सकता हूं।

(इस समय १२ बजकर ५६ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री गयाबख्शसिंह पीठासीन हुये।)

मैं आपके द्वारा मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को ठीक ढंग से चलाना है तो उसके लिये कोई न कोई स्थायी आमदनी का रास्ता अवश्य निकालना पड़ेगा और उसकी जरूरत के मुताबिक उसको धन देना पड़ेगा। शुरुआत के लिये तो यह बहुत आवश्यक है। बारबार हमने कहा कि जो राजस्व है, सरकार को करीब २१ करोड़ जैसा कि मुझे मालूम हुआ है, मिलता है, उसका २५ फीसदी गांव सभाओं को दे दिया जाय। इस तरह से सरकार को सवा पांच करोड़ का घाटा होगा। कहा जाता है कि फिर सारी राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी? मंत्री जी की इत्तला के लिये कह देना चाहता हूं कि इस वक्त जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनकी तनख्वाह कहां से जाती है? लेखपालों की तनख्वाह कहां से जाती है? कुर्क अमीनों की कहां से जाती है? यह सब रेवेन्यू से जाती है और वही रेवेन्यू गांव सभाओं के द्वारा खर्च किया जाय तो क्या घाटा हो सकता है? मान्यवर, तनख्वाह तो आप देते हैं, फर्क इतना पड़ जायगा कि राज्य सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि गांव वालों के पास वह ताकत पहुंचेगी। गांव सभाओं के पास ताकत होगी और आपके जरिये से न देकर गांव सभाओं के द्वारा तनख्वाह दी जायेगी। कौन सा इसमें बड़ा भारी फर्क आने वाला है और कौन-सी लीगल परेशानी है? मेरी समझ में नहीं आता कि बारबार हीले, बहाने क्यों किये जाते हैं, इसे तो यह कहा जाय नीयत में भी कुछ शक की गुंजायश है तो कोई बेजा न होगा। मैं मंत्री जी की सूचना के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांव सभा से संबंधित जितने भी गांव स्तर पर अफेयर्स हैं, अगर राज्य को सबल इकाई बनानी है तो जैसे राज्य सरकार की व्यवस्था यहां पर चलायी जाती है, जैसे कि जिला स्तर पर कोआर्डिनेशन की पावर्स जिला हेड्स को दे रखे हैं तो गांव सभा को उन पावर्स को देकर मजबूत करना पड़ेगा। आप बहाना नहीं कर सकते हैं। यह मैं मानता हूं कि उन्होंने हिम्मत की, यह कह कर कि चाहे फौजदारी हो या न हो, चुनाव अवश्य होंगे और हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, और न हटना चाहिये और इधर के बैठने वाले आश्वासन देते हैं कि इस मामले में वह उनके साथ हैं। लेकिन उन्होंने यह एक नयी बात कही कि चुनाव की वजह से गांव में बड़ी अव्यवस्था हो गयी है, बड़ी गुटबन्दी है। लेकिन यह गुटबन्दी गांव पंचायत के चुनाव से नहीं हुई है और यह महज एक गलतफहमी है। हमारे सामने संचालक, पंचायत-राज विभाग बैठे हुये हैं। मैंने उनकी तकरीर रेडियो में सुनी। मितव्ययिता के लिये गांव में कटुता नहीं बढ़ने देना चाहिये। अगर गांवों में कटुता नहीं थी तो फिर उस रेडियो भाषण का प्रबन्ध करने की क्या आश्यकता पड़ गई। चुनाव में फौजदारियां हुईं, क्या यह कटुता का प्रमाण नहीं है? लेकिन मैं यह नहीं कहता कि इसके कारण चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया जाय।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। एनुवल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि गांव सभाओं में अब हाजिरी भी अच्छी होती जा रही है। पहले जो कोरम नहीं पूरा हुआ करता था उसमें सुधार हो रहा है। लेखा-जोखा भी अब ठीक रहता है। कटुता भी एक कारण था कि उपस्थिति नहीं हो पाती थी। कटुता को दूर करने के संबंध में माननीय नेता विरोधी दल ने अपने बजट भाषण में कहा था कि प्रधानों का चुनाव पंचायतों के पंचों द्वारा होना चाहिये। यह बिलकुल सही बात है। आखिरकार उधर के बैठने वाले जनतंत्र के जितने हिमायती हैं उतने इधर के बैठने वाले भी हैं। यह हो सकता है कि विचारधारा में कुछ फर्क हो लेकिन इधर के बैठने वाले

[श्री रामशरण यादव]

भी इस बात का दावा करते हैं कि जनतंत्र होना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा जनता का प्रतिनिधित्व हो। अगर पंचों द्वारा प्रधान चुना जाय तो बहुत कुछ कटुता कम हो सकती है। आज मान लीजिये एक प्रधान के चुनाव के लिये किसी ग्राम सभा में ४–५ उम्मीदवार खड़े हो गये, हजार डेढ़ हजार वोटर हैं तो उसमें चार पांच ग्रुप हो जायेंगे और अगर बीस, तीस पंचों को ही चुनें, हो सकता है उनमें कुछ कटुता हो जाय लेकिन वह कटुता ज्यादा दिन नहीं रहेगी, इतने ज्यादा ग्रुप्स ज्यादा दिन नहीं रहेंगे वह फिर एक हो जायेंगे और प्रधान पर उनका कंट्रोल रहेगा।

मान्यवर, यह कौन से जनतंत्र का सिद्धांत है कि प्रधान चुना तो सीधे जाय लेकिन उसके रिमूवल सस्पेंशन का अधिकार सरकारी अधिकारियों को हो। क्या यह विरोधाभास नहीं है? इसलिये मंत्री जी को इस पर सोचना चाहिये। पंचों का चुनाव भी बैलट से होना चाहिये। जब पहले मांग की गयी थी तो कहा गया कि चुनाव में बड़ा खर्चा होगा। मान्यवर, पंचों की नामिनेशन फीस से ही काफी वसूल हो सकता है। इसलिये गुप्त तरीके से बैलट के द्वारा पंचों का चुनाव होना चाहिये और अच्छे आदमियों का चुनाव सरपंच के स्थान पर पंचों द्वारा होना चाहिये। यही चुनाव प्रणाली होनी चाहिये।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि गांव सभाओं को एफेक्टिव बनाने के लिये इधर से जो सुझाव दिये गये उस पर उनको ध्यान देना चाहिये। यह कहा गया था कि गांव सभाओं में बड़ा भ्रष्टाचार है। पुलिस विभाग में भी बड़ा भ्रष्टाचार है। पुलिस विभाग के संबंध में जैसी कि अक्सर इस सदन में आवाजें उठती रहती हैं कि वह गांव वालों पर हावी है, इसका क्या उपाय होना चाहिये? उपाय यह है कि आप गांव वालों की हैसियत को बढ़ाइये। गांव स्तर पर जो लेखपाल इत्यादि हैं वह गांव सभा के नियंत्रण में आने चाहिये ताकि गांव सभा की हैसियत बढ़े। मेरा यह भी सुझाव है कि पुलिस में जो इब्तदाई रिपोर्ट लिखी जाती है वह गांव सभाओं में लिखाने का अधिकार होना चाहिये। मान्यवर, जब ये सारी बातें होंगी, जब उनको ये सारी पावर्स होंगी तब जाकर गांव सभायें सफल होंगी।

एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह कि आजकल सरकार की ओर से सहकारी समाज का नारा लगाया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उनको एक सुझाव देना चाहता हूं कि सिंचाई की मद में कुओं के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह व्यक्तिगत लोगों को दिया जाता है, अगर वे लोन्स अथवा अनुदान गांव समाज को दिये जायं तो अधिक अच्छा होगा और इस प्रकार से उनको एफेक्टिव बनाया जा सकेगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी––श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की सूची में अनुदान संख्या ४१ मौजूद है और हम लोगों को जो प्रोग्राम मिला था उसमें यह था कि इस पर भी विवाद होगा। इसके साथ-साथ हमें एक करेक्शन स्लिप भी मिली थी उसमें भी यह नहीं था कि इस पर बहस नहीं होगी। लेकिन आश्चर्य कि यह कैसे हो गया। या तो माननीय नेता विरोधी दल के कहने पर या किसी और प्रकार से। मान्यवर, ग्रांट नम्बर ४१ जो प्रकीर्ण व्यय की ग्रांट है, यह बहुत आवश्यक है, इसमें जिला बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड सभी आ जाते हैं। इस पर बहस न होने से इतने आवश्यक विषय रह जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता––इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है। इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। यह तो पास हो चुका है।

श्री मोतीलाल अवस्थी––मैं उसी व्यवस्था पर ही तो व्यवस्था चाहता हूं। आप इस समय अध्यक्ष के स्थान पर बैठे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष को गलतफहमी करायी गयी। आप पिछली रूलिंग पर पुनर्विचार कर सकते हैं। वह अनुदान विवाद करने योग्य है।

श्री अधिष्ठाता––इस पर अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है। जब दूसरी ग्रांट चल रही हो तो पिछली पर विचार नहीं किया जा सकता।

***श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद)––अधिष्ठाता महोदय, अभी जो एतराज उठाया गया, वह बात बिलकुल सही है। यह भी ठीक है कि अब इस ग्रांट नम्बर ४१ पर कोई बहस न हो सकेगी। लेकिन मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस सदन और खास तौर से माननीय मंत्री जी के साथ बहुत अनफेयरनेस हुई क्योंकि उन्होंने हाउस के सामने यह ग्रांट पेश की, उस पर तकरीर की और उस तकरीर के बारे में उनको जो सदन की राय मिलनी चाहिये थी, वह राय उनको न मिल सकी और सदन को उस राय को जाहिर करने का मौका न मिल सका।

जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुहकमे का ताल्लुक है यह एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम हिस्सा है। हम लोग इस बात को सुनने के फिकरमन्द थे, २ अक्तूबर को जो चुनाव होने वाले थे क्या उनको मुल्तवी कर दिया गया और जिला परिषद् का जो बिल आने वाला था वह कब तक मुकम्मिल हो जायगा? इसलिये कि जो मौजूदा अन्तरिम जिला परिषद् हैं उनकी मियाद ३० जून को समाप्त होने जा रही है। उम्मीद है कि वह अब तक तैयार हो गया होगा। वह ख्वाहिश तो हमारी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन एक बात मैं जरूर अर्ज कर देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो अभी तकरीर की उससे बेशक हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मेरी मालूमात में उतना इजाफा नहीं हो सका जितनी कि मेरी ख्वाहिश थी। मुझे बेशक वे तमाम आंकड़े मिल गये जो उन्होंने पेश किये और उन्होंने शायद यह सही फरमाया कि पंचायतों के आम चुनाव जो इस सूबे में हुए वे मजमुई हैसियत से काबिले इत्मीनान हुये। लेकिन इससे ज्यादा हम लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या तस्वीर हमारे सामने आने वाली है। हम यह भी जानना चाहते थे कि आज से बहुत वर्ष पहले खेर कमेटी की जो रिपोर्ट इस सूबे के अन्दर हुई थी और जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी उसमें से कौन-सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तीसरी पंचवर्षीय योजना के जमाने में पूरी होने की आशा है। खासतौर से दो बातें हम मालूम करना चाहते हैं और उनमें से एक यह है कि इस सूबे के अन्दर कब तक प्रोविंशियलाइजेशन लोकल बाडीज को सर्सिवेज का हो सकेगा और दूसरे यह कि कब तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का प्राविन्शियल बोर्ड इस सूबे के अन्दर कायम हो जायेगा, जिसके जरिये से सरकार का भी कुछ काम हल्का होगा और पब्लिक ओपीनियन और ज्यादा जोरदार तरीके पर लोकल बाडोज के साथ एसोसियेट को जा सकेगी। लेकिन ४१ नम्बर की ग्रांट जब खत्म हो गई और गांव समाज और गांव पंचायत पर बहस शुरू हो गई, तो मैं नहीं जानता कि किस हद तक यह मुनासिब होगा कि हम मिनिस्टर साहब को फिर तकलीफ दें कि इस संबंध में वह फिर रोशनी डालें। लेकिन यह सवाल है जो आज जनता के सामने है और जिससे लोगों का दिमाग एजीटेट होता है और वह इसे जानने की कोशिश करते हैं।

जहां तक गांव समाज और गांव पंचायत का ताल्लुक है, मैंने जैसा शुरू में अर्ज किया कि जो आंकड़े माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं उनसे बड़ी तस्कीन होती है और यह इसलिये होती है कि हमारे यहां के इलेक्शन मजमुईतौर पर एक इत्मीनानबख्श तरीके पर हो गये। लेकिन जहां तक पंचायतों के इलेक्शन का ताल्लुक है, लोगों के दिल में एक तकलीफ है और कम से कम इस बात को महसूस किया जाता है कि इसमें अभी और इम्प्रूवमेंट की गुंजायश है। हमें याद है कि अब से ५–७ वर्ष पहले जब जमींदारी कायम थी तो देहातों के अन्दर खास तौर से अख्तियारात जमींदारों के हाथ में थे लेकिन जब वह फ्यूडल सिस्टम टूटा और पंचायतराज कायम हुआ तो इस बात की सही तौर पर आशा की गई कि वह अख्तियारात वहां की पब्लिक के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

हाथ में आयेंगे और वह आये। लेकिन इसके साथ-साथ यह बात भी जाहिर है कि काफी तादाद में इस बात को शिकायत है कि बाज-बाज जगह जो नुमाइंदे आये वह सही किस्म के नहीं थे।

एक कदम जो पिछले इलेक्शन में उठाया गया वह बहुत अच्छा था और उसका नतीजा भी इत्मीनानबख्श है। वह कदम था कि हमारे प्रधानों के चुनाव सीक्रेट बैलेट से हुये और हम समझते हैं कि इससे हमारे यहां बहुत से बेहतर किस्म के आदमी आये। लेकिन जो हमारा पिछला चुनाव सदस्यों का हुआ वह उसी तरह से हुआ जैसे पहले हाथ उठाकर होता है। इसमें भी सुधार की जरूरत है। इसके सिलसिले में फाइनेंसेज का सवाल पैदा होता है। यह होता है कि काफी रुपये की जरूरत होगी और वह रिसोर्सेज शायद हम मुहैया नहीं कर सकते। लेकिन मैं सरकार के नोटिस में इस बात को लाना चाहता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है और आयंदा चुनाव के लिये काफी मौका है, इस अर्से में हम विचार करें और साधन पैदा करने की कोशिश करें ताकि आयंदा जब पंचायत के चुनाव हों तो प्रधानों और सदस्यों दोनों के चुनाव सीक्रेट बैलट से हो सकें।

एक बात बराबर सामने आती है और वह यह है कि पंचायत का और जिला परिषद् का रिश्ता क्या हो। अभी जो बिल हमारा कौंसिल में पेश है, जिसमें मुस्तकिल जिला परिषद् बनाये जायेंगे, वह तो तस्वीर आने को है। लेकिन जहां तक पंचायत का ताल्लुक है और जिला परिषद् का ताल्लुक है, जो हमने पंचायत बना दी है और लोकल बाडीज की एक नई पिक्चर बना रहे हैं तो उस वक्त जिला परिषद् की क्या पोजीशन है उस बात को भी दोहराने की जरूरत है। खासतौर से इसलिये कि हमारी पंचायतों के फायनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम हैं जो सबसे बड़ी दिक्कत पंचायतों को महसूस होती है वह यह है कि उनके पास पैसा नहीं है जिससे वे इनीशियेटिव ले सकें और कुछ काम कर सकें। हो सकता है कि अगर जिला परिषद् की तस्वीर में उनको देखा जाय तो अगर जिला परिषद् सुपरवाइजरी बाडी हो जाय तो हम पंचायतों को ज्यादा रिसोर्सेज दे सकते हैं और ज्यादा कारगर बना सकते हैं लेकिन यह खयाल इसलिये ज्यादा गौर के काबिल बन गया है कि जिला परिषद, पंचायत और क्षेत्रीय समिति जो नये कानून के मातहत अब स्टेटुटरी जगह मिलने वाली है—यह तीन-तीन जगहों पर वर्क का डुप्लीकेशन होगा और काम भी बढ़ेगा और शायद उतना अच्छा कोआर्डिनेशन हम न कर सकें जितना हो सकता है। यह बड़े तफसील से गौर करने की बात है लेकिन यह एक आइडिया दिया जा सकता है और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जब गवर्नमेंट को चाहिये कि वह एक कमेटी बनावे और उसके जरिये से इस बात को गौर करे कि जो लोकल बाडीज काम कर रही हैं यानी जिला परिषद्, ब्लाक्स और गांव पंचायतें इनकी रूपरेखा आइंदा क्या हो।

एक चीज इस सिलसिले में मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि जो इस वक्त हमारी पंचायतें काम कर रही हैं, अभी एक दोस्त ने यह सवाल यहां पर उठाया था कि हमारे पंचायतों के सेक्रेटरी हैं, हमारे ग्राम सेवक हैं और हमारे लेखपाल भी हैं और यह सवाल बहुत अर्से से जेरे गौर भी रहा है और इस पर गौर भी हुआ है। अभी तक कोई हल उसका नहीं निकल सका है लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक कोई आखिर फैसला न हो तब तक के लिये माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि मुकम्मिल फैसला लेने में तो बहुत गौर करने की जरूरत होगी, उसके रिसोर्सेज का सवाल उठेगा, ऐडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम का सवाल उठेगा लेकिन बहरहाल इस सिलसिले में कोई न कोई फैसला अंतिम जल्द अज जल्द होना चाहिये ताकि उसको इम्प्लोमेंट किया जा सके।

अभी मैं पंचायत के रिसोर्सेज की बात कह रहा था और मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई दो राय भी नहीं है कि इस वक्त पंचायतों के जो रिसोर्सेज हैं वह बहुत मामूली हैं और २५० रुपये तक एक यूनिट पर आते हैं जिससे वह कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। तो इस बात का जल्दी फैसला होना चाहिये कि पंचायतों को क्या रिसोर्सेज दिये जा सकते हैं

या यह होना चाहिये कि गवर्नमेंट का जो पूल है उसमें से कोई हिस्सा उसके लिये ईयरमार्क होना चाहिये, कोई परसेंटेज गवर्नमेंट के एक्सचेकर का लोकल बाडीज और खास तौर पर गांव पंचायतों के सिलसिले में ईयरमार्क कर दिया जाय ताकि वे उससे अपना काम चला सकें।

एक चीज मैं आखिर में और अर्ज करना चाहता हूं और उसका मतलब सिर्फ मंत्री जी से नहीं बल्कि इस सदन के सभी लोगों से है और वह चीज यह है कि जहांतक पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव का सवाल है वह पार्टीबन्दी से ऊपर की चीज होनी चाहिये। इस वजह से कि जहां तक लोकल बाडीज में काम करने का ताल्लुक है जो लोग वहां जाते हैं उनके सामने कोई पोलिटिकल ईश्यू नहीं होता। उनके सामने सिर्फ यही फैसला करना होता है कि किस शख्स को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा जाय जो अपने क्षेत्र के लिये डेवलपमेंट के काम कर सकें और इसमें कोई पोलिटिकल सवाल नहीं आता। पोलिटिकल सवाल तो असेम्बली, पार्लियामेंट में आते हैं, वहां ईश्यूज पर बहस हो सकती है और फैसले लिये जा सकते हैं लेकिन जहां तक लोकल बाडीज और खास तौर से ग्राम पंचायतों का ताल्लुक है यह ब्लाक कमेटीज का ताल्लुक है वहां ऐसा सवाल नहीं हो सकता। तो इसमें तो कम से कम अगर ऐसा कोई कन्वेंशन हो जाय कि जिसके मातहत लोगों को आजाद छोड़ दिया जाय ताकि मुकामी लोग अपनी जरूरतों के एतबार से अपने ईश्यूज को हल करें तो मैं समझता हूं कि जो लोकल बाडीज को दिक्कतें हैं, जो उनकी मुसीबतें हैं कि इनके अन्दर सही आदमी नहीं आते वह खत्म हो जायं, हमको ज्यादा बेहतर किस्म के आदमी मिल सकें और हमारा काम अच्छी तरह से चल सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने खयालात को जाहिर कर सकूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो हमारे सामने आज अनुदान है इसको चौखम्भा राज्य के नाम से हम कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस दृष्टि से कि गांव पंचायतें, जिला पंचायतें, सूबा पंचायत और केन्द्रीय पंचायत से अलग नहीं की जा सकती हैं। सवाल इस बात का है कि जो गांव पंचायतें हैं उनके गठन का संबंध सूबा पंचायत और केन्द्रीय पंचायत से कितना रहता है। जो वस्तुस्थिति है वह यह है कि जो गांव पंचायतें हैं वे अपने सच्चे स्वरूप में नहीं हैं। इनमें क्या कमी है और क्या गड़बड़ियां हैं उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्रीमन्, अभी हाल ही में गांव पंचायतों के चुनाव हुये हैं और इन चुनावों में जो इन गांव पंचायतों के संगठन के सिलसिले में स्थिति हुई है उसको मैं आप की आज्ञा से सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। यह शिकायत आम है और खुद माननीय मंत्री जी ने भी बतलाया है कि किस तरह से अनियमित ढंग से नामजदगी के पर्चे खारिज किये गये हैं, किस तरह से मतदाता सूची आखिरी समय तक पूरी नहीं हुई और किस तरह से अदला बदली होती रही। जो गांव के प्रसिद्ध लोग थे, पुराने गांव पंचायत के सदस्य थे वे भी गांव की मतदाता सूची में नहीं आ सके। इस प्रकार की शिकायतें आई हैं जिससे चुनाव सही रूप में नहीं हो सका। श्रीमन्, मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि कुछ कांग्रेसी लोगों के असर से चुनाव संचालक पंचायत राज हैं उन्होंने भी कुछ अवैधानिक कार्यवाहियां की हैं। मुझे बनारस का एक केस अच्छी तरह से याद है कि वहां पर श्री बचऊराम यादव पंचायत के सभापति चुन लिये गये थे और शपथ भी ले चुके थे लेकिन इसके बाद ही यहाँ से चुनाव डाइरेक्टर ने उनका नाम खारिज कर के दूसरे आदमी को सभापति बना दिया। वहां की जनता इस बात को जानती है कि बचऊराम अच्छा आदमी है लेकिन डाइरेक्टर ने जनमत की उपेक्षा कर के दूसरे ही आदमी को वहां पर रख दिया। श्रीमन्, ऐसे उदाहरण हैं कि जो लोग गांव पंचायतों के सदस्य थे उनको भी मतदाता सूची में नहीं रखा गया। हमने इस तरह की शिकायतें कानपुर में देखी हैं जिनको हम ने खास तौर से ए० डी० एम० पी० के सामने भी रखा और उनको बताया कि पुराने ग्राम पंचायत सदस्य तक को मतदाता सूची में नहीं रखा

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

है। फलतः वह गांव सभापति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके जबकि उनको इस चुनाव में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार था। इस तरह की शिकायतें केवल एक ही ग्राम पंचायत से नहीं हैं बल्कि हजारों की तादाद में इस तरह की शिकायतें हैं। बहुत से लोग तो पढ़े-लिखे न हैं हैं जिसके कारण वे लिख कर नहीं दे सके कि हमारे साथ यह ज्यादती हुई है। लेकिन हजारों शिकायतें आप को मिलेंगी जिसमें यह कहा गया है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है। श्रीमन्, विधान सभा के सदस्यों के लिये मतदाता सूची बनाई गई है और वह सन् ६० में संशोधित भी की गयी थी। उस मतदाता सूची के अनुसार आसानी से चुनाव कराया जा सकता था और उसमें ज्यादा ईमानदारी भी रहती तथा बेईमानी करने का मौका नहीं रहता और खर्चा भी नहीं के बराबर था।

इसके अतिरिक्त गांव पंचायतों के पंचों का जो चुनाव हुआ है उस में भी धांधलेबाजी हुई है, झगड़े हुये हैं और लाठियां तक चल गयीं हैं क्योंकि खुली हुई प्रणाली थी और चुनाव हाथ उठाकर हुआ था। यहां पर कई बार कहा गया कि गुप्त प्रणाली रखी जाय। आप ऐसा कीजिये कि एक गांव को वार्ड्स में बांट दीजिये और फिर गुप्त प्रणाली से चुनाव रखिये तो इस तरह से हर एक मुहल्ले का प्रतिनिधि आ जायेगा।

इसके अलावा मैं इस बात पर आना चाहता हूं जिस के सम्बन्ध में तमाम प्रदेश में आज चर्चा है कि ये गांव पंचायतें तभी सफल होंगी जबकि इनका जिला पंचायतों से भी सम्पर्क होगा। गांव पंचायतों पर जिला पंचायतों का प्रभाव है, जिसको हम जिला परिषद् कहें या जिला बोर्ड पुराने तरीके पर कहें लेकिन वे गांव पंचायतों से उतनी ही सम्बन्धित हैं और उनकी ईमानदारी और बेईमानी का असर गांव पंचायतों पर भी पड़ा करता है, क्योंकि वही अधिकारी गांव पंचायतों में भी दखल रखते हैं और जिला परिषदों में भी अपना हाथ डालते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीमन्, यदि आप की आज्ञा हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं लेकिन उस को कहने के पहले मैं एक बात का धन्यवाद गृह मंत्री जी को देता हूं कि उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को अधिक तादाद में हिस्ट्री शीटर में दिखला कर के यह सिद्ध कर दिया है कि हम उसी प्रकार के लोग हैं जिस तरह से अंग्रेज के जमाने में राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग हिस्ट्री शीटर थे, जिनमें डाक्टर सम्पूर्णानन्द, श्री प्रकाश जी और राहुल सांकृतायन जैसे लोग आते रहे हैं, तो मैं यह जानता हूं कि किस तरह से कांग्रेस के यह लोग राष्ट्र को पतनोन्मुखी बनाने जा रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता---इसका अनुदान से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---श्रीमन्, यह तो केवल भूमिका के तौर पर मैंने बात कही है, तो मैं यह अर्ज कर रह था कि हिस्ट्री शीटर बनाने से क्या सरकार की मंशा यह है कि आप हमको देश के चुनावों में खड़े नहीं होने देंगे? यह एक बात थी श्रीमन्, जिसको सुनने के बाद मेरे लिये कुछ कहना लाजिमी हो गया था। कुछ बातों को कहने के लिये मेरी मजबूरी है अतः हम कैसे अपने कर्त्तव्य से विमुख हो जायं? इसलिये मैं उन सारे तत्वों को रखना चाहता हूं। श्रीमन्, बाराबंकी जिला यहां से बहुत दूर नहीं है, नजदीक है, माननीय मंत्री जी इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि वहां पर क्या-क्या खराबियां हुई हैं। इसके बारे में संक्षेप में दो एक उदाहरण देकर मैं बतला दूंगा कि किस प्रकार से अन्तरिम जिला परिषदों और गांव पंचायतों पर उनका असर पड़ता है और जिला परिषदों का गांव पंचायतों पर क्या असर पड़ता है क्योंकि श्रीमन्, यह तो जनमत नहीं है यह जनमत को अभिव्यक्त नहीं करता है अपितु शक्ति को अभिव्यक्त करता है और यह तमाम प्रान्त भर में होता चला आ रहा है। जब मंत्री अन्तरिम जिला परिषद् की नियुक्ति वहां पर हुई तो वह पुराने एम० एल० ए०के लाडले थे और जिला बोर्ड के सभापति उन्हीं एम० एल० ए० की कृपा से उनकी नियुक्ति हो गयी। जबकि उनके पूर्व के मंत्री छुट्टी पर ही थे और उन्हें जबरिया रिटायर कर दिया गया।

श्री कैलाशप्रकाश––श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो कहना चाहें कहें, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है किन्तु जो ग्रान्ट इस वक्त विचाराधीन है उसमें अन्तरिम जिला परिषद् नहीं आता है क्योंकि जिस ग्रान्ट में अन्तरिम जिला परिषद् आता है वह तो बिना विवाद के स्वीकार हो जायेगी लेकिन गृह मंत्री वाली बात भी यहां पर कही गयी तब भी मैं नहीं समझता कि इस चीज का उससे कोई सम्बन्ध है। हिस्टरी शीटर वाली बात डिसक्वालिफिकेशन में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––इस पर मैंने उनको सचेत कर दिया था कि वे अनुदान के सम्बन्ध में ही अपनी बात को रखें।

श्री रामस्वरूप वर्मा––वह तो प्रारम्भिक बात थी इसलिये मैंने कह दी। मैं मंत्री जी को बतला दूं कि यह बात मैंने इसलिये कही कि मेरा अपना नुक्ते नजर यह है कि अन्तरिम जिला परिषद् के जो अधिकारी हैं उनका असर गांव पंचायतों के ऊपर भी है लिहाजा गांव पंचायतों में बड़ी-बड़ी बेइमानियां हुई।

श्री अधिष्ठाता––आप का इसी में समय निकल जायेगा, इसलिये आप अनुदान पर ही बोलें तो बेहतर होगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा––श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि वर्तमान मंत्री की नियुक्ति वहां पर हुई क्योंकि इनकी उम्र ३२ वर्ष से अधिक होने जा रही थी और वह छुट्टी पर चले गये तो पहले वाले को जबरदस्ती रिटायर किया गया।

श्री अधिष्ठाता––यह बात भी अन्तरिम जिला परिषद् के बारे में है। आप ग्रान्ट पर आयें तो ज्यादा बेहतर है।

श्री रामस्वरूप वर्मा––श्रीमन्, अनुदान पर ही आ रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा था कि गांव पंचायतों पर अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकारी कैसे कन्ट्रोल किये बैठे हैं। दूसरी बात देखी जाय कि गांव पंचायतों के ऊपर के अधिकारी अगर बेईमानी करते हैं तो नीचे के अधिकारियों का क्या सवाल है। बातें बहुत सनसनीखेज हैं, माननीय मंत्री को थोड़ी दिमागी परेशानी होगी लेकिन मैं जनहित में निवेदन करे देता हूं। इस भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव अन्तरिम जिला परिषद् बाराबंकी में आया था। सवाल सिर्फ इस बात का है कि ठेका जो वहां दिया गया ५७–५८ में वह ठेका एक आदमी विशेष के नाम से दिया गया।

श्री अधिष्ठाता––कहां पर ठेका दिया गया?

श्री रामस्वरूप वर्मा––अन्तरिम जिला परिषद्, बाराबंकी का जो ठेका दिया गया है।

श्री अधिष्ठाता––मैं कह चुका हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् के सम्बन्ध में न कहा जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा––जो प्रासंगिक बात होगी उसे भी न कहा जायगा तो कैसे काम चलेगा?

श्री अधिष्ठाता––बहुत डिटेल में आप जा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा––लेकिन मंत्री जी को तो कोई एतराज है नहीं।

श्री अधिष्ठाता––एतराज न हो, पर इसी [अनुदान के सम्बन्ध में आप कहें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं इतना कहना चाहता हूं कि २४ मार्च को प्रस्ताव पास होता है, साइंस का सामान मंगाने के लिये और २८ मार्च को आर्डर अम्बाले से सामान मंगाने के लिये दिया जाता है। ३०, ३१ मार्च को अम्बाले से सामान मिल जाता है और जब आडिट आब्जेक्शन लगता है तो जिलाधीश जो अध्यक्ष हैं वे लिखते हैं कि नहीं साहब यह पेमेंट सही हुआ जबकि १४ जून को वास्तव में सामान आया था। इस तरह से फर्जी वाउचर बना कर गड़बड़ी होती है।

श्री कैलाशप्रकाश---गड़बड़ी तो यह है कि जो विषय विचाराधीन नहीं है उसी पर कहा जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा---आप इन बातों से दूर रहना चाहते हैं तो ठीक है। उससे बड़ी गड़बड़ी यह है कि माननीय मंत्री जी के पास यह सूचना आती है तो यह कोई कार्यवाही उस विषय पर नहीं करते।

श्री अधिष्ठाता---आप विषय पर आ जाइये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मैं उसी पर आ रहा हूं। गांव पंचायतों की सब से बड़ी खामी यह है कि उनका काम नहीं चल रहा है। चुनाव भी हो जायं लेकिन उनके पास हक क्या हैं? कोई निर्माण का काम आता है तो कहा जाता है कि ५० प्रतिशत वे दें। ५० प्रतिशत में आप नौकर रखे हुए हैं और ५० प्रतिशत पैसा और वे दें तो कौन सी गांव पंचायत है जिसके पास अनापशनाप पैसा है जो ५० प्रतिशत देकर निर्माण का काम कराये। यदि चौखम्भा राज्य देश में बनाना है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर गांधी जी के स्वप्न को पूरा करना है तो १/४ आमदनी सरकार को अपनी आमदनी में से पंचायतों को देना चाहिये तब उनका सही रूप से निर्माण होगा और काम होगा।

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। मेरा सुझाव है कि गांव पंचायतों के जो जिले के अधिकारी हैं वे इस तरह का सर्कुलर निकालें कि गांव पंचायतों के पास जो ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो पुराने मेम्बर थे या पुराने मतदाता थे, सूची में पिछले साल थे लेकिन अबकी मर्तबा वे नहीं बनाये गये तो ऐसे पंचायत सेक्रेटरियों के खिलाफ जिन्होंने निश्चित रूप से ही बेईमानी की है उनके खिलाफ कार्यवाही हो। लेकिन अधिकारियों का यह तर्क निर्मूल है कि सूची प्रकाशित की गयी थी और उस पर लोगों ने एतराज नहीं किया इसलिये वे नाम काट दिये गये, इसलिये वे जिम्मेदार नहीं हैं। तो इस पर मेरा कहना स्पष्ट है कि नाम काटने की सूचना देनी चाहिये और बिना सूचना दिये इस तरह से नाम काट देना निश्चित रूप से बेईमानी है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)---मैं अपने स्वायत्त शासन मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जनहित में ऐसा अनुदान पेश किया है और इस पर एतराज करने के बजाय अच्छा तो यह होता कि खुशी-खुशी उसको तुरन्त ही पास कर देना चाहिये था क्योंकि यह ऐसा विभाग है जिस पर सारे देश और सारे प्रान्त के निर्माण की जिम्मेदारी है। जहां तक पंचायतों का प्रश्न है, जहां तक पंचायतों का संबंध है, जितना कार्य पंचायतों ने किया है शायद ही किसी दूसरे विभाग ने उतना काम किया हो। विरोधी दलों को कोई मौका तो मिला नहीं कि वह पंचायतों में कोई ऐसी बुराई बता सकें जो बहुत गम्भीर हो और जनता के हित के विरुद्ध हो। इसलिये वे कहीं जिला परिषद् की बात करते हैं, कहीं कारपोरेशन की बात करते हैं। उनका यह कर्त्तव्य है कि पंचायतों के बारे में ही जो सुझाव दे सकें दें और जो अच्छे काम पंचायतों ने किये हैं उनको भी सदन के समक्ष रखें। यह न करके वे केवल बुराई ही बुराई देखते हैं। पंचायतों के खोखलेपन की बात कही गयी। आज तक तो पंचायतों में कोई खोखलापन आया नहीं। पंचायती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था तो हमारे पूर्वजों के समय से थी और वही व्यवस्था हमारी इस कल्याणकारी सरकार ने फिर कायम की और पंचायतों को स्थापना की, जिससे कि हमारा कल्याण हो और हमारे ग्राम जिनमें हमारी जनता रहती है, जिसके बल पर हम और आप चुन कर यहां आते हैं, उनका सुधार हो। इसके पहले आपने कभी गांवों में नहीं देखा होगा कि इतनी सड़कें बनीं, इतने खड़ंजे लगे। इसके अलावा आज जो दस्तकारी गांवों में पंचायतों द्वारा खोली गयी है, वह इससे पहले कभी नहीं थी। इतना सब होते हुये भी आज पंचायतों में दोष ही निकाले जाते हैं। मैं इसका बुरा नहीं मानता क्योंकि विरोधियों का तो यह परम कर्त्तव्य है कि वे दोष निकालें और चुनाव में तो वे हमेशा दोष निकालते आये हैं चाहे वह म्युनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद् का हो, चाहे विधान सभा का हो। लेकिन जिन कर्मचारियों ने ईमानदारी और परिश्रम के साथ काम किया है उस की भी तो प्रशंसा कीजिये। आप को कहना चाहिये था कि सरकारी नियुक्तियों में जो १८ फीसदी हरिजनों का संरक्षण होना चाहिये था वह क्यों नहीं पूरा हुआ, उनके मुहल्लों में सफ़ाई क्यों नहीं होती। ऐसी बातें गरीबों के लिये न कह कर आप केवल लांछन लगाते हैं क्योंकि सन् ६२ अब नजदीक है और आप को वोटों की जरूरत है। इसलिये कोई न कोई बात कहनी जरूर है। लेकिन मैं अपने उन साथियों से कहना चाहता हूं कि उनको जितने मत अबकी मिल गये वह मिल गये, आगे इतने भी मिलने वाले नहीं हैं क्योंकि जनता को अब आप से कोई आशा नहीं रह गयी है, जनहित में कोई कार्य करने के लिये आप तैयार होते नहीं हैं।

डायरेक्टर साहब की बुराई की बात कही गयी। डायरेक्टर साहब का व्यक्तिगत कोई सम्बन्ध नहीं है। वे तो जो न्यायसंगत समझते हैं वही करते हैं। हमें अपने अधिकारियों पर विश्वास रखना चाहिये, उसी से सारा काम चलता है। इसके अलावा अपने ऊपर भी विश्वास रखना चाहिये तभी हम अपने देश और प्रदेश को समृद्धशाली बना सकते हैं।

अब मैं अपने मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं। आजकल एक टैक्स पंचायत का है और एक जिला परिषद् का है। मेरा सुझाव यह है कि यह एक ही टैक्स होना चाहिये। इससे वह गरीब आदमी पिसा जा रहा है जिसकी आमदनी ३०० रुपये की है। ३०० रुपये की आय वाले के बजाय यह टैक्स उस पर लगना चाहिये जिसकी आय ९०० रुपये हो। इसके लिये आप जो भी उचित समझें, चाहे अपने अधिकारियों से सम्मति लें, चाहे जिस तरीके से उचित समझें ऐसा करें कि जिससे गरीब जनता को लाभ पहुंच सके। अधिष्ठाता महोदय, जहां तक गरीबी का सवाल है, इन पंचायतों से जिनको लाभ होता है वह गरीब जनता को ही होता है। अदालत पंचायत में जो मुकदमे जाते हैं उनमें वकील की जरूरत नहीं होती और जनता के नुमायन्दे ही न्याय करते हैं, चाहे वह गलत करें, चाहे सही करें। लेकिन हमें यह पूर्ण विश्वास है कि १०० केसेज में से दो चार ग़लत हो सकते हैं, बाक़ी ९६ परसेंट केसेज सही और न्यायसंगत होते हैं। हरिजनों के मकानों में जहां कूड़ा पड़ा रहता था वहां आज खड़ंजे लग गये हैं। यह कार्य पंचायतों द्वारा हुये हैं फिर भी इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। उन लोगों ने ही आतंक मचाया हुआ है, जो गरीबों का शोषण करते हैं, चाहे वह गरीब किसान का करते हों, चाहे खेतिहर मजदूर का करते हों। एक मुख्य बात यह है कि पहले गरीबों के घूरे जमींदार ले लिया करता था। लेकिन आज यह पंचायत की देन है कि हर गरीब आदमी अपनी खाद को कीमत लेकर बेच सकता है। यह पहले कभी नहीं था। अगर हो तो आप लोग एक आध उदाहरण किसी जिले, किसी नगर और किसी गांव का प्रस्तुत करें।

इस विभाग के कर्मचारी काफ़ी सुधरे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी कर्मचारी ठीक हैं। कुछ ग़लत भी हो सकते हैं, लेकिन यह हमारा कर्त्तव्य है कि गलत लोगों को समझा कर ठीक रास्ते पर लायें। अभी हमारे यहां लोग ढाई हजार वर्ष की गुलामी से मुक्त हुये हैं। इसलिये वे धीरे-धीरे ही ठीक होंगे और यह विभाग सब को सही रास्ते पर ला देगा। इस विभाग ने पंचायतों में सारी शक्ति पहुंचा दी है। इसके लिये इस विभाग की प्रशंसा करनी चाहिये। आज तक किसी शासक ने गांव वालों को इतनी शक्ति नहीं दी जिससे वह स्वावलम्बी बन सकें।

[श्री हरीसिंह]

आज गांव पंचायतों के पास ताकत है कि वह पुलिस को जाने या न जाने दें, वह अपने यहां सफाई कर सकती हैं, खेती के उत्पादन के लिये तरकीबें सोच सकती हैं लेकिन विरोधी पक्ष के लोग फिर भी इसकी बुराई करते हैं। इसलिये मेरा सब से निवेदन है कि ऐसे अनुदान को जिससे जनता का हित होता है उसको शीघ्र पास कर देना चाहिये। इसमें विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह सब व्यर्थ की बातें हैं।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान के ऊपर श्री रामशरण यादव द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। अभी कुछ समय पहले पंचायतों का चुनाव हुआ था और उसका जनता से घनिष्ठ संबंध था। लेकिन अभी न्याय पंचायतों का चुनाव नहीं हो सका और इनका चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिये था। न्याय पंचायतों के जो पंच मुकर्रर होंगे उनके लिये मंत्री जी ने कहा कि जिलाधीश द्वारा नियत किये जायेंगे लेकिन मेरा सुझाव है कि गांव सभा या गांव पंचायत के सदस्य न्याय पंचों को चुनें तो ज्यादा अच्छा है। प्रधान का चुनाव बैलट बाक्स के जरिये कराया गया वह बिलकुल ठीक रहा लेकिन सदस्यों का जो चुनाव हुआ उसमें गड़बड़ी हुई और झगड़े हुये। इसलिये अगला जब इलेक्शन हो तो मेरी मांग है कि मेम्बरों का चुनाव बैलेट बक्सों के जरिये कराया जाय। खास तौर से एक मांग मेरी यह भी है कि यह जो सभापतियों के चुनाव में परचे खरीदे जाते हैं, उनकी खरीद में गरीब आदमियों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। इसमें से यह किया जाय कि या तो कुछ धन ऐसा मुकर्रर कर दिया जाय जमानत के तौर पर जो बाद में उन्हें वापस कर दिया जाय जिससे वह गरीब आदमी भी उस वक्त तो जमा कर सकें, जिस वक्त खड़े होना हो, लेकिन बाद में वापस कर दिया जाय जैसा कि विधान सभा या पार्लियामेंट के मेम्बरों के लिये होता है। इसी तरह से गांव पंचायत के मेम्बरों के लिये भी होना चाहिये।

पंचायत के अधिकार में सेक्रेटरी, लेखपाल तथा ग्राम सेवक भी होने चाहिए। सेक्रेटरी, लेखपाल, तथा ग्राम सेवक पंचायतों के अधिकार में न होने की वजह से, पंचायतों के काम सुचारु-रूप से नहीं चल पाते। लेखपाल से अगर प्रधान इंतखाब मांगे या उससे यह जानना चाहे कि कितनी सम्पत्ति गांव समाज की हमारे पास है तो लेखपाल नहीं बताता। और इस वजह से नहीं बताता है कि लेखपाल यह समझता है कि प्रधान हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। प्रधान के हाथ में हम नहीं हैं। प्रधान हमें बरखास्त नहीं करवा सकता। मैं तो तहसीलदार और एस०डी०ओ० के मातहत हूं। इसलिये मेरा कहना है कि जब सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण का नारा लगाती है तो यह जरूरी है कि लेखपाल, सेक्रेटरी, तथा ग्राम सेवक पंचायत के मातहत हों। अगर पंचायत के अन्तर्गत यह रहेंगे तो पंचायत का काम सुचारु रूप से चल सकता है।

इसी तरह से सिंचाई संबंधी जो छोटी-छोटी योजनायें हैं, उनके लिये सरकार की ओर से पंचायतों को अधिक से अधिक अनुदान दिया जाना चाहिये जिससे गांव के पुराने कुएं और तालाबों को सुधरवा सकें। यदि अधिक अनुदान मिलेगा तो सिंचाई संबंधी इन योजनाओं को लेकर गांव की पैदावार, तरक्की और खुशहाली बढ़ेगी। यह भी होता है कि निर्माण संबंधी कार्यों के लिये जितना अनुदान मिलना चाहिये वह अनुदान लेने के लिये प्रधान को कई बार जिले की तहसील तथा अन्य अधिकारियों के पास चक्कर काटना पड़ता है, और जो उसको अनुदान प्राप्त होना चाहिये वह प्राप्त नहीं होता। इसलिये अनुदान सीधा पंचायत अधिकारियों की तरफ से जिन व्यक्तियों को मिलना हो, गांव में भेज दिया जाय जिससे उन गांवों को जिले या शहर के चक्कर न काटने पड़ें।

कुटीर उद्योग या छोटे-छोटे उद्योग जो गांव के अन्दर चल रहे हैं, उनकी अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिये जिससे गांव के नये निर्माण में बिखरा हुआ श्रम जो कि बेकार है वह भी काम में आ सकें, और गांव का निर्माण भी हो सके। पंचायतों को इतना अनुदान दिया जाय जो

गांव के अन्दर निर्माण संबंधी कार्य या कुटीर उद्योगों को सुचारु रूप से चला सकें और गांव के बिखरे हुये श्रम की बेकारी दूर कर सकें।

मुझे एक निवेदन और करना है। बाज वक्त गांव में कुछ ऐसे विरोधी तत्व होते हैं, जो सभापतियों या पंचायत के मेम्बरों की बात नहीं मानते। अगर कोई रास्ता निकालना है, उस पर श्रमदान हुआ, अगर किसी जगह उनकी भूमि पड़ जाती है तब रास्ता रुक जाता है। कुछ ऐसे विरोधी तत्व हैं जो रास्ते को आगे जाने नहीं देते। तो कोई ऐसा नियम होना चाहिये कि जो इस तरह के तत्व गांव के निर्माण संबंधी कार्यों में अड़चन डाल रहे हों, उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगा सकें। बहुत से ऐसे गांव हैं जिन्होंने निर्माण के कार्य आरम्भ किये और उन्हें पूरी मंजिल तक पहुंचाने की चेष्टा की, परन्तु कुछ ऐसे तत्व मिल गये, जिन्होंने रास्ता रोक दिया और रास्ता रुक जाने की वजह से वह कार्य पूर्ण रूप से सम्पन्न न हो सका। तो इसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये कि वह जो निर्माण कार्य हो रहे हों उसमें ऐसे तत्व अड़चन डाल रहे हों उनको रोका जाय जिससे कि ऐसे कार्यों से प्रधानों और गांव के पंचों को तथा जनता को प्रोत्साहन मिले। नहीं तो होता यह है कि वह हतोत्साह हो जाते हैं और वह जिस हिम्मत के साथ जिस बहादुरी के साथ गांव के नव-निर्माण की तरफ अपनी शक्ति लगा सकते हैं वह कुछ चन्द आदमियों के अड़चन की वजह से नहीं लगा पाते। इस तरफ जिले के अधिकारी जो हैं, एस० डी० ओ० हों या डी० सी० हों उनको चाहिये कि वह जाकर मौके पर कोई समझौता का रास्ता निकालें या वैधानिक रास्ता निकाल करके उस कार्य को सम्पन्न करायें।

इसके साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि ज्यादातर पंजायतों की फर्जी कार्यवाहियां जो सेक्रेटरीज वगैरह लिख लेते हैं गांवों में बैठकर के उन फर्जी कार्यवाहियों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। अगर उनकी रोकथाम न की गई तो नतीजा यह होगा कि फर्जी रजिस्टर होंगे, फर्जी एन्ट्री होगी और फर्जी कार्य होगा और जिससे वास्तविक कार्य रुकता रहेगा। कानून में यह है कि हर साल में दो मीटिंगें अवश्य होनी चाहिये। एक रबी पर और दूसरी खरीफ पर। लेकिन हम बहुधा यह देखते हैं कि गांवों में ये मीटिंगें बहुत कम हो पाती हैं। इसलिये ज्यादा जोर इस पर दिया जाय कि जहां सेक्रेटरी और ग्राम सेवक इस प्रकार की फर्जी मीटिंग न करा सकें रबी और खरीफ संबंधी वहां उन पर कार्यवाही होनी चाहिये, और जहां के सेक्रेटरी या ग्राम सेवकों ने इस तरह की फर्जी कार्यवाही की हो उनके ऊपर अनुशासन संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिये। यह फर्जी मीटिंगें रोकी जायं और उनके कागज चेक किये जायं। यह देखा जाय कि वह वास्तव में सही प्रोत्साहन दे रहे हैं या केवल फर्जी मीटिंगें ही करके पंचायतों के कागज रंगे जा रहे हैं। सेक्रेटरी और ग्राम सेवकों की नियुक्ति भी इसी आधार पर होनी चाहिये कि वह कितने जिम्मेदार हैं और वह गांव के निर्माण में कितना सहयोग दे रहे हैं, उसके उत्थान में वह कहां तक हाथ बटा रहे हैं? अगर वह गांव के निर्माण में उसके उत्थान में कोई कार्य न कर रहे हों और केवल फर्जी कार्यवाही ही वहां हो रही हो तो ऐसे सेक्रेटरी या ग्रामसेवक की जांच होनी चाहिये और उनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिये।

न्याय पंचायतों के चुनाव के संबंध में मुझे यह फिर दोहराना है कि इन न्याय पंचायतों के पंचों की नियुक्ति जनता द्वारा होनी चाहिये, जिले के कलेक्टर द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे यह भी कहना है कि इस समय जो पंचायतों के लिये तीन विशेष चीजों पर ध्यान दिया गया है एक स्कूल, दूसरी सहकारी समिति और तीसरी पंचायत, तो इन तीनों का संबंध जब तक घनिष्ठ नहीं होगा, जब तक कार्य आगे नहीं चल पायेगा। गांवों की पाठशालाओं में जब तक सामाजिक शिक्षा, व्यवहार, अनुशासन और आचरण नैतिकता, आदि की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में न चलाई जायगी तब तक गांवों का पुर्नानर्माण होने में देर होगी। गांव का शिक्षक एक वह व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में सैकड़ों लड़कों की फौज रहती है। उस फौज को शिक्षक जिस तरफ चाहे मोड़ सकता है। वह चाहे तो उन्हें निर्माण कार्य की तरफ या दूसरे कार्यों की तरफ लगा सकता है। तो इन निर्माण-कार्यों को गांवों का शिक्षक बड़ी आसानी से बढ़ा सकता

[श्री सजीवनलाल]

है। यदि उसको सहकारिता के आधार पर कुछ सुविधायें दे दी जायं और उसको सरकार की तरफ से ऐसे प्रोत्साहन दिये जायं तो वह देश की तरक्की में बड़ा योग दे सकता है और गांवों का नव-निर्माण हो सकता है। गांवों में वह उस सभ्यता को ला सकता है जिससे कि लोग उत्साहित हों।

श्री अतीकुल रहमान (जिला बिजनौर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जनाब-वाला का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जनाबवाला ने इस अहम अनुदान पर बोलने के लिये मुझे वक्त दिया। मैं आज हाउस में वह जोश खरोश नहीं पा रहा हूं जो आम तौर से अनुदानों पर बहस में होती है। इसका अफसोस है, उसकी वजह यह है कि जम्हूरियत की बुनियाद हमारे पंचायती निजाम पर रखी गई है और मैं समझता हूं कि यह महकमा हमारे अहम महकमों में से है और अगर इस बुनियादी जम्हूरी यूनिट पर हमारी नजर और तवज्जह पूरी और गहरी नहीं रही तो मुस्तकबिल के बारे में काफी शुबहात पैदा होते हैं। लेकिन जहां तक महकमे के काम का और पंचायतों के काम का प्रदेश में ताल्लुक है, उसको देख कर निहायत खुशी होती है। खासे सदन के मेम्बरान मुबाहसे में दिलचस्पी लें या न लें, लेकिन जहां तक प्रदेश का ताल्लुक है, मैदानी जिन्दगी का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि पंचायत के कामों में जनता गहरी दिलचस्पी ले रही है। न सिर्फ जनता गहरी दिलचस्पी ले रही है, बल्कि उसका नतीजा भी हमारे सामने आ रहा है और अगर गांवों की दशा देखी जाय तो हम देखेंगे कि गांवों में खड़ंजे, कुंएं और मुख्तलिफ किस्म की सहूलियतें जो गांवों के आराम और आशाइश से ताल्लुक रखती हैं और पहले नहीं थीं, वह आज हर गांव में नजर आती हैं।

मैं कुछ बातें सुझाव के तौर पर अर्ज करने वाला हूं। पहला प्रश्न न्याय का है। इन्साफ का काम भी हमारी पंचायतों के सुपुर्द किया गया है और न्याय पंचायतें कायम की गई हैं। इस सिलसिले में मुझे खास तौर से कमी नजर आती है। पहली बात यह कि हमारे पंच इस कदर ट्रेन्ड नहीं हैं, इस कदर माहिर और जानकार नहीं हैं जितने कि होने चाहिये। इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि सेक्रेटरियों को ट्रेनिंग दी जाय और इस साल से उस काम को शुरू किया जाने वाला है। इसकी तरफ तवज्जह की गई और खुशी है कि तवज्जह की गई, लेकिन इस तरफ भी तवज्जेह होनी चाहिये कि पंचायतों में काम करने वाले सरपंचों और पंचों को ट्रेनिंग दी जाय। उनको पंचायत राज ऐक्ट और कानून की कुछ मोटी-मोटी बातें, उसूल और काम करने के तरीके बताना चाहिये और उसकी ट्रेनिंग का कोई वक्त, मसलन एक महीना या दो महीना तय होना चाहिये और उनको कुछ वक्त मुन्सिफ या जजेज कोर्ट में बिठाने का इन्तजाम जरूर होना चाहिये। अगर खफीफा के अख्तियारात की तरफ नजर डाली जाय तो यह बात आदरणीय सदन के सब मेम्बरों को मालूम है कि मुन्सिफ को आमतौर से जो जज खफीफा है ढाई सौ के अख्तियारात, जज को ५०० के अख्तियारात हैं और उससे ज्यादा अख्तियारात उनको नहीं दिये गये हैं जहां तक दीवानी के अख्तियारात का ताल्लुक है और उसकी वजह यह है कि उसका रिवीजन फाइल होता है और उसका फैसला जज या मुन्सिफ के हाथ में ही होता है। लेकिन पंचों को यह अख्तियार मुकम्मिल हैं और ५०० तक के हैं। इसलिये जो मैं ट्रेनिंग की बात अर्ज कर रहा हूं वह अहम है, अगर इस बात को कायम और बरकरार रखा जाय। इसके अलावा इस सिलसिले में इस बात की भी जरूरत है कि कानून पर नजरसानी की जाय। उसमें इस किस्म की कोई तजवीज रखी जाय कि मुन्सिफ के यहां अपील हो सके और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि दावा कहां दायर हो तो जैसा कि जाब्ता दीवानी में है कि जहां बिनाये दावा पैदा हो वहां दायर हो। इसका प्राविजन होना चाहिये, जैसा कि जाब्ते दीवानी में है और पंचायत राज्य ऐक्ट में नहीं है। इसलिये इस तरफ भी तवज्जह देने की जरूरत है।

मान्यवर, हमारे देश में और प्रदेश में कम्युनल मामले एक बहुत अहम मामले हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर त्योहारों के मौकों पर ही इस तरह के झगड़े होते हैं, होते तो त्योहारों के अलावा

भी हैं, मगर वे कम ही होते हैं। मैं यह चाहूंगा कि जिस तरह से आपने हर ग्राम पंचायत के अन्दर एक भूमि-प्रबन्धक समिति आदि का गठन किया है, उसी प्रकार आप उनके अधीन एक ऐसी कम्युनल हारमोनी कमेटी बनाइये जो ऐसे मौकों पर जब कि तनाव का वातावरण हो, कुछ काम कर सके और लोगों को यह भी बता सकें कि किस तरह से उनको अपने-अपने त्यौहारों को मनाना चाहिये। इस प्रकार की एक कमेटी बनना चाहिये ताकि जब कभी भी इस तरह की बातें हों, उस समय मजिस्ट्रेट, पुलिस और जनता सब मिल कर कुछ मदद कर सकें।

आज प्लानिंग का काम जोरों पर हो रहा है। जाहिर बात है कि ग्राम पंजायतों का और प्लानिंग का गहरा संबंध है। इसके लिये मैं यह चाहूंगा कि हर पंचायत को इस तरह का भी एक काम दिया जाय कि वह अपने इलाके में इसका भी आदादोशुमार रखें कि उनके यहां कितने बेकार लोग हैं, कितने खेतिहर लोग हैं, कितने मजदूर हैं तथा कितने-कितने लोग किन-किन पेशों में लगे हुये हैं। इसके अलावा वहां की उन्नति के लिये किस-किस प्रकार के उद्योग-धन्धों की आवश्यकता है, इसके सुझाव भी उनसे ही आने चाहिये। यह सब काम तभी हो सकेगा जब आप उनके द्वारा आदादोशुमार करायेंगे। इन सुझावों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री शिवराम (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष की तरफ से, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये तथा माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, वास्तव में अगर सही-सही देखा जाय तो मालूम होगा कि स्वायत्त शासन के अन्तर्गत जो भी टाउन एरिया और नोटोफाइड एरिया तथा म्युनिसिपैलिटीज वगैरह हैं, वे ठीक प्रकार से काम नहीं कर पातीहैं। ऐसा अनुभव किया गया है कि जो भी आज की मौजूदा पद्धति है, उसको बदला जाय। यह देखा गया है कि हर एक शहर में जो भी टाउन एरिया वगैरह हैं, उनमें दो तीन पार्टियों के सदस्य होते हैं और जिस पार्टी का बहुमत होता है उसी पार्टी के इलाकों में सड़कें बनती हैं, नालियां बनती हैं, तथा अन्य सुधार के कार्य किये जाते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्यों के इलाकों में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता। आज देखने में यह भी आता है कि कहीं की म्युनिसिपैलिटी को भंग किया जाता है, कहीं के चेयरमैन को हटाया जाता है, कहीं और कुछ होता है। प्रत्येक वर्ष यही किया जाता है कि जो चेयरमैन कांग्रेस पक्ष का समर्थक होता है उसे तो काम करने दिया जाता है, जो विरोधी पक्ष का हुआ तो उसको हटाया जाता है। और आपस में मुकदमेबाजी रहती है। इस तरह से कोई काम ठीक प्रकार से और सुचारु रूप से नहीं चल पाता। ऐसी दशा में चुनाव प्रणाली, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है, उसको जिन लोगों ने देखा है वह कहते हैं कि प्रधानों का चुनाव तो गुप्त मतदान प्रणाली से ठीक हो गया लेकिन जो सदस्यों का चुनाव है वह भी इसी प्रकार से होना चाहिये। सरकार ने इसमें असमर्थता प्रकट की कि इसमें खर्च ज्यादा होगा। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि आज चुनाव जो हाथ उठा करके कराये जाते हैं उससे गांव में बड़ा संकट फैल जाता है और यह पारस्परिक दुश्मनी का कारण बन जाता है। अगर इस संकट को दूर कर लिया जाय तो हम जिस प्रकार से प्रधान आदि बनाते हैं, उसी प्रकार सदस्य भी ईमानदारी से बनाने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि निष्पक्षता के साथ और निर्भीक होकर आज सदस्यों को नहीं चुना जाता और जब नहीं चुना जाता तो फिर उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है। बहुत से भाई जो गांव में जाकर देखते हैं वह बतलाते हैं कि जहां गांव पंचायत के प्रधानों का चुनाव निर्विरोध हो गया वहां तो ठीक है और जहां विरोध है वहां गांव में अच्छी स्थिति बनाये रखना असंभव हो जाता है। सरकार को ऐसी पंचायतों की व्यवस्था करनी चाहिये कि वहां चुनाव निर्विरोध हो सकें।

आजकल न्याय पंचायतों में देखने में आता है कि जिन मामलों को तय करने का अधिकार उनको दिया गया है उसकी अपील भी की जाय तो वह नहीं हो सकती। वह मामले कुछ तो गवाहों के जरिये और कुछ खुफिया तरीके पर जांच करने पर तय होते हैं। जब कि अदालतों में

[श्री शिवराम]

जो मुकदमे होते हैं उनमें २ रुपये वाले को भी अपील होती है, लेकिन गांव पंचायत को इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया कि ५०० रुपये के मामले भी तय कर दें, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। यह भी देखने में आया है कि कुछ जालसाजी के मुकदमे होते हैं, उनमें गरीब लोग फंसते हैं और पार्टीबाजी को बिना पर तय कर दिये जाते हैं। उस गरीब की पैरवी करने वाला कोई नहीं होता और जिस व्यक्ति ने उस पर मुकदमा चलाया है उसका वह गुलाम बन जाता है। मुकदमा चलाने का कारण कहना न मानना या पार्टी के लोगों को वोट न देना होता है।

ग्राम पंचायतों में जहां तक टैक्स अदा करने का सवाल है वह गरीबों पर अधिक लगाया जाता है। अब तो जितना कोई लगान देता है, फी रुपया एक आने के हिसाब से हर एक को देना पड़ता है। जहां खरंजे लगाने का सवाल है तो जहां पैसे वाले लोग रहते हैं, वहीं खरंजे लगाये जाते हैं और जैसे कि शहर में गंदी बस्तियां देखने को मिलती हैं, ऐसे ही गांवों की गंदी बस्तियों का कोई सुधार नहीं किया जाता और हजार कहने पर भी और दरख्वास्त भेजने पर भी उनके मुहल्लों से कूड़े को नहीं हटाया जाता।

हां, इतना मैं मानता हूं कि जहां गांवों में समझदार लोग हैं वह इस बात को अपनाते जा रहे हैं और वह अपनी बस्ती और मकान ठीक बनाते जा रहे हैं। जहां समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य की हमारी जिम्मेदारी है, यह देख करके सबको चलना होगा। इस दिशा में हमें प्रत्येक नागरिक का सुधार करना होगा। सरकार की तरफ से चाहे कोई आदर्श बस्ती बना दी गई हो, उसमें कुएं, खड़ंजे और मकान बना दिये गये हों, लेकिन तीन चार साल पहले जो आदर्श बस्तियां बनाई गई थीं उनमें आज फिर उसी प्रकार की गन्दगी है। वहां पर सफाई रखना तो ग्रामीणों का कार्य हो जाता है। वैसे यह बात ठीक प्रतीत होती है। लेकिन अगर हर जगह पर साम्प्रदायिकता की भावना आ जायगी तो देश का कल्याण नहीं हो सकता और हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों और किसानों का आपको मार्ग दर्शन करना होगा और सद्भावना पैदा करनी होगी ताकि वह भी समझ सकें कि हम एक अच्छे गांव के निवासी हैं। लेकिन इन १३-१४ वर्षों में भी ऐसा वातावरण नहीं पैदा हो सका। यद्यपि सरकार ने अधिकार देने की कोशिश की है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण भी किया है लेकिन देखने में आता है कि वह इस चीज को अपनाने के लिये तैयार नहीं हैं। साथ ही सरकार की ओर से कोई चेष्टा भी नहीं की गई। आज बहुत से गांवों में चलने फिरने तक की कठिनाई होती है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहां पर आबादी बढ़ रही है लेकिन मकान बनाने के लिये उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। चकबंदी भी हो रही है लेकिन बढ़ती हुई आबादी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज दशा यह है कि चाहे शहरों में जमीन कुछ सस्ती भी मिल जाय लेकिन गांवों में जमीन बहुत महंगी मिलती है। सरकार को इसपर कोई प्रतिबंध लगाना चाहिये ताकि गरीब मजदूरों को सस्ते दामों पर जमीन मिल सके।

इसी प्रकार शिक्षा की भी बात है...

श्री अधिष्ठाता--समय समाप्त।

श्री अयोध्याप्रसाद आर्य (जिला देवरिया)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी अपने विचार रखने का समय दिया। मैं माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सदियों से यह देश गुलाम था, अंग्रेजों की यहां पर हुकूमतें थीं। जब भारत आजाद हुआ तो देश और प्रदेशों में प्रजातंत्र की हुकूमतें बनीं, उनका सत्ता मिली और उस सत्ता का विकेन्द्रीकरण गांव पंचायतों में भी हुआ क्योंकि इस बात की आवश्यकता थी कि गांवों में सस्ते मूल्य पर सच्चा न्याय मिल सके और प्रशासन भी सुदृढ़ हो। मान्यवर, पंचायतों का निर्माण

हुआ और गांव सभा के सभापति चुने गये। उसके अन्दर कुछ परेशानी जरूर थी कि जो सभापति चुना जाता था, वह हाथ उठाकर चुना जाता था,जिससे चुनाव की गोपनीयता समाप्त हो जाती थी और गांवों में आपस की ईर्ष्या और द्वेष की भावना जाग्रत हो जाती थी। १९६० में जो नव-निर्वाचन हुये हैं उनमें सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई कि सभापतियों के निर्वाचन गुप्त मतदान से कराये। इससे काफी अच्छा काम ग्रामों में हुआ। एक चीज में और सरकार ने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई कि जिसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के कुछ अधिकारियों की सलाह से यह निश्चित हुआ था कि पंचों का चुनाव पहले हो और सभापतियों का दूसरे दिन हो। इससे हमारे मंत्री महोदय ने और अधिकारियों ने इस पर ध्यान दिया कि जिस गोपनीयता को बनाये रखने के लिये गुप्त मतदान से जो सभापति का चुनाव होना है, तो यदि पहले दिन पंचों का चुनाव हो जाता है तो उससे वह प्रकट हो जायगा और जो पंच पहले दिन चुने जावेंगे, जो पंच पराजित होंगे, वह ईमानदार सभापतियों के चुनाव में सहयोग करने नहीं जावेंगे। तो इसमें चरित्रवान सभापति के चुनाव में बड़ी बाधा पड़ती है। जो यह कहा जाता है कि चुनाव में धांधली हुई, तो मूल नीति में न जाकर, उसमें दोष न दिखाकर, केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के द्वारा कहीं क्या हुआ, इस पर ही हमारे विरोधी पक्ष के भाइयों ने बराबर प्रकाश डालने की कोशिश की है। व्यक्तिगत त्रुटियों का ही छिद्रान्वेषण वे करते रहे हैं। चुनाव से ग्रामीणों को अधिक आत्मनिर्भर सम्पन्न तथा सक्रिय बनाने के लिये कृषि उत्पादन एवं कल्याण समितियों का निर्माण गांव के स्तर पर किया गया है। सत्ता के विकेन्द्री करण की नीति को इससे बल मिला है।

एक चीज बड़ी खुशी की है कि माननीय मंत्री जी ने अनुदान को प्रस्तुत करते हुये कुछ आशायें भी हम लोगों को दिलाई हैं जिनसे गांव के लोगों का भला होगा। मैं उन्हें यह सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे। गांव समाज का सेक्रेटरी लेखपाल होता है। उसे तहसील के कामों से ही अवकाश नहीं मिलता है। वह नहीं बता सकता कि गांव समाज की सम्पत्ति का कहां दुरुपयोग हो रहा है, उसकी रक्षा कैसे होनी चाहिये। ऐसे आदेश प्रसारित हो चुके हैं कि गांव समाज की सम्पत्ति का रजिस्टर गांव समाज का सेक्रेटरी, जो लेखपाल होता है, वह बनाकर गांव सभा के सभापति को दे। इसमें परेशानी हो जाती है। हमारी विधान सभा ने जो बिल पास करके विधान परिषद् में भेजा है, उससे यह परेशानी दूर हो जाती है। गांव समाज और गांव पंचायतें अलग-अलग होने से ही इसका यह हाल हुआ है।

बड़ी खुशी की बात एक और है। गांवों में काम करने वाले पंचायत सेक्रेटरियों की आशा वेतन-वृद्धि की ओर लगी हुई थी। हमारे माननीय मंत्री महोदय ने अभी इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं कि सेक्रेटरियों के वेतन और उनके भत्ते में वृद्धि की जायगी।

गांव में उन्नति होने के कामों में पैसे की बड़ी दिक्कत रहती है। यह हम सभी को अच्छी तरह से मालूम है। वहां इतनी बड़ी धनराशि करों के द्वारा वसूल नहीं की जा सकती है क्योंकि लगान पर ४ पैसा है और उस पर भी पंचायत मैनुअल में दिया हुआ है सभापति या पंचायत चाहे तो उसे कम भी कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में पैसे की बहुत कमी रहती है और यह बात तो सभी मानेंगे कि जहां पैसे की कमी हो वहां निर्माण के कार्य में बाधा पड़ती है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ कामों के लिये गांवों में ऋण मिलेंगे, यह बड़ी खुशी की बात है, जैसे उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन या बाग लगाने आदि के लिये सरकार ऋण का प्रबन्ध करने जा रही है। मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय मंत्री इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

न्याय पंचायतों के लिये एक माननीय सदस्य ने कहा कि ५०० रुपये तक का अधिकार देने से उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह शब्द तो नहीं कहने चाहिये। जब अंग्रेजों के हाथ में सत्ता थी और हम गुलाम थे तो उस समय वे कहा करते थे कि भाई, स्वराज्य मिलने के बाद कहीं आप सत्ता संभाल सकेंगे ? मैं समझता हूं कि गांवों में गांव पंचायतों के

[श्री अयोध्याप्रसाद आर्य]

निर्माण के बाद जो गांव पंचायत मैनुअल में प्राविधान है कि वकील नहीं जा सकते हैं इसलिये कि वे नमक मिर्च लगाकर सही बात को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, ऐसी हालत में यह सिद्ध होता है कि सरकार की दृष्टि उधर गई कि गांवों में सस्ता न्याय मिलना चाहिये और इसीलिये यह किया गया है। इससे गांव पंचायतों के द्वारा सस्ता न्याय गांव वालों को मिलना है। इसका स्वागत करना चाहिये।

गांव सभाओं के सामने निर्माण-कार्य करने में कुछ परेशानियां हैं, जैसे रुपया निकालने की परेशानी है। गांव समाज का पैसा तहसील में रहता है। गांव सभा से प्रस्ताव पास कराने के बाद भी सभापति को पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है। हमारा सुझाव है कि जैसे गांव सभा के कोष का पैसा सेविंग्स बैंक में रहता है, उसी तरह से गांव समाज का पैसा भी जमा हो जाय तो बड़ा अच्छा हो।

गांव के निर्माण कार्य में एक और परेशानी होती है। जहां सड़क व नालियां बनाने के लिये पंचायत निश्चित करती है तो उसके रास्ते में बहुत से ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जो उसमें बाधा डालते हैं और कहते हैं कि एक इंच भी हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसी हालत में गांव सभापति को विशेष अधिकार होना चाहिये।

साथ ही मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि जैसे नगरपालिकाओं को अनुदान मिलता है, नोटीफाइड एरिया वगैरह को मिलता है, वैसे ही गांवों के लिये भी दे रहे हैं, लेकिन वह बहुत कम है। मेरा सुझाव है कि उसमें थोड़ा सा और रखें।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त।

***श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)—अधिष्ठाता महोदय, पंचायत राज की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रामराज्य के स्वप्नों पर आधारित है और वह रामराज्य कितना सफल हुआ है वह इस प्रदेश और देश के किसी आदमी से छिपा नहीं है। इस सरकार की कुव्यवस्था के कारण या इस सरकार की दुर्नीति के कारण आज गांवों में चारों ओर द्वेष, घृणा और झगड़े फैले हुये हैं और दर्जनों प्रधान मार डाले गये, उनके शव पोस्ट मार्टम होकर घर आ गये। पता नहीं यह बखेड़ा कब तक चलेगा। यह सब सरकारी नीति के कारण है।

मान्यवर, मैं तो यह देखकर स्तब्ध रह गया कि चुनाव के अंतिम दिन तक ही नहीं, चुनाव शुरू होने तक एक आदमी आता है, ५० आदमियों की लिस्ट लेकर कि इसको इंसपेक्टर साहब ने मंजूर कर दिया है, कोई लाया कि ३० काट दिये गये। अधिष्ठाता महोदय, आपने भी कभी ऐसा देखा होगा। मेरा तो निश्चित मत है कि चुनाव के बारे में जो अधिकार दिये गये हैं इतने बड़े अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। एक ओर १०० हाथ उठते हैं और दूसरी ओर ८० उठते हैं, अब ८० वाले के १२५ बता दिये, वही बात आखिर हो गयी और किसी न्यायालय से वह ठीक नहीं हो पायी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं।

इसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि १६ अधिकारी निकाल दिये गये और ५०० अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो रही है। इससे यह स्पष्ट है कि पंचायतों के चुनाव अनर्गल और मिथ्या तरीके से हुये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है।

एक आदमी बार-बार मुझसे मिला। वह घबराया हुआ था। वह कहता था कि मेरी निश्चित हार होगी। बाद में जब वह आया तो कहा कि मैं जीत गया। मैंने आश्चर्य से पूछा कि कैसे। उसने बताया कि उसके ४९ वोट कटवाये और ४५ अपने बढ़वाये। इंसपेक्टर साहब की कृपा से जीत कर प्रधान हो गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि रामराज्य का स्वप्न इस प्रकार से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिये न्यायपूर्ण तरीक से चुनाव होने की आवश्यकता है।

एक केस ऐसा हुआ कि एक आदमी पर्चा ढाई बजे दाखिल करने आया। उससे पहले एक पर्चा दाखिल हो चुका था। उससे कहा गया कि ले लेंगे अभी तो काफी समय है। जब तीन बज गये तो ३ बजकर ५ मिनट पर उस परचे को हाथ में लिया और कहा कि आप तो लेट आये। उस पर लिख दिया कि ३ बजकर ५ मिनट पर प्राप्त हुआ। वह संचालक महोदय के पास गया। इस प्रकार की बातें होती हैं। यह गोंडा जिले का इतिहास है।

एक और बात पंचपेड़वा की है। एक गांव प्रधान का चुनाव हो रहा था। प्रीसाइडिंग आफिसर दूसरे प्रधान से मिल गया। दोपहरी में बक्से की सील तोड़ कर पर्चे अपने जवाहरकट की जेब में रखता गया। जब उसको मालूम हुआ तो वह उसमें कूद पड़ा और रंगे हाथों पकड़ लिया। बक्सा भी टूटा था और पर्चे भी जेब में थे। वह बड़ी देर तक पकड़े रहा और जब एक अधिकारी आया तो छोड़ा। पर्चियां भी बरामद हुईं और गलती भी तस्लीम हो गई। एस० डी० ओ० साहब ने हुक्म दे दिया कि चुनाव फिर से हो। चुनाव फिर से हुये तो जिसने उसको पकड़ा था वह ५०० वोटों से जीता। लेकिन, अधिष्ठाता महोदय, उसके १२ आदमियों के खिलाफ चालान हो गया और अदालत में मुकदमा चला गया है। क्या मंत्री जी में दम है कि उसको वापस ले लें? उनके खिलाफ कहा यह गया कि तुमने सरकारी अधिकारी को मारा। आज किसी सेवक की जैसी प्रतिष्ठा है वैसी स्वामी की नहीं है। जूतों से मारा जाय, लाठी से हाथ-पैर तोड़ दिये जायं और थाने में जो रिपोर्ट लिखाने जाय तो मामूली दफा ३२५, ३२३ कायम होती है, लेकिन अगर किसी कर्मचारी को, किसी सरकारी अधिकारी को कोई छू ले तो दफा ३३२ लग जाती है। ये सब ३३२ में पकड़े गये हैं। उसने फौरन पकड़ लिया, ऐसा अच्छा पेटीशन दायर किया और फिर जीत गया, इनाम के लायक काम किया, लेकिन....

श्री अधिष्ठाता---क्या मुकदमा न्यायालय में पहुंच गया है?

श्री बलदेवसिंह---जी हां।

श्री अधिष्ठाता---तो इस सदन की सीमा के बाहर हो जाता है।

श्री बलदेवसिंह---नहीं, अभी तो पुलिस ने पकड़ा है। सब जुडिस नहीं है सब-जुडिश तो तब होता है जब न्यायालय में चला जाय, अभी न्यायालय में गया नहीं है। वह चाहें तो फाइल सब मंगा सकते हैं। अभी इंक्वायरी हो रही है।

दूसरी बात जिला परिषद् के नाते की बात तो कितनी ही बार आई....

श्री अधिष्ठाता---उसे न कहें तो अच्छा है। वह अनुदान में है नहीं। जिला परिषद् इस अनुदान में नहीं आती है केवल पंचायतें आती हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---स्वायत्त शासन का तो आज दिन है।

श्री बलदेवसिंह---प्रधानों का चुनाव तो आपने सीक्रेट बैलट से करवाया और सदस्यों का हाथ उठाकर करवाया। तो इससे बड़ा द्वेष पैदा हो गया। अब जो पंचायती न्यायालयों का चुनाव करना है उसके संबंध में मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिलाधीश का चुनना पटवारी का चुनना होगा। जिलाधीश नहीं जानता गाँव के आदमियों को, न एस० डी० ओ० जानता है, न तहसीलदार जानता है और न कानूनगो जानता है। तो या तो कुछ सरकार के कृपापात्र चुने जायेंगे या जिसको लेखपाल चाहेगा, वह चुने जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता---सुझाव क्या है आपका?

श्री बलदेवसिंह---वह चुनाव गांव सभाओं द्वारा होना चाहिये । जहां से प्रधान और सदस्य चुनकर आये हैं वहीं से होना चाहिये ।

गांव में पंचायतें केवल नाममात्र की हैं । उनके पास न फंड है और न वह तरक्की कर सकती हैं। तो चाहे वह नगरपालिका हो या टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपैलिटी हो किसी में ऐसा नहीं कि सरकारी अनुदान उसमें न मिलता हो और जिस पर वे न चलती हों, लेकिन गांव सभा को अगर उसकी इन्कम का १० वां, १२ वां, १६ वां कोई हिस्सा गांव सभा की तरक्की के लिये छोड़ दिया जाय तभी वह पनप सकेंगी अन्यथा नहीं पनप सकेंगी। मेरा निश्चित मत है कि चुनाव प्रणाली को बदलने की जरूरत है वरना देश का कल्याण इस चुनाव प्रणाली से नहीं होने वाला है ।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)---अधिष्ठाता महोदय, मेरा इरादा प्रारम्भ में इस अनुदान के ऊपर बोलने का नहीं था क्योंकि बार-बार उन्हीं बातों को कहने से कोई फायदा नहीं है जो दोहराई जा चुकी हैं । लेकिन फिर भी मैं इस अनुदान को बहुत महत्व-पूर्ण समझता हूं इस माने में नहीं कि इसका विभाग बड़ा है, बल्कि इसका जबरदस्त असर इस मुल्क के और इस प्रदेश के देहातों की जनता पर पड़ने वाला है । इस खयाल से काफी लोगों ने इस पर कहा भी है ।

जो विचार माननीय बलदेवसिंह जी ने प्रकट किये हैं, वह केवल उन्हीं के विचार नहीं हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से माननीय सदस्यों की, ऐसी राय है जो पंचायत राज का पक्ष तो करते हैं, लेकिन खयाल उनका यह है कि यह काम गलत हो रहा है । मिसाल के तौर पर दो चार साहबों ने कहा कि शिकायतें उनको मिली हैं कि गांव पंचायतों के चुनाव जो हुये हैं उनसे झगड़े बढ़े हैं, और उनकी यह राय है कि इसमें खराबी है । इसलिये वे पंचायत राज का समर्थन तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ मुखालिफत भी करते हैं । इसलिये यह बड़ा गौर तलब मामला है । बहरहाल, मेरी अपनी राय यह है कि पंचायतराज को इस देश में धीरे-धीरे उठाया जा रहा है और मेरे खयाल में इसकी वजह से बेचैनी और दुश्वारी और धींगामुश्ती बढ़ रही है । मेरी राय यह भी है कि कोई भी परिवर्तन आप करेंगे तो आपको इन मुसीबतों और इन दुश्वारियों से गुजरना पड़ेगा । जो तजुर्बा आज डेमोक्रेसी का इस देश में हो रहा है उसके लिये इस प्रदेश में डिमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मैं समझता हूं, कि ठीक तरीके से नहीं लाया जा रहा है । जैसा बलदेवसिंह जी ने कहा कि गांवों में जबर है, धींगामुश्ती है, अंधेर है, यही वह चीजें हैं, जो यह बताती हैं कि कोई तब्दीली आने वाली है । क्योंकि अंधेरे से ही उजाले का जन्म होता है । बेचैनी और परेशानी के वक्त ही अच्छे ख्यालात का उदय होता है । डिमोक्रेटिक फोर्सेज को जब हम इवर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ जो फोर्सेज होती हैं वह उभरती हैं और बहुत तेजी से उभरती हैं । इतने बड़े प्रदेश में शिकायत की जाती है कि झगड़े हो रहे हैं गड़बड़ी हो रही है । मेरे खयाल में जो शिकायत की जाती है वह उस मात्रा में नहीं है जितनी इतने बड़े प्रदेश के चुनावों को देखते हुये होनी चाहिये और वह यह साबित नहीं करते कि चुनाव मुनासिब तरीके से नहीं हुये । बरअक्स इसके जहां ४० और ४५ हजार जगहों पर चुनाव हों वहां १५,२०,१००,२००, ४००, ५०० जगह झगड़े भी अगर होते हैं तो मैं उसे कोई बहुत नहीं समझता हूं । मेरे खयाल में यह झगड़े पिछली बार जब चुनाव हुये थे उसके मुकाबिले में कम हुये हैं और इस बार जो वोटिंग हुई है, वह इस बात को बताती है कि गांवों ने लोगों में इस बार जनतंत्र को पहले के मुकाबिले में बहुत अधिक समझा है । पिछली बार जब चुनाव हुये थे तो जातीयता और जब और ताकत की बात हुई थी और लोग जातीयता के नाम पर चुनकर आये थे । लेकिन इस बार गांव का गांव जाट है लेकिन वहां से बढ़ई या लोहार चुने गये हैं, गांव के गांव अछूतों के, हरिजनों के हैं लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां से ब्राह्मण चुने गये हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो इस बार हमारे गांव के लोगों ने डिमोक्रेसी को ठीक से समझा है।

डिमोक्रेसी का एक पहलू हम आप सब एलेक्शन को ही समझते हैं लेकिन उसका वही एक पहलू नहीं है। यह सही बात है कि बगैर उसके डिमोक्रेसी सुरक्षित नहीं है, लेकिन जिसे हम डिमोक्रेटिक कल्चर कहते हैं जिसे हम डेमोक्रेटिक संस्कृति कहते हैं, उसे हम अपने देश में नहीं ला रहे हैं और इसके कसूरवार वह सब लोग हैं जो अपने को कहते हैं कि वे डिमोक्रेसी में यकीन करते हैं। हमने अपने सोचने, रहने, बैठने और उठने का ढंग डिमोक्रेटिक नहीं बनाया है। इगलिस्तान में अगर डिमोक्रेसी कामयाब हुई तो उसका मुख्य कारण यह है कि वहां आहिस्ता आहिस्ता स्टोन बाई स्टोन, एक ईंट के बाद दूसरी रखी गई और इस तरह से वहां जनतंत्र का विकास हुआ। और जनतंत्र को सफल बनाने के लिये बहुत बड़े पैमाने में स्पोर्ट्स एक्टीविटीज चालू कीं। यानी उनका कहना है कि डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग के लिये स्पोर्ट्स की भी आवश्यकता है। यह पहला कदम वह लोग मानते हैं। इससे यह होता है कि लोग लड़ते भी हैं, खेल में हारते भी हैं और हारने के बाद एक दूसरे से हाथ भी मिलाते हैं। इसलिये वे स्पोर्टस पर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। वहां पर कितने ही क्राइसेज आये हैं, लेकिन स्पोर्ट्स पर खर्चा कभी कम नहीं किया गया। हमारे यहां डेमोक्रेसी में जो स्पोर्ट्स की जरूरत है, उस पर खयाल ही नहीं किया गया। यहां पर तो यही समझते हैं कि उसका ताल्लुक तो एग्रीकल्चर से है। इसलिये मेरा कहना है कि आप का यह एक्सपेरीमेंट कामयाब भी हो सकता है या इस एक्सपेरीमेंट का नतीजा भयंकर भी निकल सकता है। अगर आप ने गांव की इनर्जी को ठीक तरह से ढाला नहीं तो उस का नतीजा जरूर भयंकर होगा। इसलिये आप देखेंगे कि जिन-जिन देशों में आज फौजी तानाशाही आ रही है, वह डेमोक्रेसी के फैल्योर के कारण ही आ रही है। जहां-जहां वह फेल हो रही है और लोगों का जनतंत्र से यकीन हटता जा रहा है तो लोग यही कहते हैं कि अब तो एक डन्डे की तानाशाही की जरूरत है। हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहां तो स्थिति अच्छी है। लेकिन डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिये, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर किसी पोलिटिकल पार्टी में चाहिये, जो कि डेमोक्रेसी को लाना चाहती है, वह हमारे यहां नहीं है।

पंचायतों की सफलता बहुत कुछ इस बात पर मुनहसिर करती है कि कांग्रेस इस में कहां तक कामयाब रहती है। जो भी पार्टी पावर में आती है उसकी यह डयूटी है कि वह यह देखे कि ये पंचायतें गांवों में सफल हों। आप ने एक बार गांवों के प्रधानों को ट्रेनिंग दे दी तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आप ने ट्रेनिंग करायी है और उसमें पंचायतों के लोग आये हैं। मुझे भी काफी जिलों में देखने का मौका मिला है। उन्होंने हमसे कहा कि हम लोग मिले जुले हैं। लेकिन अभी ट्रेनिंग की और जरूरत है। लेकिन मुझे, जो ताज्जुब हुआ है वह इस बात का हुआ है कि अपने यहां इतनी बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई लेकिन उस ट्रेनिंग का पब्लिक लीडर्स से कोई वास्ता नहीं था। जहां पर यह ट्रेनिंग हुई है वहां के प्लानिंग आफिसर ने लोकल लीडर्स को नहीं लिखा कि आप भी इस ट्रेनिंग में शामिल होइये। अगर पापुलर लीडरशिप इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो यह डेमोक्रेसी नहीं चल सकेगी। ये लोग ट्रेनिंग के बाद केवल खाने पीने का ही सामान जुटा सकते हैं लेकिन उसके लिये जो आबोहवा की जरूरत है, उसको नहीं जुटा सकते हैं। किसी भी पोलिटिकल पार्टी ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी कि ५० हजार प्रधानों की ट्रेनिंग हो रही है उस पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, तो जाकर देखे कि वहां पर क्या हो रहा है। मगर पोलिटिकल पार्टीज ने तो शायद यह समझा कि हमसे इन का कोई वास्ता नहीं है।

मैं कह सकता हूं कि सरकारी मशीनरी ने अच्छी तरह से काम किया लेकिन वह किसी तरह से पापुलर लीडरशिप को दूर रखती है उस को मैं एक उदाहरण दे कर ही बतला देता हूं। मैं भी दौरे पर चेयरमैन ट्रेनिंग एन्ड कोआर्डिनेशन कमेटी की हैसियत से जा सकता

[श्री गोविन्दसहाय]

हूं। मैं भी एक ट्रेनिंग सेन्टर पर गया और मैंने वहां के एम० एल० ए० महोदय से कहा कि क्या आप भी इस ट्रेनिंग सेन्टर में गये हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिये वहां पर जाना कोई जरूरी नहीं है। इनको कोई जवाब नहीं दे सकता है कि नहीं, यह आप का फर्ज है। इस तजुर्बे को कामयाब करने के लिये निरंतर ट्रेनिंग की जरूरत है। निरंतर से मेरा मतलब है कि किसी न किसी मात्रा में गांव में आन्दोलन चलना चाहिये। जहां आप ट्रेनिंग की बात करते हैं वहां पर यह भी होना चाहिये कि जितने प्रधान ट्रेनिंग के लिये जाते हैं, वे अपने गांव में में हारे हुये व्यक्ति को दावत दें और उनसे कहें कि भाई अब तो इलेक्शन खत्म हो गये हैं और अब तुम को और हमको मिलकर अपने गांव का निर्माण करना है। अगर वे निर्माण में शामिल न हुये या यों कहिये कि ५१ प्रतिशत तो निर्माण के काम में शामिल हो गये और ४९ प्रतिशत नहीं हुये तो इस तरह से निर्माण का काम रुक जाता है। इसलिये इसको आन्दोलन का रूप देने की जरूरत है। हम वह तरकीबें सोचें कि जिसमें पैसा ज्यादा खर्च न हो और गांवों के अन्दर एक निर्माण का वातावरण बने। मिसाल के तौर पर गांवों के अन्दर गांव पंचायतों की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वह गांव के लोगों की सेहत के बारे में सोचे, गांवों में मुकदमे किस तरह से कम हों, गांवों के अन्दर भाई चारा कैसे बढ़े, कुछ ऐवेन्यूज ऐसे होने चाहिये कि जो गांव पंचायत यह काम करेगी, उसको तरक्की देंगे या उसको रिकग्निशन देंगे, जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहां पर मिसाल दी गयी थी और यह कहा गया था कि इसके लिये एक सरकारी मुहकमा कायम कर दें तो इस तरह से गांवों की सेहत कैसे देखी जा सकती है यानी गांवों का सम्बन्ध इससे है कि वहां पर बीमारियां न हों, सफाई रहे और वहां पर जानवरों की सेहत कैसी है, उसके लिये ८ वें रोज या १५ वें रोज जैसा भी मौका मिले उसको आन्दोलन का रूप देने के लिये पोलिटिकल लोगों को भी काफी काम करना है।

मुझे अफसोस है कि आज तो पोलिटिकल लोगों का इतना ही काम है कि वह संगठन करें या किसी दूसरी पार्टी का विरोध करें। आज गांवों के अन्दर ताकतें जाया हो रही हैं। जो पुराने जमाने में ताकतें असर रखती थी, हिन्दू साधू, मुसलमान साधू, इस तरह के लोगों का असर गांवों के अन्दर रहता था तो आज तो उन साधुओं, स्वामियों और पीरों का असर वहां से जाया होता जा रहा है और दूसरा कोई असर गांवों में पैदा नहीं हो रहा है। पहले पोलिटिकल लोगों का असर २०–२५ साल से रहा है लेकिन अब वह असर भी खत्म सा होता जा रहा है। तो एक ओर तो जो पुरानी ताकत थी, वह जाया हो रही है और कोई दूसरी ताकत पैदा नहीं हो रही है जो कि गांवों के अन्दर मारेल का असर पैदा करे तो वह पैदा नहीं हो सकती है। ट्रेनिंग की सफलता के लिये और पब्लिक लीडर्स की तरक्की के लिये जरूरी है। कि उसको इज्जत दें, जैसे गांव के प्रधान हैं तो उनका समाज में आदर रहना जरूरी है। उनको इज्जत की निगाह से देखा जाना चाहिये लेकिन आज तो यह हो गया है कि प्रधान जैसे १०९ वाले बुलाये जाते हैं, जहां कहीं मीटिंग होती है तो परवाना निकलता है कि फौरन चले आओ तो इसलिये उनके लिये कोई ऐसे तरीके हमें निकालना है कि जिससे उनकी समाज में प्रतिष्ठा हो, इज्जत हो और उसका पूरा असर होना चाहिये। आज प्रधानों को जिस रूप में हम बनाना चाहते हैं जिन सेम्पल्स में बनाना चाहते हैं उसके लिये जरूरी है कि उनको मान्यता दी जाय। उनको समाज में महसूस हो कि पंचायतों का प्रधान वही बनता है जो कि पापुलर होता है और पापुलर वही होता है जो कि अच्छा काम करता है लोगों की सेवा करता है, लोगों के सुखदुख में शरीक होता है। इसके लिये जो मुहकमा है मैं तो कहता हूं कि उसके लिये अलग से चाहे मिनिस्टरी हो, यों तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट के साथ और पंचायत कोआपरेशन के साथ उस मुहकमे का रिश्ता हो और जो मिनिस्टरी इस मुहकमे के लिये कायम हो, वह बराबर घूमती रहे और यह देखे कि गांवों में नयी-नयी विचारधारायें फैल रही हैं या नहीं। जो आज उसके सेक्रेटरी हैं उनके लिये कहा जाता है कि वह पंचायतों पर हावी रहते हैं। मेरा तो कहना यही

है कि जब तक गांवों में जनमत मजबूत नहीं होगा, जब तक लोग यह महसूस करने वाले नहीं होंगे कि उनकी शक्ति कितनी है, तब तक वह उस पर हावी रहेंगे। आज पोलिटिकल लोगों का बेलिहाज किसी पार्टी के यह कर्तव्य हो जाता है कि जो हमारा यह नया एक्सपेरीमेंट है, उसके लिये पूरा काम करें। तभी जनतंत्र का भला होगा वरना आज हमारे इर्द गिर्द जहां दुनिया में और जगह पाकिस्तान, सीलोन, मिश्र, ब्रह्मा, थाइलैंड, इन्डोनेशिया आदि में चारों तरफ तानाशाही, ताकत जम्हूरी ताकत पर हावी हो रही है, हिन्दुस्तान बीच में है इसलिये और भी जरूरत है कि यहां पर डेमोक्रेटिक संस्कृति का रूप देने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि यह अनुदान काफी बेहतर है इसमें किसी तरह की गुरेज करने की बात नहीं है। इसलिये इसमें कोई शुबहा नहीं है कि इससे एक सुधरा हुआ वातावरण पैदा होगा जिससे कि गांव की जिन्दगी, गांव के समाज की जिन्दगी पर अच्छा असर पड़ेगा।

श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—मैं आप की आज्ञा से रामशरण यादव ने, जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बोलने से पहले मैं कुछ अपना अनुभव सन् ३० से पहले जो पंचायतें पश्चिमी जिलों में कायम थीं, उनके सम्बन्ध में बतला दूं। हर अमावश को पंचायत होती थी और गांव के सभापति इकट्ठा होते थे। लेकिन ४, ५ प्रमुख होते थे। वहां जिसने महीने भर में कोई चोरी की हो, फसल को नुकसान पहुंचाया हो, किसी को मारा पीटा हो ये सब झगड़े तै होते थे और उस रोज हर घर में स्पेशल फूड बनता था जैसे खीर वगैरह। उस दिन पंचायत में फैसला होता था। मैंने देखा कभी कोई चोरी नहीं होती थी। बूढ़े बैल को कोई किसी कसाई को बेच देता था तो फिर जितने को बेचा जाता था, उससे दूना उस पर जुर्माना होता था। पहले गांवों में चोरी नहीं थी, छिनरापन नहीं था, झगड़े नहीं थे, लेकिन आज कल वे, सब बातें खत्म हो गयीं।

श्री अधिष्ठाता—बहुत डिटेल्स में न जायें।

श्री खजानसिंह चौधरी—१० मिनट हैं। मैं इसे ही डिटेल में बतला सकता हूं। आज पंचायत के कारण आपस में फूट पड़ी है, झगड़े हुए, कत्ल हुए, बिलकुल ठीक। वोटर्स लिस्ट में भी गड़बड़ियां हुईं। मंत्री लोग तो लेखपालों को मात कर गये। जो लिख दिया वह ठीक। यह तो पंचायतों की कामयाबी है। स्वराज्य हुए १४ वर्ष हो गये। अब आगे नतीजा देखना क्या होता है ?

एक बात के लिये सरकार का तहेदिल से शुक्रगुजार हूं कि बैलट के जरिये से सभापतियों का चुनाव हुआ। लेकिन स्याही का इस्तेमाल नहीं रखा गया यह मुझे अफसोस है। अब आयंदा मेरा सुझाव है कि जो सदस्यों का चुनाव हाथ उठा कर हुआ इसमें भी बड़ी दिक्कत हुई, यह भी बैलट बाक्स के जरिये से होना चाहिये तो ठीक हो जायगा।

अदालती पंचायतों के लिये जो दो सदस्य गांव समाज से चुने जायेंगे कलेक्टर के जरिये तो यह ठीक नहीं मालूम होता जनतंत्र में। इसमें भी यह किया जाय कि इनका चुनाव भी गांव समाज के सदस्यों द्वारा ही हो वर्ना बड़ी गड़बड़ी होगी।

महात्मा गांधी कहते थे राम राज्य हो। ८६ फीसदी जनता गांव में रहती है और वहां रामराज्य हो जायगा तो शहर में अपने आप हो जायगा। हवा तो गांव की शहर में आयेगी लेकिन मेरे खयाल से कागज में अख्तियारात दिये हुए हैं लेकिन वास्तव में गांव सभाओं को कोई अख्तियारात नहीं हैं। या तो गांव सभापति की लाइल्मी समझिये या नातजुरबेकारी समझिये, ज्यादातर मन्त्री ही काम करते हैं। एक और बात है। गांव सभा के पास कोई रुपया नहीं है। किसी सभापति ने २ पैसे फी रुपया मालगुजारी पर टैक्स बांध दिया, और कोई सभापति वैसा हुआ तो उसने ४ पैसे फी रुपया टैक्स बांध दिया। अगर आप को रामराज्य लाना है और महात्मा गांधी की बातों को मानना है तो आप गांव सभाओं को अख्तियारात दीजिये और पैसा

[श्री खजान सिंह चौधरी]

दीजिये। रुपया तो सारा आप वसूल लेते हैं और अपना खजाना भर लेते हैं। २१ करोड़ रुपये आप को रेवेन्यू से आमदनी होती है, तो सवा ५ करोड़ रुपये आप गांव सभाओं को दीजिये ताकि वे अपना काम शुरू कर सकें। उनके काम बहुत हैं। गांव की सड़कों को, गलियों को पुख्ता करें, खरन्जा लगवायें, नालियां बनवायें, सोख्ते बनवायें, ऊसर जमीन को ठीक करें। एक समस्या ऊसर जमीन की ऐसी है कि अगर गांवों में जितनी ऊसर जमीन है यह ठीक हो जाय तो राम राज्य आ जाय, उत्पादन बढ़ जाय। मेरा सुझाव है कि ऊसर जमीन को ठीक कराइये। आप तो ठीक करा नहीं सकेंगे इसलिये गांव सभाओं से इस काम को कराइये। गांव सभाओं के पास जब रुपया होगा तो वे ऊसर जमीन को ठीक करायेंगी, प्लान्टेशन भी करवायेंगी, सड़कें भी बनवायेंगी और कुयें भी बनवायेंगे और कुयें बनवा कर उन्हें गरीबों के सुपुर्द करेंगी।

सहकारिता की बात आप करते हैं। आप हर गांव सभा को एक गोदाम दीजिये। वह अनाज इकट्ठा करेगी, जिनको जरूरत होगी उनके हाथ बेचेंगी और आपको भी मालूम रहेगा कि फलां गोदाम में इतना अनाज है। आप के ब्लाक वाले सब सोशल वर्कर्स होने चाहियें। मुझे शर्म आती है जब मैं देखता हूं कि वे बिलकुल शासक बने हुये हैं और उनमें जनता के प्रति कोई दया की भावना नहीं है।

इसके अलावा रिपोर्ट वगैरह, जो पुलिस में लिखी जाती है, वह हर व्यक्ति न्यारा ही न्यारा लिखता है। रिपोर्ट पहले गांव सभा में लिखी जानी चाहिये और वहां से थाने में जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—आप का समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सत्यवती देवी रावल (जिला बुलन्दशहर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अत्यन्त आभारी हू कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया। मेरे भाइयों ने गांव पंचायत के निर्वाचन के विषय में अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मेरा बहुत सा भार हल्का हो गया है और मुझे कुछ विशेष कहने के लिये नहीं रह गया है। गांव सभापतियों का कार्यक्रम उनके सामने है। मैं मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को गांवों की तरक्की के संबंध में कुछ अपने सुझाव देना चाहती हूं। मानव तभी प्रसन्नता एवं सुख का अनुभव करता है जब कि उसको स्वास्थ्य, यातायात साधन तथा अन्य सभी सुविधायें संतोषजनक रूप में प्राप्त हों। वास्तव में विशेष रूप से गांवों में सड़कों की सुविधा होनी चाहिये। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के रास्ते अक्सर ऐसे पाये जाते हैं कि केवल खेत की मेंड़ ही नजर आती है या यत्र-तत्र गड्ढो या कीचड़मय कच्चे रास्ते दिखाई देते हैं। यह रास्तों की आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है और इसमें दो रायें भी नहीं हैं कि गांवों में रास्ते अच्छे और पक्के होने चाहिये। इसलिये मैं, मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वह ग्राम सभापतियों को आदेश दें कि वे शीघ्रातिशीघ्र गांवों के ऐसे रास्तों का निर्माण करें।

मान्यवर, ग्राम सभाओं की आय के जरिये बहुत ही सीमित हैं। लगान पर केवल एक आना प्रति रुपया ही टैक्स लगाने के लिये गांव सभाओं को अनुमति प्रदान कर रखी है। इससे यदि यह मान लिया जाय कि किसी गांव को लगान में मालगुजारी दो हजार रुपये देने पड़ते हैं तो वह केवल एक आने प्रति रुपया के हिसाब से केवल १२५ रुपये ही होते हैं। इसके साथ ही साथ यदि दो चार हजार रुपये रखें लायसेंस और बना दें तो भी अधिक से अधिक कुल गांव सभा की आय औसतन २०० रुपये से अधिक नहीं बढ़ सकती है। ऐसी दशा में जब कि सेक्रेटरी और चौकीदार का वेतन भी कुछ अंशों में गांव सभा को देना पड़ता है तो बाकी रुपये से गांवों के विकास कार्य कैसे सम्पन्न किये जा सकते हैं? १००,१५० रुपयों में तो मुश्किल से गांव की एक पुलिया ही तयार हो सकेगी। इसलिये मान्यवर, मेरा सुझाव है कि गांव सभाओं को लगान का एक बड़ा अंश देना चाहिये जिससे वहां कुछ गांव के विकास कार्य हो सकें।

सबसे मुख्य सवाल रास्तों का है। गांवों में बैलगाड़ी और जीप के लायक रास्ते होने चाहियें जिससे गांव वाले सच्ची स्वाधीनता और सुख का अनुभव कर सकें। गांवों से मंडी तक के लिये सड़क अवश्य होनी चाहिये जिससे सुचारुरूप से गांव से बाहर गांव वाले अपने सामान का वितरण करने में आसानी पा सकें।

लेखपालों के कागजों में पुराने रास्ते के नक्शे हैं। कम से कम उन्हीं को साफ करवा दिया जाय। छोटी छोटी पुलियां और ऐसे रास्ते, जिनसे एक गांव से दूसरे गांव को जाने की आवश्यकता में नदी नाले पड़ते हैं, वहां ब्लाक के जरिये शीघ्र ही बनवा दिये जायं। मान्यवर, यह ऐसा आवश्यक कार्य है कि इस पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इस निर्माण के युग में निर्माण के लिये सामान बाहर से पहुंचाना पड़ता है जैसे स्कूल, कुआं या मकान के लिये ईंट सीमेंट, लोहा तो ले जाना पड़ता ही है, और उनका ले जाना तो एक तरफ रहा, बीमार को पक्की सड़क तक पहुंचाने का भी यदि गांव में कोई रास्ते का साधन न हो तो यह कहां तक उचित है और न्याय है?

दूसरी जो गांव में सबसे आवश्यक चीज है, वह यह है कि गांवों में हर घर में शौचालय तो होते नहीं हैं। इससे महिलाओं को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी बेपर्दगी होने के कारण जंगल में महिलायें अपने समय की जरूरियातों को भी रोके रहती हैं और इसी कारण अक्सर वे रोगिणी हो जाती हैं। मान्यवर, मेरा सुझाव यह है कि समाज कल्याण कार्यों के बजट से गांवों के चारों तरफ, गांव के पास की ही जमीन अक्वायर करवा कर उसमें महिलाओं के हितार्थ शौचालय बनवा दिये जायं। इसके लिये शीघ्रातिशीघ्र माननीय मंत्री जी आदेश दें तो उनसे महिलाओं का बड़ा उपकार होगा और गांवों को खाद मिलने से भारी आर्थिक लाभ भी होगा। गांव में आमतौर पर ऐसे घर होते हैं जिन में शौचालय बनाये नहीं जा सकते। इसलिये यह कार्य गांव के बाहर ही ठीक प्रकार से हो सकेगा। यदि धनाभाव के कारण इस कार्य में रुकावट पड़े तो मेरा सुझाव है कि लोहे की चादर के शौचालय बनवा दिये जायं जो एक जगह से दूसरी जगह हटाये जा सकें जिससे खर्च भी कम हो तथा गांव की आबहवा भी शुद्ध रहे, परदे की भी सुविधा रहे, कीमती खाद का भी सदुपयोग रहे और ८० फीसदी बीमारी भी कम रहे।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

हमारे पूर्व वक्ता बतला चुके हैं कि पंचायतों द्वारा ग्रामों में, जो ग्राम राज्य का स्वप्न था, वह पूरा नहीं हुआ बल्कि अगर मंत्री महोदय, सरकारी अधिकारियों की जो पाक्षिक रिपोर्टें आती हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे तो उन्हें यह विदित होगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, सदन में परचे के आधार पर काम नहीं होना चाहिये। जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता हों, उनकी नजर जिस पर पड़ जाय उसको बोलने का आर्डर दे दिया जाय। परचे से यहां दरख्वास्त थोड़े ही लगती है। यह तो आपको पूरा अधिकार है कि जो आपके सामने पड़े, उसको बोलने का आर्डर दे दें, यही सदन का नियम है।

श्री अधिष्ठाता—पुजारी जी, क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझूं भी तो? मेरा ध्यान तो पूरे सदन की तरफ है और हर पार्टी के लोग बराबर बोल रहे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी—गंगा प्रसाद जी का नाम गया था, वह कह रहे हैं....

श्री अधिष्ठाता—मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अधिकार है जिसको चाहूं बुलाऊं.....

श्री टीकाराम पुजारी—मैं भी यही कह रहा हूं कि जिस पर नजर आपकी पड़े उसको आप बुलायें, यह पर्ची से काम न हो।

श्री अधिष्ठाता—आप कृपा करके बैठिए।

श्री इन्दुभूषण गुप्त—मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि जो सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट आती हैं उनको ध्यानपूर्वक देखा जाय तो इधर के बैठने वाले सदस्यगण क्या कहते हैं, उसको छोड़कर के भी सदन के सामने बात आ जायगी कि इन पंचायतों के बनने से ग्राम का जो जीवन है, वह अस्त-व्यस्त हो गया है और वहां एक अरक्षा की भावना बढ़ गई है। मान्यवर, कविवर मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में जो ग्राम कभी स्वर्ग तुल्य थे, वह आज नरकों से भी बदतर हो गये हैं। इस सिलसिले में यह निवेदन कर दूं कि जो चुनाव हुए हैं और जिनकी बड़ी प्रशंसा की गई, जिनके लिये माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि बहुत अच्छे चुनाव हुए, आंकड़े भी उसके दिये कि इतने चुनाव निर्विरोध हो गये, इतने चुनावों में झगड़े नहीं हुए और बहुत थोड़े से चुनावों में झगड़े हुए, तो मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा कि अगर वह अपने भाषण में उसका उत्तर देने की कृपा करेंगे तो मैं उनका बड़ा आभारी हूंगा कि यह जो पंच चुने गए हैं या जो सभापति चुने गए हैं उनका पुराना कैरेक्टर रोल क्या था? क्या कभी उन्होंने देखा है? अधिकतर उसमें हिस्ट्रीशीटर्स हैं, जो सजायाफ्ता हैं और जिनके भय के कारण लोगों ने उन्हें वोट दिये हैं, जिनके डर से कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। आपके पंचायत राज के नियमों में यह व्यवस्था है कि जो ऐसे लोग होंगे उन्हें आप हटा देंगे। लेकिन क्या आप उन्हें हटा रहे हैं? अधिकारियों की जानकारी में होते हुए भी कि ऐसे अवांछित लोग चुने गये हैं, कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो रही है। अपने ही जिले के एक गांव सभापति को जानता हूं कि जो हिस्ट्रीशीटर रहे हैं और जिनका चुनाव अनकन्टेस्टेड रहा है। उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। तो यदि इस प्रकार के चुनाव की व्यवस्था आप करेंगे और इस प्रकार की बातों को फैलने देंगे तो उससे क्या ग्राम राज की कल्पना पूरी होगी?

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि ग्राम सभाओं को हम ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि वह कुछ मछली पालन करें, कुछ पोखरे खुदवा लें, कुछ पेड़ वगैरह लगवा लें। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि यह नियम तो ग्राम पंचायत ऐक्ट में है कि जो ग्राम सभा की सम्पत्ति है, उसकी जमीन है उसके ऊपर यदि कोई जबर्दस्ती कब्जा कर लेता है है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन अगर पेड़ है और उसको काट दिया जाय, तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस बात का नाजायज फायदा उठा कर गांव सभा के पेड़ काटे जा रहे हैं और अगर गांव सभापति उसको रोकने की चेष्टा करता है तो वह उसमें असफल रहता है। इसमें स्थानीय अधिकारियों की भी सांठगांठ रहती है। मैं अपने ही क्षेत्र की एक ग्राम सभा का उदाहरण रखना चाहता हूं। जमील नरहल एक गांव सभा है उसके सभापति श्री बलदेव सिंह केवल इसलिये हटा दिये गये कि वह कुछ पेड़ों का काटना रोक रहे थे, जिसको कि डिप्टी साहब और लेखपाल कटवा रहे थे। उन्होंने उसमें रुकावट डाली। नतीजा यह हुआ कि उनके विरुद्ध आरोप लगाकर और ऐसे आरोप लगाकर कि जो सिद्ध नहीं हुए, उनको हटा दिया गया और उनको दो वर्ष के लिये चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया गया, जबकि आज भी गांव का बहुमत उनके पक्ष में है। ऐसी चीजों को अगर माननीय मंत्री हटायेंगे, उनको किसी तरह से रोकेंगे तो यह ग्राम सभायें जरूर सही होंगी वरना उनसे ज्यादा आशा नहीं की जा सकती।

पंचायतों को अधिकार देने के लिये बहुत सी बातें कही गयी हैं। उसी सिलसिले में कहा जाता है कि उनको मालगुजारी वसूल करने का अधिकार, पुलिस का अधिकार दिया जाना चाहिये। मुकदमे फैसल करने का अधिकार तो उनको है, लेकिन जो फैसले वे करते हैं, उनको अगर आप सही ढंग से देखें तो पता चलेगा कि वे कितने गलत होते हैं और उसका अनुभव किसी भुक्तभोगी

को ही हो सकता है। ९० फी सदी मुकदमों में अपील होती है और वे टूटते हैं। इसलिये अगर आप उनके द्वारा फैसला कराना चाहते हैं, तो उनको पहले कायदे-कानून की जानकारी कराइये। उनका नैतिक स्तर ऊंचा करिये और जब वे जिम्मेदारी सम्हालने योग्य हो जायं तब उनको जिम्मेदारी दीजिये। वरना आप एक पागल के हाथ में तलवार दे रहे हैं जो उस से अपनी ही गरदन काट लेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर पुलिस को उनके मातहत करने का सुझाव है तो उस के स्थान पर वे पहले पी० आर० डी० को उनके मातहत कर के देखें। कुछ स्थानों पर वे ऐसा करें और अगर वे देखें कि वे उनका सदुपयोग करते हैं और अपराध घटाने में सफल होते हैं तो एक कदम और आगे बढ़ायें। आप शायद उन्हें लगान वसूली का अधिकार भी देने जा रहे हैं। उस के लिये भी आप के पास सुझाव आये हैं। लेकिन जो कर अभी तक उन्होंने वसूल किये हैं उसका हिसाब किताब आप यदि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें अथवा स्वयं ही देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें कितना गबन है। कोई हिसाब किताब नहीं कोई पता ही नहीं कि वह रुपया क्या हुआ। कर ऐसे लोगों पर लगाया गया है जो कर के देन दार नहीं हैं और दूसरे गलत लोगों पर कर लगाया गया है और जो रुपया वसूल किया गया है कर अथवा मुकदमों में जुर्माने आदि से, उसका भी पता नहीं है। अगर यह सब रुपया ग्राम सभाओं को मिल जाय तो गांव की काफी उन्नति हो सकती है।

अभी मेरे पूर्व वक्ता श्री गोविन्दसहाय जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया। विरोधी पक्ष की बात सरकार नहीं मानती तो ठीक, लेकिन अपने पक्ष के लोगों की बात तो मानें। अगर गांव के लोगों को सही ढंग की, जनतांत्रिक प्रणाली की ट्रेनिंग दें तो अच्छा होगा। मैं टाउन एरिया की एक मिसाल आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।बड़हलगंज एक टाउन एरिया है। न वहां कोई आथंटिकेटेड मैप है और न कागज कि वहां कर कैसे लिया जाता है। उसका कोई तरीका नहीं है। सब धांधलेबाजी में चल रहा है। क्या आप ग्राम सभाओं से इसी प्रकार का काम करावेंगे? मैंने सवाल किया था कि बड़हलगंज टाउन एरिया में रजिस्टर में लिखा हुआ है कि नाम उन अशखाश का जिन से लगान वसूल किया जाता है, लेकिन किस जमीन की बाबत वह लिया जाता है, इसका पता नहीं है। सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। अगर आप ग्राम सभाओं को या इन स्वायत्त संस्थाओं को कुछ पैसा देते हैं तो आपको यह व्यवस्था अवश्य कायम करनी चाहिये कि जिससे जनता को कष्ट न हो, जनहित हो और अराजकता न बढ़े।

मैं आपकी आज्ञा से दो एक बातें और कहना चाहता हूं। अभी आपने पहाड़ों के चुनाव नहीं कराये,हैं, और वह बिल आपके विचाराधीन है। वह जल्दी ही ऐक्ट बनने वाला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव दूंगा कि वह जून, जुलाई में पहाड़ों में चुनाव करा लें, क्योंकि वहां फिर चुनाव नहीं हो सकते। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जो एक्ट बनने वाले हैं उसकी अच्छाई बुराई को भी आप देख लीजिये, उसका भी पता लगा लीजिये।

एक बात और मेरे पूर्व वक्ता ने कही कि ग्राम सभाओं के क्षेत्र में मूविंग लैट्रीन्स होनी चाहिये। हम भी बराबर इस बात को कई वर्षों से लगातार कहते चले आ रहे हैं, किन्तु उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। जिले की जो प्लानिंग कमेटी थी, मैं भी उसका एक सदस्य था और मैंने उसमें भी इस बात को कहा था कि मूविंग लैट्रीन्स सस्ते बन सकते हैं। उसमें करीब ४०-४५ रुपये का खर्चा आता है और वे हर क्षेत्र में एक-एक बनवाये जा सकते हैं। उनको बनवाकर अगर आप ट्रैन्चेज बनवा दें तो किसी को सफाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा और हमारे लिये खाद भी बन कर तैयार हो जायेगी। माननीय नियोजन मंत्री ने मेरे एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए इस बात को स्वीकार भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जायगा। उनको बनवाने की जिम्मेदारी गांव सभाओं को दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, यह शिकायत की जाती है कि पंचायत मंत्रियों की सूची में बहुत गलतियां पायी गयीं, उनमें बड़ी गड़बड़ी पायी गयी। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिये कि जब १०-१०, १२-१२ गांव की सूची जल्दी-जल्दी में तैयार की जायेंगी ,तो उसमें गलती होना स्वभाविक बात है, गलती जरूर होगी। इसलिये आइन्दा उस सूची को बनाने के लिये काफी समय मिलना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं; कि गांव पंचायत के सदस्य बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या को कम करना चाहिये। उनके चुनाव भी सरकार को गुप्त रूप से कराने चाहिये।

आपको मालूम है कि ग्राम सभाओं के पास कोई सम्पत्ति नहीं होती, खर्च के लिये धन नहीं होता, जिसके बगैर वे अपना काम नहीं चला सकती है। आपको पंचायतों को कुछ रेवेन्यू फंड से धन देना चाहिये ताकि वे अपना काम कर सकें।

इसके अलावा पंचायतों का ध्यान गांव की सफाई, सिंचाई, यातायात, खेती, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग आदि की ओर भी दिलाना चाहिये और यह सब काम उनके द्वारा होने चाहिये। जो गांव का नक्शा बना हो उसके अनुसार उनको रास्ता बनाने अथवा अगर कोई उस रास्ते में अपना कब्जा रखे बैठा है, तो उसे हटाने के अधिकार भी होना चाहिये। आज अगर गांव-पंचायत का कोई रास्ता है और उस पर किसी ने अपना कब्जा कर रखा है तो उसे हटाने तक का अधिकार उसे नहीं है। उनको यह अधिकार मिलना चाहिये कि अगर किसी ने रास्ते को रोक रखा है तो उसे हटा सकें तथा नक्शे के अनुसार रास्ते आदि को बना सकें। आज गांव के नक्शे बने हुए हैं पर वहां रास्ते ठीक नहीं हैं। उनको बनवाने के अधिकार उनको होने चाहिये।

आज न्याय पंचायतों का क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसको छोटा करना चाहिये और पूरी जिम्मेदारी पंचायत मंत्री को देना चाहिये। प्रत्येक न्याय पंचायतों की एक प्रतियोगिता भी चलनी चाहिये और जो इधर-उधर के खर्चे होते हैं उनको बचाना चाहिये।

वहां लालटेनें गाड़ी गयी हैं, लेकिन आप इसका पता लगवा लें, शायद ही किसी गांव में लालटेन जल रही हो या किसी सभापति के दरवाजे पर जलती हो, वैसे वह जलती नहीं है और बेकार रुपया खर्च किया गया। अगर गांव में खेती की तरक्की करना है और कोई काम करवाने हैं, तो उसके लिये गांव सभाओं में प्रतियोगिता करानी चाहिये और जो गांव सभा सफाई इत्यादि में बढ़िया हो, उसको शील्ड या झंडा या ऐसा कोई पुरस्कार मिलना चाहिये।

पंचायत मंत्रियों के लिये कहा गया कि बड़े नालायक हैं उनको तनख्वाहें क्या देते हैं, वह तो सभी जानते हैं। अब तक वह लायक रहे हैं और इस चुनाव में नालायक हो गये। हमारे स्वशासन मंत्री ने कहा कि गांव का रजिस्टर पंचायत के इंस्पेक्टर के यहां रहे जिससे गांव का पूरा ब्यौरा आठ-आठ दफा मांगा जाता है और उस मंत्री को उसके लिये समय नहीं मिलता और न कोई काम कर पाता है। इसलिये उसके लिये लाजमी कर दीजिये कि अपने क्षेत्र में दो रात जरूर रहे।

इसके अलावा हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि पंचायत मंत्री तो हमारा आदमी नहीं है। संयोगवश अगर कोई मंत्री अलग हो, या सभापति अलग कर दें तो लोग यही कहेंगे कि और जगह नौकरी नहीं मिल सकती, उनकी उम्र खत्म हो चुकी होगी। जब पंचायत मंत्री आपके आदमी भी नहीं हैं और गांव सभा के हैं तो सभापतियों का तीन चौथाई हिस्सा कहता है कि यह नालायक है तो उनको निकाल देना चाहिये, लेकिन यह नहीं कि उनको २५ मील पर भेज दिया जाय। यह नहीं कि बिना शिकायत ही उनको दूर भेज दिया। हमारे मंत्री जी ने, हमें खुशी है, यह कहा है कि उनकी तनख्वाह और भत्ता बढ़ा दिया जायगा। २ रुपया उनका भत्ता है। अगर वह नहीं मिलता है तो कर, जो वह वसूल करेंगे, उसमें से ले लेंगे और उसका चेक करना भी मुश्किल है। इसलिये उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये अगर उनको अपने

घर से दूर ही रखना है तो १० मील पर रख दें ताकि हफ्ते में छुट्टी हो तो बाल-बच्चों में आ सकें और नालायक हों तो निकाल दिये जायं।

इसके अलावा गांव सभाओं को और कोई कागज देखना हुआ तो लेखपालों को उसके लिये पैसा देना पड़ता है। इसलिये वहां एक खसरा, खतौनी और एक नकशा गांव सभाओं को दिया जाय जिससे कोई चीज देखनी हो तो उसको देख लें और गांव के रास्तों को बना सकें। इस ओर अवश्य सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

न्याय पंचायतों के जो सदस्य चुने जायेंगे वह अलग चुने जायेंगे और सदस्यों में से चुने जायेंगे। फिर उसके बाद जो जगह खाली होगी उसके लिये फिर चुनाव होगा। अच्छा यह है कि पहले ही अधिक चुन लिये जायं। अगर २ सदस्यों की न्याय पंचायत में जरूरत है तो गांव पंचायतों में १५ की जगह १७ चुन लिये जायं जिनमें से २ न्याय पंचायतों में भेज दिये जायं। ऐसा पहले होता था। यह ढंग अच्छा था, अब जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। इस तरह बार–बार चुनाव करने से झगड़ा बढ़ता ही रहेगा, यह झंझट है। इसलिये इसको भी गम्भीरतापूर्वक सोचें। पंचायतें हमारे देश की रीढ़ हैं और जनतन्त्र के लिये हैं। पं० जवाहर लाल जी कहते हैं कि पंचायतें, सहकारिता और स्कूल यही हमारी रीढ़ हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री रूर्मासिह (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पंचायतराज के मुताल्लिक मन्त्री जी ने बहुत तारीफ की और सफलता की बातें कहीं। मैं इस बात को अच्छे तरीके से महसूस करता हूं कि ज्योंही माननीय मन्त्री जी स्वायत्त शासन के मंत्री बने, उन्होंने दो सालों के लिये जिला परिषद् के चुनाव को टाल दिया। तो ऐसे मन्त्री से क्या आशा की जा सकती है, जिसने आते ही प्रजातन्त्र की पीठ में छुरा भोंक दिया हो ? इस पंचायतराज की स्थापना का क्या उद्देश्य है ? सरकार भी कहती है और हमारे दिमाग में भी है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य यही है कि गांवों के अन्दर परस्पर स्नेह हो और मिलजुल कर लोग अपनी खेती बारी, सुरक्षा, सफाई और निर्माण के कामों को अच्छे से अच्छे तरीके से सम्पन्न कर सकें। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी इस ११–१२ साल के समय के अन्दर गांवों में इस चीज को पैदा कर सके हैं ? मन्त्री जी ईमानदारी से इस बात को सदन के सामने रखें। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंचायत राज के उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन उद्देश्यों की प्राप्ति तब हो सकती है जब उसमें अच्छे साधनों का प्रयोग किया जाय। क्या मन्त्री जी कह सकते हैं कि आज पंचायत राज की स्थापना के लिये उन्होंने अच्छे साधनों को इस्तेमाल किया है ?

सबसे पहले मैं उनके चुनाव के तरीके पर ही आना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय मन्त्री महोदय चुनाव को बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और खर्चा बहुत कम करते हैं। मिसाल के तौर पर वोटर लिस्ट ठीक तरीके से नहीं बनाई गई..

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अधिष्ठाता महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या इस सदन में दो सभायें हो सकती हैं ? उस तरफ एक दूसरी सभा हो रही है।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य सदन में शांति रखें।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप जो बोलने का अवसर देते हैं, वह किस आधार पर और किस नियम के अनुसार देते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है कि कुर्सी पर बैठने वालों को बुलाने की स्वतंत्रता होती है, इसमें और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—जिसको आप नहीं जानते हैं उसको तो फिर बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा ।

श्री अधिष्ठाता—चेयर पर बैठने वाला जिसको बुलाना चाहे उसको बुला सकता है, इसमें कोई व्यवस्था या नियम नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—मैं आपकी इस व्यवस्था को पसन्द नहीं करता हूं और सदन में रहना नहीं चाहता । मैं सदन से बाहर जा रहा हूं ।

(श्री गंगाप्रसाद वर्मा सदन के बाहर चले गये ।)

श्री रूमीसिंह—माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें कि मतदान की तिथि तक लिस्ट में वोटर बढ़ाये गये.....

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, जब आपके पास पर्ची पहुंचती है तब बोलने के लिये समय दिया जाता है । इससे सदन की मर्यादा भंग होती है । कायदा यह है कि जिस पर नजर पड़ जाय उसको बोलने का आर्डर देना चाहिये । उस नौजवान के साथ मैं मेरी पूरी हमदर्दी है इसलिये मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—आपको कैसे मालूम हुआ कि पर्ची से बोलने का समय दे दिया जाता है ?

(श्री टीकाराम पुजारी सदन के बाहर चले गये ।)

श्री रूमीसिंह—श्रीमान जी, मैं यह कह रहा था कि पंचायतों और प्रधानों के चुनाव में मतदान की तिथि तक वोटर बढ़ाये गये ।

क्यों नहीं मंत्री जी इस बात की व्यवस्था कर पाये कि वे एक तारीख मुकर्रर कर देते कि इस तारीख के बाद कोई वोटर नहीं बढ़ाया जायेगा । इस संबंध में मंत्री जी एक काम करें । अपने अधिकारियों को यह आदेश दे दें कि जिन अधिकारियों ने वोटर बढ़ाये हैं उनके बारे में जांच की जाय । उससे ही पता चल जायगा कि ऐसे कितने मंत्री हैं जिन्होंने मतदान की तिथि तक वोटरों को बढ़ाया है ।

पंचायत मंत्रियों और इंस्पेक्टरों की कृपा, जिसके ऊपर हो जाती है, वही प्रधान बन जाता है । शाहजहांपुर में एक मौजा झरार है । वहां पर एक व्यक्ति था, जो पिछले चुनाव में प्रधान था और इस बार वह वोटर लिस्ट में भी नहीं रखा गया । इस प्रकार की हजारों लाखों गड़बड़ियां अधिकारियों द्वारा की जाती हैं और ऐसे अधिकारियों के ऊपर ही मंत्री जी विश्वास करते हैं और जो वे उत्तर लिख कर भेजते हैं, उसी को मंत्री जी सुना देते हैं ।

आपको इन सब बातों की सही तौर पर जांच करनी चाहिये । आप दौरा करें और उसकी सूचना पत्र ग्राम पंचायतों को दे दें तब आप देखेंगे कि इस प्रकार की हजारों गलतियां एक एक जिले में आपको मिलेंगी । लेकिन माननीय मंत्री जी ऐसा नहीं करना चाहते । मंत्री महोदय ने एक अच्छे उद्देश्य के लिये अच्छे साधनों को नहीं जुटाया है । इससे तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन कांग्रेसी सरकार के सदस्यों के नीचे तो जमीन है नहीं और न कोई सद्भावना है । उन्होंने जनता की सेवा का कोई कार्य नहीं किया ।

इस पंचायत राज विभाग से भी बड़े और अमीर लोगों को लाभ पहुंचा है । २४ घंटे मंत्री जी को अपनी कुर्सी की हिफाजत करने के लिये प्रयत्न करना पड़ता है और जो प्रयत्न वे करते हैं वही उनके विपक्ष में पड़ता है और उनकी शक्ति ही कम होती जाती है । मैं दावे के साथ

कहता हूं कि मंत्री जी सही तरीका अपनायें तभी उनकी ताकत बढ़ सकती है और उनके विरोधियों की ताकत कम हो सकती है ।

गवर्नमेंट गांवों के साथ कोई न्याय नहीं कर पाई है । कहती यह है कि हम इसलिये अधिकार नहीं दे रहे हैं कि उनमें योग्यता नहीं है । अंग्रेज भी यही कहा करते थे कि अभी हिन्दोस्तानी इस काबिल नहीं हैं इसलिये उनको स्वराज्य नहीं दिया जा सकता। आप भी वही चीज कहते हैं । मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी गांवों को अधिकार दें तो गांवों की उन शहरों से अधिक तरक्की हो सकती है, जहां एम० ए० और डबल एम० ए० रहते हैं । वे उनसे अच्छा काम करके दिखा सकते हैं । लेकिन मंत्री जी उनको अधिकार नहीं देना चाहते बल्कि अच्छे साधनों की प्राप्ति के लिये खराब साधन अख्तियार करते हैं और गलत लोगों को शक्ति प्रदान करते हैं ।

आज गांवों का जो ठीक तरीके से निर्माण कर सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है । प्रधान बनने के बाद मंत्री जी उनसे कहते हैं कि टैक्स लगाओ । दस रुपया लगान पर १० आना टैक्स । अगर कोई दूकान करता है, तो उस पर भी टैक्स, अगर कोई गाड़ी रखता है तो उस पर भी टैक्स । चाहे किसी की गुजर हो या न हो । इस तरीके से प्रधान और झंझट में पड़ जाता है । अगर किसी प्रधान ने टैक्स वसूल भी कर लिया तो वह पैसा सरकारी इंस्पेक्टरों के हाथ में पहुंच जाता है । उसकी इजाजत के बिना प्रधान वह पैसा खर्च नहीं कर सकता है। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि अगर वास्तव में देश और प्रदेश की उन्नति करना चाहते हैं, तो आपका फर्ज है कि १/४ कुल आमदनी का गांव पंचायतों को दें ताकि वह अपना सारा काम सुरक्षा, निर्माण, कृषि की तरक्की, सफाई वगैरह का कर सकें । मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि आज बगैर सुरक्षा के कैसे तरक्की हो सकती है । गांव में नकब लग जाय, चोरी हो जाय, डकैती हो जाय या आपस में झगड़ा हो जाय तो पंचायत सेक्रेटरी को, ए० डी० ओ० को बी० डी० ओ० को या डी० पी० ओ० को कोई मतलब नहीं । तो फिर इन लोगों को रखने से फायदा क्या है ?

मंत्री जी कहते हैं कि पंचायत मंत्रियों की तादाद कम है, इसलिये उनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं । मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास जितने कर्मचारी हैं, उनका रख-रखाव तो आप कर नहीं पाते हैं, ठीक से उन्हें पैसा दे नहीं पाते हैं कि उनकी गुजर हो सके, और बढ़ाने की बात करते हैं । तो जितने आपके पास मंत्री हैं, उन्हीं से काम लेने की कोशिश कीजिये, बढ़ाने की बात न सोचिये वरना और भ्रष्टाचार बढ़ेगा क्योंकि आप गुजर लायक उन्हें पैसा तो दे नहीं पायेंगे और फिर वह अपना काम चलाने के लिये रिश्वत लेंगे ।

अनुदान की बात मंत्री जी ने कही । कोई भी गांव का आदमी अनुदान लेने जाता है, तो जब तक वह बाबुओं को पैसा नहीं देता है, तब तक उसका काम नहीं होता है । जैतीपुर ब्लाक में एक पिपरथरा ग्राम है । कुयें के लिये दरख्वास्त दी । कुआं मंजूर हुआ । एक साल हुआ बनकर तैयार हो गया लेकिन अनुदान आज तक नहीं मिला ।

ब्लाक जैतीपुर है, लेकिन उसका कार्यालय कस्बा कटरा में है । मैंने डी० पी० ओ० से कहा, असिस्टेंट पंचायतराज आफिसर से कहा । सारे ब्लाक की जनता को परेशानी होती है । किसी गांव से १५ मील, किसी से १० मील, किसी से ८ मील और ३–४ मील तो हर गांव से जाना पड़ता है । कार्यालय पर पहुंचने के लिये जहां पर कि इंस्पेक्टर महोदय रहते हैं । इसी जिले के रहने वाले इंस्पेक्टर साहब हैं । उन्होंने ब्लाक को तो छोड़ दिया और कस्बा कटरा में कार्यालय बनाया और खूब पार्टीबन्दी की क्योंकि उसी जिले के रहने वाले हैं । जितने भी दोस्त थे उन्हीं को प्रधान बनवाया ।

एक ग्राम सभा पृथीपुर कुबेरपुर है तहसील जलालाबाद में । वहां ४०० एकड़ परती जमीन है । वहां के भूमिहीनों ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की और जिलाधीश महोदय को दरख्वास्त दी कि भूमि मिलनी चाहिये । कागज में ४०० एकड़ परती है, लेकिन मौके पर एक बीघा भी नहीं मिलेगी । लेखपाल और प्रधान दोनों मिलकर खूब खाते कमाते हैं । तीन-चार हजार रुपया

[श्री रूमसिंह]

सालाना की नाजायज आमदनी करते हैं । वहां के विधायक ने भी जिलाधीश महोदय को दरख्वास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । तो आप अच्छे साधनों का प्रयोग कीजिये और भगवान के वास्ते, प्रदेश के वास्ते और अपनी कुर्सी की हिफाजत के वास्तेस ही तरीके से काम कीजिये तो आपका कल्याण होगा ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो आज पंचायतराज बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । जो अनुदान माननीय मंत्रीजी ने पेश किया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । जो माननीय सोशलिस्ट सदस्य अभी बोल रहे थे उनकी बातों को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । एक तरफ उनकी पार्टी चौखम्भा राज्य की दुहाई देती हैं और आज जब चौखम्भा राज्य का स्वप्न कांग्रेस पूरा करती है और उसको देहातों में सफलीभूत करना चाहती है तो वे ही लोग उसका विरोध भी करते हैं । पता नहीं वे चाहते क्या हैं और उनकी नीति क्या है । यह उनकी नीति की असफलता का ज्वलन्त उदाहरण है ।

जहां तक पंचायत राज का सम्बन्ध है, देहात का आदमी उसकी तारीफ तो करता है, लेकिन वह उससे परेशान इसलिये है कि अफसरों के कारण बहुत सी बुराइयां उसमें गांवों में आ गई हैं । मैं तो, जो परेशानी गांवों में है, उसको देखकर कभी-कभी सोचने लगता हूं कि आजकल का गांव अंग्रेजी राज्य के गांव से अच्छी हालत में नहीं है । आज वहां का जीवन दूषित होता जा रहा है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हों और जनता का सुख आज खतरे में होता जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसके सम्बन्ध में एक कमेटी बैठावें और उसमें सभी पार्टियों के नेताओं को भी शामिल करें और इसमें विचार हो कि जो चुनाव भविष्य में हों वह किस प्रकार से हों जिससे गांव में शान्ति कायम रह सके ।

दूसरी चीज दलबन्दी की है । उसके कारण कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जहां १०७/११७ दो दलों में न चलती हो और आज ऐसे झगड़े हर गांव में पैदा हो गये हैं और इसके साथ-साथ जो दल जीतकर आता है वह दूसरे दल को दबाने के लिये, दूसरे दल के आदमियों को परेशान करने के लिये तरह-तरह की हरकतें कर रहा है । इन सब चीजों को देखते हुये मैं अनुरोध करूंगा कि पंचायतराज के चुनाव के तरीकों पर पुनः विचार हो जिससे गांव का जीवन सुखमय हो सके और शान्ति से लोग रह सकें ।

इसके अलावा अभी कल या परसों चौधरी लायकसिंह के एक सवाल के जवाब में मंत्रीजी ने बताया कि प्रान्त भर में ४२१ हरिजन सेक्रेटरी हैं । आज काफी संख्या में हरिजन देहातों में रहते हैं जो पढ़े-लिखे हैं । इसके साथ-साथ मैं अपने जिले की तादाद बताता हूं । २६५ सेक्रेटरियों में से केवल १० सेक्रेटरी हरिजन हैं । हरिजनों को न क्लर्क में, न इंस्पेक्टर में और न पंचायतराज आफिसर में लिया गया है । एक तरफ तो यह हालत है, दूसरी तरफ १८ प्रतिशत वाली बात है । वह कोटा कैसे पूरा होगा यह पता नहीं है । मैं मंत्रीजी से कहता हूं कि उनके विभाग में उनके आदेशों का पालन नहीं होता और यह कोटा पूरा नहीं किया जाता । हर जिले में और हर विभाग में जातपांत का जोर बड़ी तेजी से चल रहा है । लोग अपने जाति के आदमी को भरती करने की कोशिश करते हैं, हरिजनों की परवाह नहीं करते । यहां तक कि अगर हरिजन नवयुवक हाई स्कूल और इंटरमीडियेट पास हैं तब भी उसको सेक्रेटरी में नहीं लेते हैं और अपने जाति के आदमियों को ले लेते हैं जो जूनियर हाई स्कूल पास हो । यह आज अधिकारियों में धारणा है। यही नहीं चपरासियों की जगह तक उनको नहीं दी जा रही है । पंचायत राज विभाग में जहां हम यह आशा करते थे कि हरिजनों का १८ प्रतिशत कोटा पूरा होगा, लेकिन आज पंचायत राज के कार्यालय में, वहां की नौकरियों में उनका कहीं आज नामोनिशान नहीं है । और हरिजनों के स्थान पर दूसरी जाति के लोग कार्य कर रहे हैं ।

इसके अलावा, एक तरफ तो कहा जाता है कि वन महोत्सव मनाओ और वन लगाओ और दूसरी तरफ दरख्त काटे जाते हैं । अभी हमारे जिले में और मेरे ही पड़ोस में जहां पर आम के पेड़ लगे हुये थे वे काटे जा रहे हैं । प्रधान परमिट दे देता है । पंचायत राज ऐक्ट में नियम बना हुआ है जिस के अनुसार प्रधान से परमिट लेकर पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे आशा है कि इस पर भी माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे जिससे बाग रह जायं नहीं तो यहां तक हो रहा है कि अब आम पाना भी मुश्किल हो रहा है। लकड़ी मिलने की बात तो दूर रही आज बाग भी गांव में बुरी तरह से काटे जा रहे हैं । मैं मंत्रीजी से आशा करता हूं कि वह ऐसा आदेश देंगे जिस से इन पेड़ों का कटना रुक जाय ।

एक बात और कहनी है । गांव में बच्चों के खेलने-कूदने का कोई साधन नहीं है । जो बालक हैं उन के खेलकूद का जरूर प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वे अच्छी तरह से व्यायाम कर सकें।

पंचायत सेक्रेटरियों के बारे में यह कहा गया है कि २५ मील से अधिक दूरी पर नहीं रखेंगे, लेकिन आज ऐसी हालत है कि जो अच्छा काम करता है वह तो २५ मील से दूर रखा जाता है और जो खराब काम करता है या जिसकी शिकायत है वह नजदीक रखा जाता है ।

अभी हमारे यहां पंचायतों के चुनाव हुये हैं । अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन पंचायतों के चुनावों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा खयाल है कि इतना भ्रष्टाचार शायद ही दूसरी जगह पर हुआ हो। हमारे यहां तराई क्षेत्र में यहां तक हुआ कि जो आदमी मर गया है उसका भी नाम वोटर की लिस्ट में था । ऐसे भी लोगों के नाम वोटरलिस्ट में थे जो कानपुर में या बम्बई में रहते हैं । रातों रात लिस्ट बनाई गई और यह सारा काम पंचायत राज इंस्पेक्टर ने किया, लेकिन उस की कोई छानबीन नहीं हुई है। हमारे यहां तो यहां तक हुआ कि जिनकी उम्र कम थी इन्स्पेक्टर ने भाग दो रजिस्टर में उनकी उम्र बढ़ा दी और उसके एवज में रिशवत ली। ग्राम सभा गिर्द गोड़ा के प्रधान ने एक परचा निकाल कर जो अधिकारियों को रिश्वत दिया है उसका भंडा फोड़ किया है कि किस प्रकार वे कामयाब हुये और कितना रुपया किस अधिकारी को दिया है। सब बात परचे में दर्ज है, और यह परचा माननीय मंत्रीजी को भी मिला है। इसके लिये इन्क्वायरी बैठाई जाय तो बहुत बेहतर होगा और फिर उस से पता चलेगा कि पंचायतों के चुनाव में क्या-क्या गड़बड़ी हुई है। वहां पर हजारों रुपये भी प्रधानी के चुनाव में दिये गये। अब पंचायतों के चुनाव हो जाने के बाद वहां का वातावरण बहुत ही दूषित हो गया है और उस को दूषित करने वाले हमारे सरकारी अधिकारी हैं ।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मंत्रीजी से कहूंगा कि जिस जिस पंचायत अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई हो, उस को वहां से फौरन हटाया जाय और वहां पर ऐसे व्यक्तियों को भेजा जाय जो इस काम को अच्छी तरह से कर सकें ।

गांव सभा की जो परती भूमि है उस को पहले ही गांव सभाओं के प्रधानों ने अपने खानदान वालों को दे दिया है और आज यहां तक नौबत आ गई है कि जहां पर मुर्दे जलाये जाते हैं वहां पर भी जमीन नहीं मिल रही है । पंचायतराज ऐक्ट में है कि मुर्दे जलाने के लिये जगह छोड़ी जाय, लेकिन आज उस पर भी कब्जा हो रहा है । आज पार्टीबाजी की वजह से यह सब हो रहा है और इसके कारण गांवों के निवासी परेशान हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत राज के बारे में कुछ कहने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस अनुदान के बारे में रामायण की एक चौपाई याद आती है । 'लिखत सुधाकर गा लिखि राहू' विचार था रामराज्य कायम करने का इन पंचायतों के द्वारा गांवों में, मगर श्रीमन्, रामराज्य के स्थान पर दूसरा ही राज्य स्थापित हो गया है । यह क्यों स्थापित हो गये, इस पर थोड़ा सा प्रकाश माननीय गोविन्द सहाय जी ने अपने ढंग से डाला

[कुंवर श्रीपालसिंह]

और अपने ढंग से उन्होंने बात सही कही है कि जब तक चरित्र का उत्थान नहीं होगा, वह नीचे से नहीं होगा, तब तक उम्दा से उम्दा चीज भी चाहे क्यों न चलाई जाय, वह बेकार हो जायेगी। आज यही प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है कि अनेकों प्रकार की योजनायें बनाई जा रही है, अनेकों प्रकार के काम किये जा रहे हैं और वह इसलिये किये जाते हैं कि उनसे लाभ होगा, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है, तो इसका कारण क्या है ? श्रीमन्, उसका कारण यही है कि जैसे हम किसी एक छोटे से बच्चे को पढ़ाने बैठें, तो उस बच्चे के मस्तिष्क से उस चीज को नहीं सोचते हैं, बल्कि ग्रोन-अप मस्तिष्क से उसको सोचने लगते हैं और इसी वजह से यह स्कीमें गड़बड़ में पड़ जाती हैं।

आज पंचायत राज भी इसी तरह से गड़बड़ में फंस गया है। गांवों में पंचायतों के द्वारा दूसरा राम राज्य स्थापित करने की बात को तो सोचा, मगर श्रीमन्, यह नहीं देखा कि राम राज्य में पंचायतों ने किस तरह से कार्य किया, किस तरह उनका चुनाव होता था और किस तरह से जो आदमी चुना जाता था, वह अपना काम करता था, इस पर कोई विचार नहीं किया गया। विचारधारा तो यही थी कि गांवों में इस प्रकार की पंचायतें फैलाई जायं जो कि रामराज्य का स्वरूप हों लेकिन उनका जो गठन किया गया उसको शुरू किया पाश्चात्य ढंग से, और इस तरह से न वह भारतीय ढंग ही रह गया और न पाश्चात्य ढंग ही रह गया, एक मिली जुली अजीब सी चीज तैयार हो गई। इस का नतीजा यह है कि गांवों में दुर्व्यवस्था में वृद्धि हो गई है। श्रीमन्, रामराज्य के समय में जो चुना जाने वाला व्यक्ति होता था, वह चुनने वालों के पास मारा मारा नहीं फिरता था बल्कि वह तो अपने स्थान पर बैठ कर इस प्रकार के कार्य करता था कि उसके प्रति खामख्वाह ही आस-पास के रहने वाले लोगों के हृदय में इज्जत हो जाती थी और बिना कहे हुये ही लोग उसको चुनते थे। आज भी पंचायत राज स्थापित होने के पहले अगर आप देखें तो १०,५ गांवों में एक आदमी आपको ऐसा मिल जायेगा जो कि ईमानदार और चरित्रवान हो और जिसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही भरोसा होगा जितना भरोसा कि वह अपने किसी बुजुर्ग पर कर सकता है। वह आदमी ऐसा है जो कि आज भी अच्छी तरह से पंचायतों में सही काम कर सकता है। मगर वह किसी खास पार्टी का नहीं है क्योंकि पार्टी के चक्कर में फंस कर तो उसमें वह चीज रह ही नहीं जायगी। तो ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिये था। पहले ऐसे आदमियों के हाथ में पंचायत का काम होता था, वह सरपंच होता था और अच्छा काम व अच्छी व्यवस्था करता था।

श्रीमन्, आज भी इस प्रकार की व्यवस्था जाति पंचायतों में आपको देखने को मिलेगी। उनका कानून इतना कड़ा है कि शायद सरकार के भी कानून उतने कड़े न हों। हमारी सरकार तो उसी व्यक्ति को सजा कर सकती है लेकिन पुश्त दरपुश्त के लिये सजा नहीं कर सकती है। हमारी जो जाति पंचायतें हैं उनमें पुश्त दरपुश्त की सजायें कर सकते हैं लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल कोई ऐसी मिसाल नहीं सुनने में मिली कि किसी अदंडित को दंड मिला हो। लेकिन हमारे इस पंचायत राज में पंचायतों को छोड़ दीजिये, जो बड़ी भारी पंचायत यहां पर बैठी हुई है, यहां पर पचासों गलतियां निकाली जा सकती हैं कि उसको देखने से कोई भी घृणा करेगा। उन गलतियों का कारण क्या है, उसका कारण केवल श्रीमन्, यही है कि सारी व्यवस्था हमारे ऊपर, ऊपर से लादी जाती है। यदि यह पंचायतें सरकार के द्वारा न स्थापित की गयी होतीं और लोगों में प्रेरणा देकर अपने आप स्थापित करने की प्रवृति जगाई गयी होती तो इतनी दुर्व्यवस्था उनमें न होती। आज गांव का प्रधान चुना जाता है तो वह नहीं समझता है कि मैं गांव वालों के द्वारा चुना गया हूं और गांव की भलाई के लिये तथा गांव के उत्थान के लिये काम करूं, बल्कि वह तो समझता है कि मैं तो सरकार की तरफ से अवैतनिक मुलाजिम हो गया। कई मर्तबा मुझे अपने कान से यह सुनने का अवसर मिला कि प्रधान लोग यह कहते हैं, उनसे अगर किसी बात को कहिये, कि हमारी प्रधानी तो नहीं छिन जायगी। उनको यह भय रहता है कि उनकी नकेल सरकार के हाथ में है और जरा भी सरकार उनसे गुस्सा हुई नहीं कि उनकी प्रधानी छिनी।

यह चुनाव प्रथा जिस पाश्चात्य देश की नकल की गयी है अपने ५००साल के तजुर्बे के बाद वह जिस स्थान पर पहुंचा था वहां से हमने शुरू किया है । हमने बालिग मताधिकार के चक्कर में गांवों को ऐसा फंसाया है कि आज कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जिसमें तीन चार पार्टियां न बन गयी हों और वे आपस में जानलेवा न हो गयी हों । यही झगड़ा नहीं है कि फलां आदमी प्रधानी के लिये खड़ा हुआ था तो वह हार गया या जीत गया बल्कि दोनों ओर के यह सोचते हैं कि क्यों वह हारा और क्यों वह जीता और जो जीता गया उसकी गर्दन साफ कर दी जाय । इस हद तक गांव में झगड़े बढ़ गये । पंचायत राज किया गया था रामराज्य के लिये लेकिन वहां झगड़े होने लगे और बल्लम, कांते, गंडासे निकलने की नौबत आ गयी । लिहाजा जब तक नीचे से प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र को सुधारा नहीं जायगा तब तक हर चीज जो अच्छी भी होगी वह बुरी हो जायगी । अगर मंत्री जी, गोविन्द सहाय जी चाहें कि यह काम समाजवाद के जरिये से हो जाय, जड़वाद के जरिये हो जाय तो यह बिलकुल असंभव है क्योंकि समाजवाद या जड़वाद का आत्मा से कोई संबंध नहीं है । यह उतना सूक्ष्म नहीं है जितनी सूक्ष्म आत्मा है । जब तक आत्मोत्थान नहीं होता तब तक बौद्धिक उत्थान नहीं हो सकता और जबतक बौद्धिक उत्थान नहीं होता है तब तक शरीर का उत्थान सोचना ही गलत है । इसलिये आत्मा के उत्थान के लिये जब तक आध्यात्मवाद का प्रचार नहीं होगा तब तक समाजवाद का ढोल पीटने से कोई लाभ नहीं होगा ।

इसके अलावा एक चीज और निवेदन करनी है कि उस समाजवाद के आधार पर इन पंचायतों के गठन से क्या होगा । जो ग्राम सभापति बने हैं, वे गांव के जमींदार बन गये । वे यह नहीं समझते कि हम गांव के चुने हुए हैं । मैं इस बात का प्रमाण दे सकता हूं कि एक-एक ग्राम पंचायत में प्रधान लोग पूरे अपने टर्म तक सभा बुलाते ही नहीं । जो वह चाहते हैं खुद अपने आप कर लिया करते हैं । जैसे मंत्री लोगों के लिये यहां परामर्शदात्री समितियां नियुक्त की गयी हैं लेकिन मंत्रीगण जरूरत नहीं समझते उनको बुलाने की और अपने आप जो चाहा कर लिया, ठीक वही हाल उनके प्रधानों का है । वह तो जब एक ढांचा बना हुआ है समाजवाद का तो उस ढांचे में जिस किसी को भी ढाल दिया वह वैसा ही निकल आया ।

इसके अलावा एक चीज और है । पंचायत सेक्रेटरी तो लिखता है कि इस ग्राम सभा में इस महीने में एक भी मुकदमा दायर नहीं हुआ लेकिन अगर रजिस्टर देखिये तो रजिस्टर भरा पड़ा है । उसका कारण यह है कि दोनों बातें ठीक हैं । जिस वक्त पंचायत सेक्रेटरी ने उस रजिस्टर को देखा तो उस वक्त वह बिलकुल खाली था और उसने लिख दिया कि एक भी मुकदमा नहीं हुआ । लेकिन जब सरपंच साहब के यहां इधर-उधर से दोस्त अहबाब और रिश्तेदार पहुंचे तो तारीखें तो उसमें खाली पड़ी ही रहती हैं, उन्होंने उस तारीख में मुकदमा दायर कर दिया और इस तरह से सेक्रेटरी की रिपोर्ट में तथा रजिस्टर में कंट्राडिक्शन हो गया । तो यह हालत वहां की है ।

श्री कैलाश कुमार सिंह (जिला बदायूं)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस ग्राम पंचायत के अनुदान का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । गांव सभाओं के द्वारा समाज में जो परिवर्तन आज हमें दृष्टिगोचर हो रहा है उसके संबंध में हमारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य जौनपुर ने ऐसे विचार प्रकट किये कि समाजवाद के आधार पर जो पंचायतें स्थापित की गयी हैं इनके द्वारा उन्हें वह परिवर्तन नहीं महसूस होता जिसकी कि वे कल्पना करते थे । लेकिन सम्भवतः वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि अभी समाजवाद आने की स्थिति पैदा ही नहीं हुई है । अभी तो जिस तरह के समाज से हम लोग निकले हैं उसी की सारी बुराइयां चल रही हैं और चलेंगी जब तक कि एक क्रान्ति अन्दरूनी तौर से और बाहरीतौर से आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव से हमारे मुल्क में न हो और जब तक पंचायतें और सहकारिता अपने-अपने कदम मजबूत न कर लें उस समय तक कोई भी परिवर्तन इस प्रकार का देखने को नहीं मिल सकता जिसकी कि वे समझते हैं कि हम लोग कल्पना कर रहे हैं । यह जरूर है कि हम लोग इन पंचायतों के द्वारा एक ऐसे समाज को जन्म दें जो कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जिसका चित्र इस प्रकार का हो

[श्री कैलाश कुमार सिंह]

कि जिसमें सब गांव के वासी अपने-अपने कार्य को भली प्रकार स्वयं देख सकें, अपनी समस्याओं पर विचार कर सकें और उनका समाधान कर सकें और वही समाज की कल्पना आज हमें अच्छी तरह से दीख रही है और हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो चीज हम आगे के लिये सोच रहे हैं वह धीरे-धीरे नजर आती जा रही है । जिस तरह के कार्य पंचायतों द्वारा हुये हैं, जो आंकड़े पंचायतों की पुस्तकों में दिये हैं उनसे यह अच्छी तरह प्रतीत होता है कि हम आगे मार्ग पर अग्रसर होते जा रहे हैं और उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिससे कि हम ऐसा महसूस करें कि एक पिछड़ेपन की बात आती जा रही है ।

श्रीमन्, हमारे एक माननीय सदस्य स्वतंत्र दल के हैं उन्होंने कहा कि पंचायतों को तोड़ देना चाहिये । उनकी विचारधारा ही बिलकुल दूसरी है । वह नहीं चाहते कि समाज में कोई परिवर्तन हो । वह समाज को एक स्थाई चीज समझते हैं और जिस प्रकार से पुराने जमींदारों ने शोषण किया है, उसी शोषित अवस्था को रखने के लिये वे चाहते हैं कि पंचायतें आगे न बढ़ सकें, लेकिन यह विचार चलने वाला नहीं है । आज के जमाने में पंचायतें आगे बढ़ रही हैं और उनके द्वारा एक जागृति पैदा हो रही है । आप देखेंगे कि एक दिन बड़ी भारी शक्ति का उदय होगा । आज हमें और हमारी सरकार को सोचना यह है कि जिस शक्ति का अभ्युदय हो रहा है उसको हम सही मार्ग पर ले जायं, कहीं ऐसा न हो कि उस शक्ति को हम गलत मार्ग पर ले चलें । इसलिये पंचायतों के संबंध में जो विचार माननीय सदस्यों ने रखे हैं वे विचार करने योग्य हैं कि इस संबंध में एक सही ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है कि जिससे हमारे लोगों की डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स में आस्था हो और उनके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण होना है, जिसकी नींव पंचायतों और सहकारिता पर आधारित हो । इसलिये जब तक उनके मस्तिष्क का सही विकास सही दिशा में नहीं होगा तब तक हम जिस समाज की कल्पना कर रहे हैं उसके बनाने में हमें उतनी सफलता नहीं हो सकती । इसलिये मैं यह सुझाव रखता हूं कि उनकी ट्रेनिंग में, जैसा कि माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि हमारे जो चुने हुये प्रतिनिधि थे उनका भी सहयोग नहीं लिया गया, यह एक दुःख की बात है । लेकिन यह एक खुशी की भी बात है इस सेन्स में कि आज, जैसा कि कई सदस्यों ने कहा, पंचायतों के मंत्री प्रधानों पर हावी होते जा रहे हैं, तो हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसे पुरुष आज मौजूद हैं कि जो चुने हुये पुरुषों पर हावी होते जा रहे हैं । पंचायत स्तर बहुत छोटा है । हर स्तर पर आप देखें कि यह चीज आम होती है । इसमें कोई खास बात नहीं है । ऐसी दशा में मेरा विचार है कि हम अपनी इंटेलीजेंशिया क्लास पर अपने मौलिक चरित्र के द्वारा ऐसा प्रभाव डालें जिससे हम उनके दिमाग पर हावी हो सकें या उनको अपने विचारों में ढाल सकें। यह न हो कि हम उनके विचारों में ढल जायं । इसलिये उनकी ट्रेनिंग की विशेष आवश्यकता है ।

दूसरी बात, पंचायतों के निर्वाचन में भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत सुनने में आई है । एक चीज जो मैंने नोट की वह यह है कि पंचायतों के चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ, वह क्यों हुआ, यह देखने की बात है । वह इसलिये हुआ कि मतदाताओं की सूची में वोटर बढ़ाने की तिथि निश्चित नहीं हुई । इसलिये आखिरी समय तक वोटर बढ़ाये गये । अभी हमारा चरित्र ऐसा नहीं हुआ है जिसकी कल्पना की जाती है । इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है और इसका नतीजा यह हुआ कि बंधन ढीले पड़ते गये और बहुत-सी ऐसी बातों की चेष्टा होती गई जो नहीं होनी चाहिये थी । जो वोटर लिस्ट विधान सभा के लिये है वही इस्तेमाल होनी चाहिये और वोटरों को बढ़ाने की तिथि भी निश्चित होनी चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि पंचायतों की मीटिंगों के संबंध में विशेष ध्यान दिया जाय और इसकी हर महीने रेगुलर मीटिंग असली रूप में हो, फर्जी न हो, जैसा कि अभी तक होता रहा है । श्रीमन्, ऐसा होता रहा है कि मीटिंग की कार्यवाही प्रधान के निवास स्थान पर या पंचायत-घर में एक दो सदस्यों ने कर ली और मंत्री जी रजिस्टर लेकर घूमे और कोई सदस्य खेत पर मिल

गया तो उससे अंगूठा गलवा लिया या दस्तखत करवा लिये । असली चीज है कि उपस्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिये जिससे गांव की समस्या पर सभी लोग विचार कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री मुकुटविहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये समय दिया मंत्री जी द्वारा जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, और विरोधी दल द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव लाया गया है उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, स्वायत्त शासन की तमाम चर्चा की गई और हमारी सरकार जनतांत्रिक सरकार होने का दावा करती है । इधर ध्यान दिया जाय कि पंचायत राज्य जनतंत्र की पहली इकाई है । इसलिये हमें देखना है कि इसमें किस तरह से सफलता मिली है । प्रधान के चुनाव में कितना गलत तरीका अपनाया गया है ? एक तो यह कि प्रधान द्वारा जो परचे खरीदे जाते हैं, उनका रुपया वापस नहीं किया जाता है और इसी प्रकार से सदस्यों द्वारा जो परचे खरीदे जाते हैं उनका रुपया भी वापस नहीं किया जाता है । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि रुपया वापस मिलना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि मेम्बरों के चुनाव करने की जो पद्धति हाथ उठाकर अपनाई गई है, वह ठीक नहीं है । हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं और इस कारण समाज का जीवन अस्त-व्यस्त न हो, इस ओर हमें ध्यान देना है । आज गांवों का जीवन कितना अस्त-व्यस्त हुआ, इसको सभी जानते हैं । आजकल गांवों में पार्टीबाजी हो गई है जिसकी वजह से लोग उन्नति नहीं कर पाते हैं । हमारे मंत्री जी ने कहा कि गांव पंचायतों के चुनाव तमाम जगह पर निष्पक्ष रूप से और निर्विरोध रूप से हुये हैं । इसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं । इसका एक ही कारण है कि ऐसे प्रभावशाली लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं, जिनके विरोध में किसी को खड़े होने की हिम्मत नहीं होती है । इतना उनका आतंक रहता है कि दूसरे लोग खड़े नहीं हो पाते हैं ।

एक अन्य बात यह है कि देहातों में ग्राम समाजों में लोगों की रुचि और आस्था नहीं है । बहुत से ग्राम समाज अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बन पाये हैं । अभी तक सभी सदस्यों ने अपने नामजदगी के परचे दाखिल नहीं किये हैं । नामजदगी के परचे न दाखिल करना उनकी अवहेलना और अरुचि का परिचायक है ।

दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक बहुत सी ग्राम-सभाओं में भवन के तक निर्माण नहीं हो पाये हैं । ग्राम सभाओं द्वारा किसी प्रकार का भी ग्रामोन्नति का कार्य नहीं किया गया है । अगर ग्राम सभा के अध्यक्ष से यह पूछा जाय कि तुम्हारे गांव में अमुक आदमी पर कितना टैक्स है तो वह बताने में असमर्थ होता है । वह कहता है कि सेक्रेटरी महोदय आयेंगे तो बता देंगे । दस वर्ष से पंचायत टैक्स लग रहा है । १९५० से यह प्रारम्भ हुआ था और आज भी बहुत अधिक संख्या में ऐसे गांव पाये जाते हैं जहां पर दस वर्ष का टैक्स बाकी है । मान्यवर, ग्राम सभा पर अगर ग्रामीणों की आस्था और उसकी जानकारी नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी विशेष रूप से सरकार पर या उसके द्वारा खोले गये ब्लाक के अधिकारियों पर है । जबकि हम ग्रामोन्नति के लिए इतने बड़े-बड़े कार्य कर रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, ग्रामीणों को उन कार्यों के प्रति कोई रुचि और जानकारी न हो, टैक्स लगाते हैं वह फाइलों में पड़ा रहता है, दस वर्ष के बाद कुर्की की जाती है, जानवर नीलाम हो जाते हैं । बड़ा दुख होता है । हम कल्पना के संसार में उड़ान किया करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते कि किस प्रकार की हमारे सामने कठिनाइयां हैं, । यह भी कहा जाता है कि अमुक कार्य में बड़ा खर्चा है, इस वास्ते नहीं कर सकते । ग्राम पंचायतें जो प्रजातंत्र की पहली इकाइयां हैं, प्रजातंत्र की नींव हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुकुट बिहारी लाल अग्रवाल]

आवश्यक है कि इनको मजबूत बनाया जाय। जब इस चुनाव पद्धति के कारण गांव का जीवन अस्त-व्यस्त होता है, और हम मानते हैं कि गांवों में बैलट पेपर द्वारा चुनाव करवाना चाहिये, तो यह कहने से छुट्टी नहीं हो जाती है कि इसमें बड़ा खर्चा होता है। उस खर्च को अवायड करने के लिये जो आज खुली पद्धति से चुनाव करवाये जा रहे हैं, उससे ग्रामीण जीवन में इतनी कटुता आ गयी है, और वह इतना अस्त-व्यस्त हो गया है कि उससे कई गुना पैसा लगाने पर भी उसको सुधारने में हम समर्थ नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, देहातों में बड़ी खराब स्थिति है। परती पड़ी हुई जमीन प्रधान लोग घूस लेकर जोतवाये हुए हैं। रेकार्ड्स में देखने में आता है कि इतनी जमीन परती पड़ी है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि भूमिहीन लोगों को वह जमीन वितरित की जाय और ग्राम समाज की देखरेख में रखी जाय।

एक सुझाव टैक्सेशन के संबंध में मेरा यह है कि ग्राम समाज द्वारा लगान वसूल किया जाय। उसमें से २५ प्रतिशत ग्राम सभाओं को दिया जाय। इस प्रकार सरकार भी परेशानी से बच जायगी और ग्राम सभाएं भी अपना कार्य सुचारु रूप से चला सकेंगी। हम लोग नकल करते हैं विदेशों की। हमने समाजवाद की चीज विदेशों से उधार ली है, लेकिन यह समझ नहीं पाते कि विदेशों में जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, हमारे देश में उतने पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। इसलिए हमको सफलता नहीं मिलती। इसलिए देहातों में बच्चों की पढ़ाई के लिए ग्राम समाजों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

देहात के उद्योग-धंधों की तरफ तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि हमने जो कार्य किये उनमें हमें सफलता नहीं हो पाती है। कारण यह है कि आज का अधिकारी-वर्ग अपने को शासक-वर्ग समझता है, ग्रामीण को बड़ी तुच्छ दृष्टि से देखता है। वह उनकी बातें सुनना पसन्द नहीं करता। वह चाहता है कि जहां वह जाय लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो कर उसकी जी हुजूरी करें। यह भावना बहुत खराब है। सभी सदस्यों की यह भावना है कि हम लोग उन्नति करें। उस उन्नति में क्या रुकावट है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और इस ओर हमारे मंत्री महोदय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये, और कभी-कभी समय निकाल कर बगैर किसी प्रोग्राम के किसी गांव में वह पहुंच जायं। जाकर देखें और लोगों से जानकारी हासिल करें कि क्या-क्या काम वहां हुए हैं। इस प्रकार अगर वह करें तो उनको सही जानकारी हासिल हो सकेगी। मान्यवर, मेरा कहना तो सिर्फ इतना ही है कि जितनी भी मशीन सरकार की है वह विदेशी शासन की छोड़ी हुई मशीन है और उस मशीन का यह विश्वास है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। इसी आधार पर वह सब कुछ करते हैं जिसके कारण अपना देश पनप नहीं पाता।

श्री रामशरण यादव—मान्यवर, आज इस प्रस्तुत अनुदान पर सदन के जिन माननीय सदस्यों ने वादविवाद में भाग लिया, अपने विचार व्यक्त किये मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं उन सदस्यों का विशेषतौर से अनुगृहीत हूं जिन्होंने कि मेरे द्वारा प्रस्तावित सुझाव का समर्थन किया है और उस पर बल दिया है। मैं उम्मीद करूंगा और निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जिन पर बहुमत एक मत हो चुका है, उन सुझावों को वह अवश्य ही कार्यान्वित करने की कृपा जल्द से जल्द करें। मान्यवर, मंत्री जी ने एलेक्शन के आंकड़े देते हुए शायद कुछ गर्व का अनुभव किया कि एलेक्शन में अनियमिततायें कम हुई हैं। मैं केवल इतना ही कह देना मुनासिब समझता हूं कि वह अनियमिततायें जो कुछ भी कमोबेश हों, लेकिन उन पर अब उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिये। एलेक्शन आफेन्सेज (offences) को मान्यवर, कितनी अहमियत जनरल एलेक्शन में दी जाती है, उतनी ही अहमियत पंचायतों के एलेक्शन के सिलसिले में भी दी जानी चाहिए। चाहे वह अधिकारियों द्वारा की गई हो, चाहे अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, उसको भी उतनी ही अहमियत दी जानी चाहिए, अगर जनतंत्र को इस देश की जनता में चलाना है तो। दूसरी बात यह कि जैसे चोरी या अन्य इम्मारल आफेंसेज करने वाले व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किये गये हैं वैसे ही पंचायत राज

ऐक्ट में एक संशोधन इस प्रकार का भी होना चाहिये कि जिसके खिलाफ जातपांत को बढ़ावा देने की शिकायत मिलती है, यानी सोशल डिसेबिलिटी ऐक्ट के मातहत जिसको सजा हो गई हो, वह भी एलेक्शन में खड़ें होने के लिये एक डिसक्वालीफिकेशन मानी जानी चाहिये ।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्रीजी ने बड़े धीरे से कहा कि जो पंचायत सेकेटरियों के वेतन और भत्ते में बढोत्तरी की गई है या जिसको करने का विचार है, वह पर्वतीय क्षेत्र के मंत्रियों के लिए तो गारंटी सी है, लेकिन उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कि मैदानी पंचायत सेक्रेटरी जो हैं उनके लिए वह बढ़ोत्तरी दी जायगी या नहीं । यह वह स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे ।

यहां पर जो भी ऐसे विचार प्रकट किये गये हैं कि पंचायत सेक्रेटरियों की तादाद ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिये, उसमें कोई बढ़ौत्तरी नहीं होनी चाहिये, उन माननीय मित्रों से मैं अपने को असहमत पाता हूं । मैं यह चाहता हूं कि उनकी ठीक वर्किंग को आप देखें । जब हम हर गांव सभा को एक इकाई बना रहे हैं तो वास्तव में पंचायत सेक्रेटरियों की तादाद भी बढ़नी चाहिये और जो वी० एल० डब्ल्यू० की आमदनी का स्टैंडर्ड है, तनख्वाह, भत्तों और टी० ए० वगैरह का वही स्तर पंचायत सेक्रेटरियों का भी होना चाहिये क्योंकि उनका काम वी० एल० डब्ल्यू० के काम से किसी प्रकार कम नहीं है । केवल हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट का शिक्षा स्तर में फर्क हो सकता है लेकिन वह भी हुआ होगा समय-समय पर होने वाले रेक्रूटमेन्ट के आधार पर ।

माननीय गोविन्द सहाय जी ने बताया कि पोलिटिकल पार्टीज भी इसमें शिरकत नहीं करती हैं, उन गांव पंचायतों को डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग देने में, मैं उनकी इत्तला के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तालाब बक्शी में जिस वक्त कम्युनिटी प्रोजेक्ट की ग्रुप स्टेडी करने गया था, मान्यवर, इसी सरकार का प्रतिनिधि होकर अपनी पार्टी की ओर से, तभी मैंने सुझाव दिया था, जब संचालक पंचायत राज विभाग अपना भाषण दे रहे थे । मैंने अपने ग्रुप स्टेडी में, जिसमें रामेश्वर प्रसाद जी भी थे, साफ-साफ यह कहा था कि एम० एल० एज० और जो पब्लिक लीडर्स हैं उनका कोआपरेशन इसमें होना चाहिये, जैसे यहां आफिशियल और नान-आफिशियल को ट्रेनिंग दी जाती है, दी जा रही है उसकी पहले आवश्यकता थी । गांव सभा के सदस्यों से मिलना-जुलना चाहिये था । और मैंने यह भी साफ कहा था कि जो कोआर्डिनेशन जिले के स्तर पर विचाराधीन है उससे कम महत्व का गांव के स्तर का कोआर्डिनेशन नहीं है, उसे होना चाहिये । मैं नहीं समझता कि किस तरह से गोविन्द सहाय जी ने कह दिया कि पोलिटिकल पार्टीज को इसमें इन्टरेस्ट नहीं है । शायद वह कांग्रेस की पार्टी की शिकायत किन्हीं बन्धनों की वजह से नहीं कर सके, लेकिन उस समय जो लखनऊ की कांग्रेस पार्टी के विधायक थे उन्हें आमन्त्रित किया गया था, पंचायत के ट्रेनिंग कैम्प्स का उदघाटन करने के लिये, और अपोजीशन पार्टीज के एम० एल० एज० को उसकी कोई इत्तला नहीं दी गई । हकीकत यह है । मैं शिकायत नहीं करता किसी की, उनमें जो योग्य होंगे, गये होंगे, लेकिन मैं उनकी इत्तला के लिये यह बात बतला रहा हूं ताकि वे जान लें कि हकीकत क्या है । मान्यवर, मैं चाहता नहीं और मुझे इच्छा भी नहीं कि मैं उद्घाटन करूं किसी कैम्प का, लेकिन अमूमन ऐसा हुआ है, जैसा मैंने कहा ।

मन्त्री जी ने यह बात कही कि पंचायतों का लेखा-जोखा सुधर रहा है । मैं यह चाहता हूं कि इसमें ज्यादा सफाई रहे और गड़बड़ी न हो । तीन-चार साल बाद आडिट होना ठीक नहीं है । मैं चाहूंगा कि हर साल आडिट होना चाहिये और इसके लिय माननीय मन्त्री जी कोई व्यवस्था करें ताकि गड़बड़ी की ज्यादा गुंजाइश न रहे ।

इसी सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता था और मैंने मांग की थी जिसको फिर दोहराये देता हूं इस अवसर पर कि यह सब मान चुके हैं कि गांव सभायें इकोनामिक व्यवस्था की रीढ़ हैं । इस ओर उनका ध्यान होना चाहिये और इतना ही नहीं वे जनतन्त्र की रीढ़

[श्री रामशरण यादव]

भी हैं और उसकी पहली इकाई है। इस नुक्तेनजर से जरूरत इस बात की होगी कि गांव के स्तर पर यह सेक्रेटेरियट की तरह से काम करें और सारे विभागों का उनके साथ कोआपरेशन हो और वहां गांव सभा की स्वतन्त्रता में वही स्तर होना चाहिये जो यहां असेम्बली का है। इस बात की मुझे सख्त शिकायत है और मेरा निवेदन है, और सभी सदस्यों ने भी कहा है, कि एलेक्टेड आदमियों की हैसियत बननी चाहिये, एलेक्टेड इंस्टीट्यूशन्स की हैसियत बढ़नी चाहिये। उनकी हकीकत और सत्ता को माना जाना चाहिये। मैं इस बात के लिये जोर देता हूं और चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता को समझ कर कि इसकी सख्त जरूरत है, इस बात पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गांव-सभाओं को ऐफेक्टिव बनाने के लिये यह जरूरी है कि लोगों की, जनता की उनमें आस्था हो, एक्जीक्यूटिव वर्क उनको दिया जाना चाहिये। मिसाल के लिये इर्रीगेशन की स्कीम्स हैं, पब्लिक वर्क्स का काम है या कुंआं या रहट आदि बनाने का काम है, यह सब गांव सभा की लेविल पर उनसे कराया जाना चाहिये और इस प्रकार से सहकारी समाज की पृष्ठभूमि बन सकती है। वे इस प्रकार की एफेक्टिव इन्स्ट्रूमेन्ट बन सकेंगी और सहकारिता की बेसिस पर समाज को ट्रेनिंग देने का साधन हो सकेंगी। कोआपरेशन और गांव-सभा को साथ-साथ चलना चाहिये और यह आज और अभी से होना चाहिये।

मान्यवर, आपकी इजाजत से मैं एक बात और कह दूं। आजकल हम लोग भी परेशान हैं और लोग ऐसा महसूस करते हैं कि यहां अफसरों का राज है, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० लोगों का राज है और देहात में एम० एल० एज० का राज है। आज देहात में जनता ऐसा ही महसूस करती है। ऐसी सूरत में आवश्यक है कि गांव सभाओं को उनसे ज्यादा सहयोग मिले। मैं नहीं चाहता कि हम लोग वहां जाकर कोई पदाधिकारी बनें, लेकिन यह आवश्यक है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा घनिष्ठता उनसे प्राप्त करें।

जब यह भावना उनकी दूर होगी तभी कुछ सुधार होगा। आज उस तरफ के फंसाने वाले हैं तो इस तरफ के छुड़ाने वाले हैं। इसलिये गांव सभाओं को पूर्णतया आटोनामस होना चाहिये।

एक बात और कहकर मैं भाषण समाप्त कर दूंगा। आज जो पंचायतों के मन्त्री हैं वह अस्थायी हैं। उनको स्थायी कर दिया जाय और उनको भी एक पब्लिक सर्वेन्ट माना जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, व्यवस्था का एक प्रश्न है। वह यह है कि आज अनुदान संख्या ४१ पर विवाद नहीं हुआ और उसपर बिना बहस हुये मत ले लिया गया। कुछ हम लोगों को गलतफहमी हो गई और उसके कारण विवाद न हो सका। जो प्रोग्राम हम लोगों को मिला था उसमें भी यह नहीं दिया हुआ था कि वह अनुदान निर्विवाद पास होगा। उसके बाद सप्लीमेंटरी एक कागज मिला था, उसमें भी इसका कोई उल्लेख नहीं था। आज पता नहीं नेता विरोधी दल ने किस प्रकार आपको यह बतलाया कि इस पर निर्विवाद मत ले लिया जाय। उसको हम लोग ठीक तरह से नहीं समझ पाये.....

श्री अध्यक्ष---उस समय उसको स्पष्ट रूप से कह दिया गया था, अब अगर कुछ लोग सोते रहें, तो उसके लिये सदन को कोई सजा तो नहीं दी जा सकती। सदन ने ही उसको स्वीकार किया और उसके लिये अपनी राय दी। सदन की राय से वह ग्रांट पास हो चुकी है। अब वैधानिक प्रश्न कोई रह नहीं जाता।

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री कैलाश प्रकाश---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुगृहीत हूं कि उन्होंने पंचायतों के अनुदान पर अपने विचार व्यक्त किये और सुझाव भी दिये। जो कुछ

कहा गया उसमें एक बुनियादी बात यह थी कि पंचायत राज हमारे प्रदेश में अच्छे तरीके से स्थापित किया जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उनके बारे में जवाब देना इस थोड़े से समय में सम्भव नहीं होगा, किन्तु जिनके बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, समय के अन्तर्गत, मैं उसे कहने का प्रयास करूंगा।

सदन में कुछ व्यक्तिगत शिकायतें भी की गईं। मैं उनके बारे में यहां कुछ नहीं कहूंगा, किन्तु माननीय सदस्यों से, जिन्होंने व्यक्तिगत शिकायतें की हैं और जिनके बारे में उन्हें व्यक्तिगत जानकारी है, उसको वह लिख कर मेरे पास भेज दें, मैं उनकी जांच कराने की कोशिश करूंगा, वह चाहे अन्तरिम जिला परिषद के बारे हों या पंचायतों के बारे में हों।

हां, एक बात की चर्चा के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के एक मेरे मित्र, माननीय सदस्य, ने संचालक, पंचायत चुनाव की अवैधानिकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कुछ इस प्रकार का भी संकेत किया कि उन्होंने कार्य ठीक नहीं किया। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संचालक, पंचायत राज, और संचालक, पंचायत चुनाव, यह दोनों भिन्न-भिन्न अधिकारी हैं। संचालक, पंचायत चुनाव अपना कार्य पंचायत के चुनाव के बारे में करते हैं। संचालक, पंचायत राज, का दूसरे कार्यों से सम्बन्ध रहता है। इस बात को आवश्यक समझा गया है कि जो अधिकारी चुनाव का संचालन करते हैं, उनको अलाहदा रखा जाय और वह आज हमारे कानून विभाग के उच्च अधिकारी, लीगल रिमेम्बरेंसर हैं। वही उसके संचालक हैं।

श्रीमन्, इस केस की तरफ, जिसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, यह वाराणसी जिले का है। एक पंचायत में दो उम्मीदवार खड़े हुये। उनमें से एक उम्मीदवार ऐसे थे कि जिनको ३०७–१४९ में सजा हुई डेढ़ साल की नीचे की कोर्ट से और फिर हाई कोर्ट ने भी उस सजा को कनफर्म कर दिया। इन सज्जन ने, जिस वक्त नामजदगी हो रही थी उस वक्त अपना पर्चा दाखिल किया। उस वक्त यह आपत्ति की गई कि पंचायत राज अधिनियम की दफा ५ के अधीन यह अनर्ह हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। वहां के अधिकारी ने उस आपत्ति को निरस्त किया, नहीं स्वीकार किया, और उनकी नामजदगी का पर्चा स्वीकार कर लिया। श्रीमन्, धारा (१२ बी० बी०) जो इस अधिनियम में रखी गई है वह स्पष्टतया इस बात के लिये रखी गई है कि यहां इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के खिलाफ चुनाव के दौरान में कोई कार्यवाही हो जाय, तो संचालक, पंचायत राज चुनाव उसको ठीक कर सकता है। यह शिकायत संचालक, पंचायत राज के यहां आई और साथ में हाईकोर्ट का सर्टिफाइड जजमेंट भी आया जिसमें तारीख भी लिखी थी, जिस तारीख को जजमेंट दिया गया, जिससे स्पष्टतया विधान के अनुसार, जो पंचायत के हैं, वह अयोग्य थे। न सिर्फ चुने जाने के लिये अयोग्य थे बल्कि इसी विधान की दूसरी धारा के अनुसार यदि कोई चुना जाय और वह अनर्ह हो जाय, तो वह फिर रह भी नहीं सकता है, "he will cease to be a member" ये शब्द इसके हैं। संचालक, पंचायत राज को उसमें आदेश था कि इनकी नामजदगी के पर्चे को खारिज कर दिया जाय, क्योंकि चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था इसलिये अख्तियार था ही, वह खारिज कर दिया गया। इसकी शिकायत माननीय सदस्य ने सदन में की कि धांधली की गई और अवैधानिकता की गई। यह उनको अख्तियार है जो कुछ भी कहें, लेकिन केस यही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाय, वह मिस्कोट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप बीच में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—जब मिस्कोट कर रहे हैं तो हमको पूर्ण अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—आप उनके बाद बोल सकते हैं। जब तक वह बैठें नहीं, तब तक आप कैसे बोल सकते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—एक बात यह कही गई है कि इस बार न्याय पंचायत के लिये अतिरिक्त सदस्य नहीं चुने गये हैं और यह विचार जाहिर किया गया कि पहले की तरह, जैसे पहले आम चुनाव में न्याय पंचायत के लिये जो अतिरिक्त सदस्य चुने जाने वाले थे उनका भी चुनाव सीधे-सीधे हो गया था, ऐसे ही होना चाहिये। यह सही बात है, लेकिन यह अनुभव के ऊपर आधारित है कि मान लीजिये किसी पंचायत में १५ सदस्य होने हैं और दो न्याय पंचायत में जाने हैं तो १७ का चुनाव कर लिया गया था। बाद को १५ रह गये। उसमें कठिनाई यह हुई कि १७ सदस्यों में से न्याय पंचायतों के जब तक चुनाव न हो जायं तब तक वह काम नहीं कर सकते थे, उसको पहले कांस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता था। परिणाम यह हुआ कि उस चुनाव के कराने के बाद जब तक न्याय पंचायतें बना देने का काम पूरा न हो गया हो, तब तक उन पंचायतों को काम करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। वैसे तो चुनाव में ही काफी देर लगती है, क्योंकि एक दफा चुनाव करने के बाद जगह न भरी तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा। फिर भी न भरी तो नामजदगी का प्रोसेस शुरू करेंगे और न्याय पंचायत के लिये तो सभी पंचायतों का उस क्षेत्र में चुनाव हो जाना चाहिये। तब न्याय पंचायतों के सदस्यों का चुनाव करना होगा। इसमें काफी समय लगता है। नतीजा यह होता था कि चुनाव हो जाने के पश्चात भी पंचायतों का बनाना और उसको काम देना दुश्वार था। इसलिये यह उचित समझा गया कि जितने पंचायत के सदस्य हैं उतने सदस्यों का ही चुनाव कराया जाय और उनमें से न्याय पंचायत के लिये जो सदस्य लिये जायेंगे उनकी जगहें खाली हो जायेंगी तो उसका चुनाव हो जायगा। एक दो सदस्य का चुनाव होने में कोई खास कठिनाई नहीं होगी। और अगर कठिनाई भी हो तो दोनों तरीकों में ज्यादा मुनासिब यही समझा गया कि इस तरह से कार्यवाही की जाय।

न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में यह भी कहा गया कि इन पंचायतों द्वारा ही चुनाव किये जाते। श्रीमन्, यह अधिनियम के प्रतिकूल बैठता है। इस समय पंचायत अधिनियम में यह है कि न्याय पंचायत के सम्बन्ध में चुनाव नहीं होगा बल्कि प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी पंचायत के चुने हुये लोगों में से नियुक्त करेगा। मैं इस प्रश्न में जाना नहीं चाहता कि न्याय पंचायत का चुनाव होना चाहिये या नामजदगी क्योंकि इस प्रश्न पर सदन में विवाद हो चुका है और अधिनियम में वह चीज आ चुकी है। इसलिये अब उनके चुनाव का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी उनको एप्वाइन्ट करेगी और उसके क्या तरीके होंगे, उसके लिये मैं प्रारम्भ में कह चुका हूं कि विचार हो रहा है। इस बात में हमारी आवश्य सहानुभूति है कि अगर कोई पंचायत सर्वसम्मति से उतने व्यक्ति, जितने कि उस गांव सभा से न्याय पंचायत में जाने वाले हैं, भेज दे तो प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी को पंचायत की सर्वसम्मत राय पर वजन देना चाहिए। यह बात अच्छी मालूम होती है लेकिन इसके अतिरिक्त उनका एप्वाइन्टमेन्ट या नियुक्ति प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी के द्वारा ही होगी।

श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने विशेष कर माननीय गोविन्द सहाय जी ने ट्रेनिंग की ओर ध्यान दिलाया। सरकार भी इस बात को महसूस करती है और बहुत महत्वपूर्ण समझती है कि पंचायत के सदस्यों की, पंचायत के सेक्रेटरियों की और पंचायत के पदाधिकारियों की अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हो ताकि उनको प्रजातन्त्र की अच्छी जानकारी हो सके और तभी हमारे स्थानीय निकाय सफल हो सकते हैं। पंचायत मन्त्रियों की ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है, वह मैं प्रातःकाल कह चुका हूं। जो पदाधिकारी हैं, उनके लिये भी व्यवस्था है। यह भी कहा गया कि पंचायत अधिकारियों की ट्रेनिंग गैरसरकारी सदस्यों के द्वारा भी होनी चाहिये। इस बात से मैं सर्वथा सहमत हूं कि जो पंचायत के सदस्यों या पंचायत के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग हो उसमें विभागीय लोगों का तो हाथ हो ही लेकिन जो सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं वह भी अपने तजुर्बे के अनुसार उनकी ट्रेनिंग में योगदान करें। श्रीमन्, इसी उद्देश्य से, जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह केवल विभाग के द्वारा ही नहीं दी जा

रही है बल्कि उसमें नान-आफिशियल एजेन्सीज भी हैं। मैं उन सारी एजेंसीज के तो नाम नहीं पढ़ूंगा लेकिन कुछ एजेन्सीज बतला देना चाहता हूं जैसे गुरुकुल कांगड़ी ज्वालापुर में, एडल्ट लिट्रेसी हाउस लखनऊ में, ईश्वरशरण आश्रम, इलाहाबाद में, हिन्दी विद्यापीठ इलाहाबाद में और सर्वाश्रम आसफपुर में। ये सब इस प्रकार की नान-आफिशियल एजेन्सीज हैं जो ट्रेनिंग का भार अपने ऊपर ले सकती हैं और जिनको ट्रेनिंग देने के लिये सहायता दी जाती है और उनको ट्रेनिंग देने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। यदि इस दिशा में कोई कमी है तो उसे पूरा करने का प्रयास किया जायगा, क्योंकि यह वांछनीय है कि प्रजातन्त्र के स्थापित करने में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का और सरकार का पूरा सहयोग रहे।

श्रीमन्, श्री इन्दुभूषण गुप्तजी ने मुझसे यह पूछा और विशेष कर यह संकेत किया कि आपके चुनाव में कुछ हिस्ट्रीशीटर इलेक्ट हो गये हैं और ऐसे लोग इलेक्ट हो गये हैं जो डिसक्वालीफाइड हैं। अगर ऐसे लोग इलैक्ट हो गये हैं तो अफसोस की बात है। मेरे खयाल से हम सब लोगों का यह प्रयास होना चाहिये कि मतदाताओं पर अपना प्रभाव रखकर ऐसे लोगों को इलैक्ट न करने की हम प्रार्थना करें। खैर, जहां तक हिस्ट्रीशीटर का ताल्लुक है, उसे तो सम्भवतः इस अधिनियम के द्वारा अनर्ह नहीं किया गया है। मैंने ५-ए की धारा को देखा, उसमें हिस्ट्रीशीटर का शब्द कहीं नहीं है। इसलिये सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। किन्तु जो लोग धारा ५-ए के मुताबिक डिसक्वालीफाइड हैं और वे इलेक्ट हो गये हैं और माननय सदस्य इस तरह से सामान्य रूप में संकेत न करके विशेष रूप से लिख कर दें तो सरकारको अपने अधिकार का प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं होगा।

श्रीमन्, यह भी यहां कहा गया कि प्राइमरी स्कूल्स का मेंटीनेंस पंचायतों के द्वारा होना चाहिये। बहुत अच्छी बात है। किन्तु जो बिल इस सदन से पास हो चुका है, क्षेत्र समिति और जिला परिषद बिल, और जो अब परिषद् के विचाराधीन है, उसमें इस बात का प्राविधान किया गया है कि प्राइमरी शिक्षा का सब काम क्षेत्र समिति को दिया जाय और वह एक छोटे से क्षेत्र में होगी जिसका पंचायतों से काफी सम्पर्क रहेगा। क्षेत्र समिति को यह भी अधिकार होगा कि अपने किसी काम को पंचायतों के सुपुर्द कर दे। तो प्राइमरी शिक्षा का काम पंचायतों के द्वारा इस प्रकार हो सकता है।

यह भी सुझाव दिया गया कि पंचायतों के पास जब कोई धन नहीं है, अलावा अपने टैक्स लगाने के, तो वे कैसे काम कर सकती हैं। बिलकुल ठीक बात है। विकास कार्य के द्वारा भी कुछ धन पंचायतों को स्वीकृत होता है। उसके द्वारा भी वह अपना कार्य कर सकती हैं। लेकिन जो बात माननीय सदस्यों ने कही कि मालगुजारी का कोई हिस्सा पंचायतों को दिया जाना चाहिये, यह बात शासन के विचाराधीन है, इसकी महत्ता को सामने रखते हुये। इस समय मैं इतना ही कह सकता हूं।

एक बात यहां यह कही गई कि पंचायत सेक्रेटरी, विलेज लेविल वर्कर और लेखपाल इन तीनों पदों को मिला देना चाहिये। इस प्रश्न पर निरन्तर ४, ५ साल से विचार होता चला आया ह। एक बार तो यह विचार था कि पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी के पदों को मिला दिया जाय। एक गांव समाज का है और दूसरा गांव सभा का है। वह विचार काफी दिन तक चलता रहा। समय कम होने की वजह से मैं उसके ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इन दोनों पदों को मिलाने से पंचायतों के स्वतंत्र रूप से खड़ा होने की बुनियाद में कुछ घटोत्तरी होगी। विलेज लेविल वर्कर और पंचायत सेक्रेटरियों के पदों को मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा गया। एक बुनियादी बात यह कही गयी कि पंचायत मंत्रियों को शासन की ओर से तनख्वाह मिलती है और वे शासन के अधिकार में हैं। किन्तु हमारा अन्तिम नक्शा तो यही है कि हर पंचायत के पास अपना मंत्री हो लेकिन उस तरीके का नक्शा पूरा करने में कुछ कठिनाई हो सकती है। यह जो कहा जाता है कि पंचायत मंत्रियों पर प्रधानों का कोई नियंत्रण नहीं है, यह बात भी शासन के विचाराधीन है। पंचायत राज

[श्री कैलाशप्रकाश]

विभाग भी इस पर विचार कर रहा है कि किस तरह से इन पंचायत मंत्रियों को प्रधानों के सम्पर्क में लाया जा सकता है जिससे प्रधान यह समझें कि उनको पंचायत मंत्रियों से काम लेना है और पंचायत मंत्री भी यह समझ सकें कि उनको पंचायतों और प्रधानों का कार्य करना है। यह विचार किया जा रहा है कि प्रशासनिक दृष्टि से यह चीज किस तरह से रखी जाय।

श्रीमन्, एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने सुबह यह कहा था कि पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायत मंत्रियों के वेतन भत्ते में सहूलियत दी जायगी। हो सकता है मेरे कहने में कुछ गलती हो या उनके समझने में कुछ भ्रम हो। लेकिन जहां तक वेतन भत्ते की बात है वह तो समस्त प्रदेश के लिये एक ही रहेगा, लेकिन जो बात पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में मैंने कही थी वह यह कि पंचायत सेक्रेटरियों के बारे में यह महसूस किया जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उनकी संख्या कम है, बढ़ाई जानी चाहिये।

एक प्रश्न यहां पर यह भी उठाया गया कि उनमें १८ प्रतिशत हरिजनों की संख्या नहीं है। इसके बारे में इस सदन में प्रश्न भी हुए थे। यह चीज देखने लायक है कि किस प्रकार से शासकीय आदेशों की पूर्ति हो सकती है। उसमें क्या कठिनाइयां हैं, उसकी देखभाल हो रही है।

समय करीब करीब क्योंकि पूरा हो गया है, इसलिये और जो बातें इस सदन में कही गयीं उनके संबंध में इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि उन पर विचार किया जायगा और पंचायतों की त्रुटियों के संबंध में और पंचायतों को संगठित और सुदृढ़ बनाने के लिये माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको अध्ययन करके उन पर अमल किया जायगा।

अन्त में केवल एक ही शब्द और कह देना चाहता हूं कि निस्संदेह कुछ पंचायतों, कुछ चुनावों, कुछ मंत्रियों, कुछ प्रधानों और कुछ सदस्यों में खराबी हो सकती है, कमियां हो सकती हैं, क्योंकि इस संसार में अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है। केवल फर्क इतना है कि जो एक की अपूर्णता को देखकर समस्त का अंदाजा लगाते हैं, वे गलती करते हैं लेकिन इन चुनावों के पश्चात्, जिन्होंने सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से, कुछ अध्ययन करने की कोशिश की है, उन्होंने यह महसूस किया है कि इन पंचायतों के द्वारा समाज में शान्ति के साथ ऐसा परिवर्तन हो रहा है, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से आशा भी नहीं की जा सकती थी और अगर मैं यह कह दूं कि क्रान्ति हो रही है तो वह भी अत्युक्ति न होगी। जो दबे हुए थे वे आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं। जो प्रिविलेज्ड थे, जिनके कुछ इंटरेस्ट्स क्रिएट हो गये थे बहुत दिन से समाज में, उनके इंटरेस्ट को धक्का पहुंच रहा है। यह बात मैं समझ सकता हूं कि अगर किन्हीं के वेस्टेड इंटरेस्ट्स हों, चाहे वह क्लास हो या व्यक्ति हो, और अगर उन वेस्टेड इंटरेस्ट्स को धक्का पहुंचता है तो वह उसको आब्जैक्टिव दृष्टि से नहीं देखते हैं, चाहे वह समाज को प्रगति की तरफ ले जाने वाला हो, क्रान्ति पैदा करने वाला हो, उस तरीके की वह आलोचना करते हैं। हमने पंचायतों के इस चुनाव के कार्य से वास्तव में इस बात का अन्दाजा लगाया कि हजारों की संख्या में पंचायतें हैं और लाखों सदस्यों का चुनाव हुआ उसमें किस तरीके से यहां की जनता ने हाथ उठाकर शान्ति के साथ कार्य किया है। यहां उनके प्रतिनिधि होने के नाते हमें उनकी सराहना करनी चाहिये। गलती हुई, उसको ठीक करने का प्रयास करें, यह अपनी जगह सही है। लेकिन हर एक को एक डंडी से चलाना और कहना कि पंचायत राज में खराबी है, गांवों में गुटबन्दी हो गई और गांवों में खराबी आ गई, यह ठीक नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि वह इस अनुदान को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री रामस्वरूप वर्मा अब अपना वैयक्तिक स्पष्टीकरण देंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा––श्रीमन्, मंत्री जी ने जो यह कहा कि मैंने डायरेक्टर,पंचायत राज को कहा था मैंने यह बात नहीं कही, बल्कि मैंने चुनाव संचालक, पंचायतराज को कहा था कि उन्होंने धांधलेबाजी की ।

दूसरी बात, नामिनेशन का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था बचऊ राम यादव का। वह बात मैंने नहीं कही। मैंने कहा कि नतीजा घोषित हुआ और उन्होंने शपथ ली। इसके बाद जो एस० डी० ओ० था वह पेटीशन में उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था, लेकिन चुनाव संचालक को यह अधिकार नहीं है कि उसको हटाकर दूसरे को सभापति कर दें। इसका माननीय मंत्रीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया और हमें मिस–कोट किया।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५––गांव सभा और पंचायतों के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १५––गांव सभा और पंचायतों के अन्तर्गत लखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर १,२०,२६,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
र दश

लखनऊ :
१८ अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४८ पर)

प्रश्न संख्या २ में वांछित सूचना का विवरण

जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार

चोरी की एक घटना (अपराध संख्या ६६, धारा ४५७ भा० द० वि०) के सिलसिले में जांच करने वाले सब-इंस्पेक्टर को दिनांक २०-२-६१ की शाम को यह सचना प्राप्त हुई कि हरीओम उर्फ ओमी का उक्त घटना में संभवतः हाथ है । जांच अधिकारी ने पूछ-ताछ करने के लिये कुछ कांस्टेबिलों को नावेल्टी सिनेमा से हरी ओम को कोतवाली ले आने के लिये भेजा किन्तु हरी ओम किसी प्रकार पुलिस को चकमा देकर भाग गया तथा उसी समय से लापता है ।

पुलिस ने न तो उसे गिरफ्तार किया और न ही उसे मारा-पीटा या गायब किया । यह सही नहीं है कि जनता में इस बात की शोहरत है कि हरी ओम को पुलिस हिरासत में मार डाला गया है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

तालिका 'क'

१—श्री श्रीपाल सिंह, सदस्य विधान सभा .. .. अध्यक्ष
२—श्री रामचन्द्र विकल, सदस्य विधान सभा .. .. सदस्य
३—श्री रणंजय सिंह, सदस्य विधान परिषद् .. .. सदस्य
४—श्री पृथी नाथ सेठ, सदस्य विधान परिषद् .. सदस्य
५—डा० राजनाथ सिंह, उप निदेशक, राजकीय यांत्रिक फार्म, उत्तर प्रदेश सदस्य
६—श्री पी० एस० विलसन, उप कृषि निदेशक, इलाहाबाद .. सदस्य
७—श्री धीर सिंह वर्मा, सेक्रेटरी, प्रान्तीय कोआपरेटिव फेडरेशन .. सदस्य
८—श्री केशव प्रसाद श्रीवास्तव, अनुसचिव, कृषि विभाग .. सदस्य
९—डा० राजेश्वर नाथ माथुर, अतिरिक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश सदस्य सचिव

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६५८ पर)

तालिका 'ख'

(१) कृषि विभाग द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के फार्मों के कार्य-संचालन की जांच उस नीति के आधार पर करना जो सरकार ने इन फार्मों को चलाने के लिये समय-समय पर निर्धारित की है और उनकी उन्नति के लिये उपायों तथा साधनों के सुझाव देना ।

(२) इन फार्मों को भिन्न-भिन्न स्तरों पर चलाने के लिये इस बात का अध्ययन करना कि उनके संगठन तथा कर्मचारियों की व्यवस्था किस प्रकार की है और ऐसा उपयुक्त संगठन बनाने का सुझाव देना जिससे उनके उचित नियंत्रण तथा निगरानी की व्यवस्था हो सके ।

(३) असली और अच्छी किस्म के बीजों को बढ़ाने और फार्मों को उन्नत प्रकार की खेती के कामों के प्रदर्शन के लिये केन्द्र बनाने की आवश्यकताओं पर विचार करना । इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिये उपायों और साधनों के सुझाव देना जिससे कि ये फार्म टेक्नालोजी के क्षेत्र में अपेक्षित पथ-प्रदर्शन कर सकें ।

(४) इस बात की जांच करना कि ये फार्म दक्षता की अपेक्षित मात्रा और आवश्यक निपुणता से चलाये जा रहे हैं या नहीं । यदि नहीं, तो उनको दक्षता के पहले से नियत किये हुये उच्च स्तर पर चलाने के लिये उपायों के सुझाव देना ।

(५) विभिन्न प्रकार के सरकारी फार्मों की माली आर्थिक स्थिति की जांच करना और जहां तक हो सके उन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जिनके लिये वे स्थापित किये गये हैं, उनको कम खर्च से चलाने के लिये उपायों के सुझाव देना ।

(६) राजकीय फार्मों के संबंध में ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जिनकी अनुमति अध्यक्ष द्वारा दे दी जाय ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ६४ एल० ए०—१९६१—८४५ ।